ISSN NO. 3048-8664

GLOCAL UNIVERSITY
SHAPING GLOBAL MINDS

ग्लोकल दृष्टि

(नवीन शोध व रचना धर्मिता को समर्पित वार्षिक पत्रिका)

वर्ष 2 अंक 1 मार्च 2025

ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग, मिर्जापुर पोल,
सहारनपुर–247121 उत्तर प्रदेश, भारत

ग्लोकल दृष्टि

(नवीन शोध व रचना धर्मिता को समर्पित वार्षिक पत्रिका)

वर्ष 2 *अंक* 1 *मार्च* 2025

संरक्षक

प्रो0 पी0 के0 भारती

कुलपति, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर

सलाहकार संपादक मंडल

प्रो0 उमापति दीक्षित, (डी. लिट.)

अध्यक्ष, नवीनीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

डॉ0 अखिलेश मिश्रा

प्रशासनिक अधिकारी, उ0प्र0शासन

डॉ0 जयंती प्रसाद नौटियाल

महानिदेशक (अध्यक्ष), वैश्विक हिंदी शोध संस्थान, देहरादून

प्रो0 सतीश कुमार शर्मा

प्रतिकुलपति, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर

प्रो0 जान फिनबे

प्रतिकुलपति, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर

प्रो0 विभा अग्निहोत्री

अध्यक्ष, मानवशास्त्र विभाग, एन.एस.एन. पीजी कॉलेज, लखनऊ

प्रो0 सत्या मिश्रा

समाजशास्त्र विभाग, नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज, लखनऊ

प्रो0 रईस अफजल मीर

डायरेक्टर रिसर्च, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर

copyright@glocaluniversity2025,2(1)

सम्पादक मंडल

प्रधान सम्पादक

प्रो0 शोभा त्रिपाठी, प्रोफेसर, हिंदी विभाग, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर shobha.tripathi@theglocaluniversity.in

सह–सम्पादक

डॉ0 सलमा प्रवीन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर salma@theglocaluniversity.in

डॉ0 विजय कुमार, डीन, स्कूल ऑफ बिजिनेस एंड कॉमर्स, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर dean.management@theglocaluniversity.in

डॉ0 अंजुम जावेद, प्रोफेसर, ग्लोकल कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, सहारनपुर anjum@glocalunanicollege.in

डॉ0 शम्मून अहमद एसोसिएट प्रोफेसर, ग्लोकल यूनिवर्सिटी फार्मेसी कॉलेज, सहारनपुर shmmon@theglocaluniversity.in

डॉ0 आतिका बानो, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्लोकल लॉ स्कूल ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर aateka@theglocaluniversity.in

डॉ0 पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंचकर्म विभाग, आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अनुसंधान केन्द्र, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर poojayadav40086@gmail.com

डॉ0 मोहम्मद नफीस, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर nafis@theglocaluniversity.in

श्रीमती अंकिता गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इनफॉरमेशन साइंस, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर ankita.garg@theglocaluniversity.in

श्री गुरदीप पंवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पैरामेडिकल कॉलेज, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर gurdeep@theglocaluniversity.in

श्री कुलदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्लोकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च सेंटर, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर kuldeep.saroj@theglocaluniversity.in

प्लेगेरिज्म इंचार्ज

श्री शाहनवाज अली, विभागाध्यक्ष, आई0 टी0 ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर shahnawazali@theglocaluniversity.in

शोध पत्रिका के विषय में

ग्लोकल दृष्टि, ग्लोकल विश्वविद्यालय दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर–247121 की त्रैमासिक, बहुविषयक शोध पत्रिका है। यह विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त और यूनिवर्सिटी अधिनियम 2011 (यूपी अधिनियम संख्या 2, 2012) द्वारा स्थापित (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है)। ग्लोकल विश्वविद्यालय के लगभग 350 एकड़ के विशाल परिसर में वर्तमान में आठ प्रमुख स्कूल हैं। जिनमें 55 से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर व पेशेवर पाठ्यक्रम अत्यधिक प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं योग्य संकाय सदस्यों द्वारा संचालित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय में विश्व–स्तरीय बुनियादी ढांचे में अत्याधुनिक सुविधाएं, सुसज्जित छात्रावास, जिम आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ग्लोकल दृष्टि का उद्देश्य हिंदी भाषा में उच्च कोटि के शोध लेख प्रकाशित करना है। वैश्वीकरण के युग में शोध अध्ययन हेतु बहुविषयक उपागम को सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। अतः ग्लोकल दृष्टि को एक बहुविषयक शोध पत्रिका के रुप में वर्ष 2024 से प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया था। शोध लेखों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से इसे त्रैमासिक किया जा रहा है। प्राप्त शोध लेखों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों से कराने के पश्चात उन्हें प्रकाशन हेतु चयनित किया जाता है।

फार्म 'बी'

सम्पादक का नाम, राष्ट्रीयता व पता :	प्रो. शोभा त्रिपाठी, भारतीय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर
प्रकाशक का नाम, राष्ट्रीयता व पता :	ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग मिर्जापुर पोल, सहारनपुर 247121
अवधि	: त्रैमासिक
प्रकाशन का स्थान व पता	: ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग मिर्जापुर पोल, सहारनपुर 247121
स्वामी का नाम, राष्ट्रीयता व पता	: ग्लोकल विश्वविद्यालय, ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली यमुनोत्री मार्ग, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर 247121
लेजर टाइप सैटिंग	: ई.टी.डी.आर. कम्प्यूटर्स, बी 1205ए, के.एम. रेजिडेन्सी, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद 201017
मुद्रक का नाम व पता	: 3 एन प्रिंट एण्ड गिफ्ट्स, 425, द्वितीय तल, पटपड़ गंज इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली 110092, भारत
वैबसाइट	: *glocaluniversity.edu.in*

ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI

(नवीन शोध व रचना धर्मिता को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

आई.एस.एस.एन. संख्या : **3048-8664**

वर्ष 2 | अंक 1 | मार्च 2025

अनुक्रमणिका

संदेश i

सम्पादकीय 1

शोध लेख

मेला : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 3
सत्या मिश्रा

तमस उपन्यास में नारी त्रासदी 9
सन्तोष कुमारी

मॉरीशस में हिन्दी का स्वरूप और भविष्य 13
कल्पना लालजी

प्रवासी भारतवंशियों का भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार में योगदान : त्रिनिदाद एवं टुबैगो के विशेष संदर्भ में 19
सुनीता पाहूजा

परिसीमन की प्रक्रिया का ऐतिहासिक विश्लेषण 33
कविता गोस्वामी एवं वंदना उप्रेती

पीत पत्रकारिताः पत्रकारिता का विकृत स्वरूप व इससे होने वाली हानियाँ 39
रीना पन्त

महिला कैदियों के अधिकारः जिला बिजनौर के विशेष संदर्भ में एक आलोचनात्मक विश्लेषण 43
आतेका बानो

ग्रीन टीः स्वास्थ्य के लिए एक सम्पूर्ण पेय 47
उमेश कुमार

पुस्तकालय पोर्टल और पुस्तकालय पोर्टल के विकास में पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका 55
उर्वशी त्यागी

21वीं सदी में पंचवटी के लक्ष्मण की प्रासंगिकता 63
नीतू पाण्डेय

लिविंग अपार्ट टुगेदर एवं अभिभावकत्व शैलीः लखनऊ नगर के कार्यरत अभिभावकों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 67
रूचिता

राष्ट्रीय सेवा योजना रिपोर्ट 73

ग्लोकल विश्वविद्यालय त्रैमासिक रिपोर्ट 78

पियर रिव्यू कमेटी (Peer Review Committee)

1. श्री एन.एच. रिजवी, पूर्व विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. डॉ0 शिवानी तिवारी, रजिस्ट्रार, ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3. प्रो. वीरेन्द्र पाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष, वैश्वीकरण एवं विकास अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
4. प्रो. शशांक शुक्ला, अध्यक्ष, (हिंदी विभाग) उत्तराखंड विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड।
5. प्रो. वंदना उप्रेती, राजनीति विभाग, नारी शिक्षा निकेतन, पी.जी. कालेज, लखनऊ।

पोफेसर शिवानी तिवारी
कुलसचिव

GLOCAL UNIVERSITY
SHAPING GLOBAL MINDS

ग्लोकल विश्वविद्यालय
सहारनपुर - 247121
3 मार्च 2025

बधाई संदेश

ज्ञान का सृजन जब विचारों की विविधता से होता है, तब वह केवल पन्नों तक सीमित नहीं रहता, वरन् वह चेतना को स्पर्श करते हुए समाज को दिशा प्रदान करता है। ग्लोकल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'ग्लोकल दृष्टि' बहु-विषयी शोध पत्रिका इसी बौद्धिक प्रकाशपुंज का प्रतीक है। यह ज्ञान के प्रसार और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विविध विषयों पर आधारित शोधों को एक मंच प्रदान करके यह पत्रिका न केवल शैक्षणिक जगत को समृद्ध कर रही है बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में भी योगदान देते हुए छात्रों के भविष्य के मार्ग को भी प्रशस्त कर रही है। इसमें समाहित विविध विषयों की सुरभि, मानो एक बगीचे की तरह है जहाँ हर पुष्प - हर शोध- अपनी अनूठी सुगंध बिखेर रहा है।

इस ज्ञान- यात्रा में मुख्य भूमिका निभाने वाली डॉक्टर शोभा त्रिपाठी, सहभागी सभी विद्वानों, संपादकों एवं सहयोगियों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। यह पत्रिका सतत शोध, नवाचार और विमर्श की एक उजली लौ बनी रहे।

इसी मंगल कामना के साथ।

Shivani

(शिवानी तिवारी)
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

डा0 शोभा त्रिपाठी

संपादकीय

प्रिय पाठकों,
नमस्कार!

वर्तमान युग ज्ञान और विज्ञान का युग है। विश्व में वही समाज और राष्ट्र प्रगति कर रहे हैं जो शिक्षा, शोध और नवाचार को प्राथमिकता दे रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जीवन को सरल, सुगम और सुविधाजनक बना दिया है, वहीं ज्ञान के विविध आयामों ने हमें वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी भी बनाया है। लेकिन ज्ञान और विज्ञान का यह प्रवाह तभी सार्थक सिद्ध हो सकता है जब पुस्तक–पाठन की संस्कृति का विकास हो।

ज्ञान केवल सूचना का संकलन नहीं है, बल्कि यह सही और गलत की पहचान कर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। विज्ञान ने आधुनिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं– चिकित्सा, संचार, अंतरिक्ष, पर्यावरण और उद्योग के क्षेत्र में इसके योगदान ने मानवता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। किंतु विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है जब हमारे पास पर्याप्त ज्ञान और उसे सही दिशा देने का विवेक हो। आज भी पुस्तकें ही ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं। यह सत्य है कि डिजिटल युग में सूचना तक पहुँच आसान हो गई है, किंतु पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। पुस्तकों के माध्यम से हम इतिहास, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समझ सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक न केवल हमारी सोच को परिपक्व बनाती है, बल्कि हमें तर्कशील और संवेदनशील भी बनाती है। नियमित पुस्तक–पाठन से रचनात्मकता, भाषा–शैली और विचारशीलता विकसित होती है, जो किसी भी समाज की बौद्धिक प्रगति का आधार होती है।

अब आप सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए० आई०) के युग में पुस्तक की बात बेमाने है तो मैं भी कहती हूँ कि ए० आई० ने ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार के तरीकों को बदल दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पुस्तकों का महत्व समाप्त हो गया है। पुस्तकें केवल सूचना का संकलन नहीं होतीं, बल्कि वे विचारों, तर्कों और मानवीय संवेदनाओं को संजोकर रखती हैं, जो किसी भी मशीन से परे हैं। ए० आई० त्वरित उत्तर दे सकता है, लेकिन यह गहराई से चिंतन करने, विश्लेषण करने और नए दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता नहीं रखता। पुस्तकें न केवल हमारी कल्पनाशीलता को विकसित करती हैं, बल्कि वे नैतिक मूल्यों, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और साहित्यिक संवेदनाओं को भी संजोती हैं, जो किसी भी समाज की सांस्कृतिक धरोहर होती हैं। डिजिटल युग में जहाँ सूचनाएँ सतही और क्षणिक हो सकती हैं, वहीं पुस्तकें हमें गहरे अध्ययन और आत्ममंथन का अवसर देती हैं। इसलिए ए० आई० के बढ़ते प्रभाव के बावजूद, पुस्तकों का महत्व सदैव बना रहेगा क्योंकि वे केवल ज्ञान नहीं देतीं, बल्कि हमें सोचने, समझने और संवेदनशील बनाने का कार्य भी

करती हैं। रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति का विकास अध्ययन से ही होता है। साहित्य, कविता और दर्शन जैसी विधाएँ ए० आई० के गणनात्मक तर्क से परे हैं। पुस्तकें कल्पनाशक्ति को विकसित करने और नए विचारों को गढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ए० आई० में भावना और सहानुभूति का अभाव होता है। पुस्तकों के अध्ययन से विश्लेषण, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और तर्कपूर्ण व्याख्या होती है, जो ज्ञान को गहराई प्रदान करती है। आप कहीं भी किसी भी विषय पर वक्तव्य दे सकते हैं। इसके साथ पुरानी पांडुलिपियाँ, साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे अतीत से जोड़ने का कार्य करते हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता को विकसित करती हैं, और हमें एक संवेदनशील, विवेकशील और सृजनशील इंसान भी बनाती हैं। ए० आई० के डाटा की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो सकती है पर पुस्तक की नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि ए० आई० से मदद लें पर उस पर निर्भर न रहें। अपनी तर्क क्षमता, कल्पनाशीलता, समृद्ध चिंतन और व्यापक ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ने की आदत डालें।

हिंदी पत्रिका होने के कारण दो बातें हिंदी भाषा के संदर्भ में भी करूँगी। आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। संयुक्त राष्ट्र सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैश्वीकरण और डिजिटल क्राँति के कारण हिंदी इंटरनेट, सिनेमा, साहित्य और व्यापार की भाषा के रूप में उभर रही है। प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेष रूप से मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल और अमेरिका में हिंदी का व्यापक प्रचार–प्रसार हो रहा है। हिंदी का महत्व इस बात से भी सिद्ध होता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य वैश्विक कंपनियाँ हिंदी सामग्री का विस्तार कर रही हैं। भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रति वैश्विक रुचि बढ़ने से हिंदी साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। फिर हिंदी बोलने, लिखने में झिझक या शर्म कैसी? हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देकर हम अपनी मातृभाषा को जीवित रख सकते हैं। यह हमारा नैतिक दायित्व भी है। दुनिया उसे प्रणाम करेगी ही जिसका संख्या बल और कौशल अधिक होगा तो एक सौ चालीस करोड़ मिलकर क्या अपनी भाषा नहीं बचा सकते? इस पर भी विचार करना आवश्यक है।

अंततः ज्ञान–विज्ञान की प्रगति, पुस्तक–पाठन की संस्कृति और हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को साथ लेकर ही हम एक समृद्ध, सशक्त और सुसंस्कृत समाज की रचना कर सकते हैं। विज्ञान हमें आधुनिकता की ओर अग्रसर करता है, पुस्तकें हमें बौद्धिक और नैतिक रूप से समृद्ध बनाती हैं, और हिंदी भाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हुए वैश्विक मंच पर स्थापित करती है। अतः हमें विज्ञान और ज्ञान को अपनाते हुए पुस्तक–पाठन की आदत विकसित करनी चाहिए तथा हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए।

शुभकामनाओं सहित!

आपकी
प्रो० शोभा त्रिपाठी
प्रधान संपादक

आई.एस.एस.एन. संख्या : 3048–8664
ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 3–8

मेला : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सत्या मिश्रा*

'मेला' भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का अभिन्न हिस्सा रहा है भारत में न केवल ग्रामीण समुदायों में अपितु नगरीय समुदायों में भी धार्मिक, आनुष्ठानिक तथा त्यौहारों के अवसर पर मेलों के आयोजन की परम्परा रही है। 'वर्धा हिन्दी शब्द कोश' के अनुसार 'मेला' का शाब्दिक अर्थ है – उत्सव, त्यौहार आदि के समय होने वाला जमावड़ा, भीड़भाड़, समागम, तमाशा, सैर इत्यादि (पृ० 965–966)। संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर में मेला शब्द का अर्थ दिया गया है कि– भीड़ भाड़, देवदर्शन, उत्सव तमाशे आदि के लिए बहुत से लोगों का जमावड़ा (पृ० 817)। इसी प्रकार से नालंदा विशाल शब्द सागर के अनुसार मेला का आशय है कि बहुत से लोगों का एक स्थान पर जमा हो जाना, भीड़, उत्सव त्यौहार आदि के समय होने वाला बहुत से लोगों का जमावड़ा, समागम, मिलाप, अंजन, स्याही, रोशनाई, महानील इत्यादि (पृ० 1124)। स्पष्ट है, सामान्य अर्थों में मेले का अर्थ है मेल अथवा मिलन। मेला किसी निश्चित उद्देश्य, यथा– धार्मिक, आनुष्ठानिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, ज्ञानवर्धन अथवा व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एकत्रित व्यक्तियों का एक समुच्चय अथवा झुण्ड है। यह किसी निश्चित अवधि अथवा निर्धारित दिनों के लिए होने वाला व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो कि एक समयावधि के पश्चात् विघटित हो जाता है। 'मेला' व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का सामाजिक व्यवहार है जोकि विश्वासों एवं परम्परा द्वारा संचालित होता है। 'मेला' भीड़ के समान है जो कि अस्थाई रूप से संगठित, पारस्परिक रूप से निकट एकत्रित व्यक्तियों का संग्रह है जिनके उद्देश्य सामान्य अथवा विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मेला व्यक्तियों का शारीरिक एकत्रीकरण है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति पारस्परिक रूप से प्रत्यक्ष, अस्थाई तथा असंगठित सम्पर्कों में आते हैं। वर्तमान समय में सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले, परम्परागत मेलों से भिन्न इच्छित, लक्षित तथा विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित किये जाते हैं।

भारतीय समाज में परम्परागत रूप से मेले सामाजिक अन्तर्क्रियाओं एवं संचार का साधन रहे हैं। भारत में कुछ मेले स्थानीय अथवा लघु स्तर पर आयोजित किये जाते हैं जबकि कुछ मेलों का

*डॉ० सत्या मिश्रा, प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ।

आयोजन वृहत् स्तर पर किया जाता है। जिनका स्वरुप अखिल भारतीय होता है। यथा– प्रयागराज का विश्वप्रसिद्ध कुंभ मेला, राजस्थान के पशु मेले, हरियाणा का सूरजकुण्ड मेला, मैनपुरी जिले के बैवर नामक स्थान पर लगने वाला शहीद मेला, ग्वालियर का व्यापार मेला, मेरठ का नौचन्दी मेला, बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगने वाला देवा शरीफ का मेला, आधुनिक समय में सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न किसान मेले, पुस्ताक मेले तथा व्यापार मेले कतिपय प्रसिद्ध मेलों के उदाहरण हैं। स्टेट पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेब साइट पर आगरा से लगभग 70 किलोमीटर दूर अक्टूबर–नवम्बर माह में लगने वाला बटेश्वर मेला जो कि पशुधन के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है, कैलाश मेला, जो कि आगरा से लगभग 12 किमी० दूर सितम्बर माह में आयोजित किया जाता है, धार्मिक मेले के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा प्रयागराज में आयोजित किये जाने वाले कुंभ मेले का विवरण उ० प्र० राज्य के प्रसिद्ध मेलों की सूची में दिया गया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जिला–शिमला में आयोजित किये जाने वाले मेलों की सूची दी गई है यथा– कुमारसेन के पास भरारा गाँव में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक व मनोरंजन मेला – भरारा मेला, रोहड़ तहसील के गुमान गाँव में आयोजित होने वाला त्रि–दिवसीय भोज फेयर, कार्तिक माह में लगने वाला रामपुर का लावी मेला, जो कि वाणिज्यक मेला है, मसाजू गाँव के निकट आयोजित होने वाला दो दिवसीय महासु जतार, मेला, मशोबा के निकट सिंहपुर में आयोजित सिपी मेला, अप्रैल माह में आयोजित होने वाला रोहड़ मेला राज्य के प्रसिद्ध बड़े मेले हैं। मध्य प्रदेश तीर्थ–स्थान एवं मेला प्राधिकरण, भोपाल ने प्रदेश के 112 प्रमुख तीर्थस्थल तथा 1370 अति प्रसिद्ध मेलों को पंजीबद्ध किया है। जिनमें से लगभग 1100 मेलों का सत्यापन किया जा चुका है। तीर्थ स्थानों एवं मेला प्रबंधन हेतु म० प्र० प्राधिकरण ने 'शासकीय आदेशों की तिथियों का संग्रहण' तथा 'त्रिवेणी के लोक देवता' नामक पुस्तकों का भी प्रकाशन करवाया है। उज्जैन में प्रत्येक बारह वर्ष मे आयोजित होने वाला सिंहस्थ कुंभ, प्रत्येक वर्ष मुरैना के पोरसा गाँव में लगने वाला संत नागाजी का मेला, ग्वालियर का हीरा भूमिया मेला, दतिया का चण्डी देवी मेला, दतिया का ही पीताम्बरा देवी मेला, सागर का डेमोनी 'उर्स', शहडोल जिले के अमरकंटक में शिवरात्रि को लगने वाला मेला, भोपाल का उत्सव मेला, रीवां जिले का महामृत्युंजना मंदिर में आयोजित होने वाला बसंत पंचमी तथा शिवरात्रि का मेला, नरसिंहपुर जिले का मकर सक्रांति से बसंत पंचमी तक लगने वाला मेला इत्यादि म० प्र० में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले हैं। इसी प्रकार से नागौर मेला जोकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, डूंगरपुर का बाणेश्वर मेला, मरु महोत्सव, पुष्कर मेला जो कि एक प्रसिद्ध पशुमेला है, झालारपाटन का चन्द्रभागा मेला, बीकानेर का कोलायत मेला, राजस्थान राज्य के अत्यंत प्रसिद्ध मेले हैं। उत्तराखण्ड की जिलेवार प्रामाणिक वेबसाइटों पर भी वहाँ आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेलों का विवरण प्राप्त होता है यथा– जनपद देहरादून में होली के पश्चात् लगने वाला झंडा मेला, जनता मेला, टपकेश्वर मेला, लक्ष्मण सिद्ध मेला, बिस्सु मेला, महासु देवता का साहिदवीर केसरी मेला, अल्मोड़ा जिले के नंदा देवी उत्सव, दशहरा महोत्सव, जागेश्वर श्रावणी महोत्सव के उपलक्ष्य में लगने वाले मेले, गढ़वाल का उत्तरायणी मेला, गिन्दी मेला, श्री नगर का बैकुण्ठ चतुर्दशी मेला, बिनसर मेला, बिस्सुमेला, हरिद्वार का कुंभ मेला इत्यादि।

पं० बंगाल के प्रसिद्ध मेलों मे हैं राश मेला, पौष मेला, गंगासागर मेला, कोलकाता पुस्तक मेला, विष्णुपुर संगीत महोत्सव पर आयोजित होने वाला मेला इत्यादि।

पंजाब के महत्वपूर्ण मेलों में मुक्तसर में माघी मेला, जिला रामपुर में ग्रामीण खेल, पटियाला में बसंत, आनंद पुर साहिब में होला मोहल्ला, तलवंडी साबो में बैसाखी, सरहिंद में रौजाशरीफ में उर्स, छप्पर में छखंर मेला, फरीद कोट में शेख फरीद आगमन पर्व, गाँव रामतीरथ में रामतीरथ मेला, सरहिंद में शहीदी जोड़ मेला, जालंधर में हरबल्लभ संगीत सम्मेलन बाबा सोदल इत्यादि सम्मिलित हैं (भारत 2024, पृ० – 704)। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर मेलों का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत के प्रत्येक राज्य में वृहत् एवं लघु स्तर पर वर्ष भर मेलों के आयोजन की परम्परा विद्यमान है। मेले अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं; ये उद्देश्य निम्नाँकित हैं–

1 – धार्मिक – सांस्कृतिक, मेलों का आयोजन अधिकाँशतः धार्मिक उद्देश्यों एवं अनुष्ठानों की पूर्ति हेतु किया जाता है। मेले परम्परा के वाहक भी हैं अतः उनका स्वरूप सांस्कृतिक भी है। तीर्थ स्थानों, पवित्र मंदिरों, नदियों, प्राचीन एवं पवित्र जलाशयों के समीप तथा विशेष त्योहारों एवं धार्मिक अवसर पर वृहत् स्तर पर मेले आयोजित किये जाते हैं। कहा जा सकता है कि मेले जन साधारण द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक आग्रह की अभिव्यक्ति हैं।

2 – मनोवैज्ञानिक उद्देश्य अथवा मनोरंजन के साधन – मेलों के आयोजन के पीछे निहित अप्रछन्न अथवा अव्यक्त प्रकार्य के रूप में मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी निहित हैं। मेले व्यस्ततम एवं ऊबाऊ दिनचर्या से भिन्न प्रसन्नता का संचार करते हैं तथा व्यक्तियों को मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराते हैं।

3 – आर्थिक तथा व्यापारिक हितों की पूर्ति करना – यह मेलों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। परम्परागत रूप से जब परिवहन के साधनों का अभाव था, भौगोलिक गतिशीलता की दर अत्यंत मंद थी उस समय स्थानीय एवं वृहत् दोनों स्तरों पर मेले आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र हुआ करते थे वर्तमान समय में यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव एवं तीव्र संचार ने लोगों की पहुँच बड़े आधुनिक बाजारों तक संभव बना दी है तथापि मेले आज भी स्थानीय उत्पादों की खपत का केन्द्र बने हुए हैं। कृषि उत्पाद, स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उपकरण यथा– तराजू, खुरपी, पशुओं को बाँधने की रस्सियाँ फावड़ा, लकड़ी का सामान, पशुधन, बीज तथा सब्जियाँ वृहत् मात्रा में मेले में सहभागी व्यक्तियों द्वारा क्रय की जाती हैं।

4 – ज्ञान वर्धन तथा जागरुकता उत्पन्न करना – वर्तमान समय में सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले ज्ञान को प्रसारित करने, सरकारी नीतियों के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से तथा जन साधारण को शिक्षित करने हेतु संचालित किये जाते हैं यथा– स्वास्थ्य मेला, पुस्तक मेला, किसान मेला, व्यापार मेला आदि।

मेलों के आयोजन की समयावधि के आधार पर इन्हें कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

एक, निरन्तर आयोजित होने वाले मेले जिसके अन्तर्गत नियमित रुप से यथा– साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक तथा वार्षिक रूप से आयोजित किये जाने वाले मेले सम्मिलित हैं।

द्वितीय, विशेष अवसरों पर आयोजित होने वाले मेले यथा– प्रत्येक बारह वर्ष पर आयोजित किया जाने वाला कुंभ मेला, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा का मेला, नागपंचमी के अवसर पर तथा सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले इसका उदाहरण हैं।

तृतीय, परम्परागत मेले, इनका आयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी दीर्घावधि से होता चला आ रहा है।

चतुर्थ, प्रायोजित मेले, जोकि सरकार द्वारा विशेष प्रयोजन की पूर्ति हेतु आयोजित किये जाते हैं।

मेलों के कुछ प्रकार्यात्मक पक्ष भी चिन्हित किये जा सकते हैं—

1 — मेले सामाजिक अन्तक्रिया एवं संचार के क्षेत्र हैं विशेष तौर पर सुदूर स्थित ग्रामीण समुदायों में। स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती ग्रामीण समाजशास्त्रियों यथा— हेनरी मेन, मुनरो, बेडेन पॉवेल, मार्क्स तथा चार्ल्स मैटकॉफ भारतीय गाँवों को पृथक तथा विलगित मानते रहे हैं। मैटकॉफ का प्रसिद्ध कथन है कि "भारतीय गाँव लघु गणतंत्र हैं, ये आत्मनिर्भर इकाई हैं। इनमें इनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ पायी जाती हैं, तथा ये वाह्य आक्रमणों से पूर्णतः मुक्त हैं" (सिंह, योगेन्द्र : 2006)। इस प्रकार की विवेचना की स्वतंत्रता के पश्चात् के ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने आलोचना की। उनके अनुसार— गाँव सर्वदा से परिवर्तन शील रहे हैं। गाँव तीर्थाटन, आस—पास के हाट, बाज़ारों, ग्राम बर्हिविवाह के माध्यम से वाह्य समाज से अन्तर्क्रियारत रहे हैं। न केवल आस—पास के व्यक्ति मेले में भाग लेते हैं बल्कि सुदूर क्षेत्रों से भी व्यक्ति आते हैं। मेले सांस्कृतिक आदान—प्रदान का मंच भी प्रदान कराते हैं। नातेदारों एवं पुराने मित्रों से मिलने का अवसर उपलब्ध कराते हैं जिससे संबंधों में प्रगाढ़ता तथा जीवंतता आती है। इसका सजीव चित्रण कैलाश गौतम ने अपनी अवधी कविता 'अमउसा का मेला' में प्रस्तुत किया है। दीर्घकाल से आयोजित होने वाले मेले सामाजिक अन्तर्क्रियाओं का विस्तृत केन्द्र रहें हैं।

2 — मेले भौगोलिक गतिशीलता को जन्म देते हैं। भारतीय परंपरा में तीर्थ यात्राओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तीर्थ केन्द्रों में धार्मिक—सांस्कृतिक मेले प्राचीन काल से आयोजित किये जाते रहे हैं— जब आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, सूचना एवं संचार के माध्यम इतने विकसित नही थे तत्कालीन दौर में मेलों में व्यक्ति पैदल, बैलगाड़ी अथवा रेलगाड़ी से मेलों में प्रतिभाग करते थे जिससे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण संभव होता था। मेला विचारों, संस्कृतियों, सूचनाओं के आदान—प्रदान को तीव्र करता है। यह भौतिक गतिशीलता के कारण संभव है।

3 — मेला स्थानीय, क्षेत्रीय एवं लोक संस्कृति को जीवित, अक्षुण्ण, जीवंत तथा संरक्षित रखता है। ऐसे आयोजन परम्परा को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित भी करते हैं।

4 — मेले सामूहिकता को जन्म देते हैं जिससे व्यक्तिवाद, अलगाव तथा अकेलापन कम होता है। व्यक्ति समूह में अन्तर्क्रियायें करते हैं तथा समूह एवं संस्कृति से जुड़ते हैं।

5 — मेले सामाजिक एकीकरण में वृद्धि करते हैं।

6 — मेले आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र भी होते हैं। मेले में व्यक्ति क्रय—विक्रय करते हैं। मेले हस्तशिल्प उत्पाद, अनाज, कृषि संबंधी उपकरण एवं विभिन्न उत्पादों की खपत का केन्द्र होते हैं। मेला आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होते हैं। न केवल पशु एवं व्यापारिक मेले बल्कि अन्य सभी प्रकार के मेले अन्ततः आर्थिक हितों की पूर्ति पर आधारित होते हैं।

7 — मेलों का चरित्र वर्गीय भी होता है। निम्न जाति, समूह एवं वर्ग के व्यक्ति मेलों से आवश्यक वस्तुओं का क्रय करते हैं यह खरीददारी नियमित दिनचर्या से भी संबंधित होती है तथा त्यौहारों, अनुष्ठानों एवं विवाह इत्यादि विशेष अवसरों से संबंधित भी होती है। कतिपय वृहत् स्तर पर आयोजित किये जाने वाले मेलों एवं सरकार द्वारा प्रायोजित मेलों में प्रबुद्ध, नगरीय अभिजन वर्ग की सहभागिता अधिक रहती है। उच्च जाति वर्ग एवं समूह के व्यक्तियों के लिए मेले आस्था तथा मनोरंजन का केन्द्र मात्र हैं न कि आवश्यकताओं के पूरक।

कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला (लखनऊ) दिस. 2024

अहिनवार" कार्तिक पूर्णिमा का मेला, नवम्बर 2024

कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला (लखनऊ) दिस. 2024

कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला (लखनऊ) दिस. 2024

कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला (लखनऊ) दिस. 2024

8 – मेला मनोरंजन का परम्परागत साधन भी रहा है। जहाँ व्यक्ति बोझिल, व्यस्त तथा नियमित दिनचर्या से भिन्न, लेज़र टाइम, अवकाश अथवा फुर्सत का समय बिताते हैं। मेले में भागीदारी करने वाले व्यक्ति मानसिक शांति, परिवर्तन तथा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से मेले मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि के संदर्भ में प्रकार्यात्मक होते हैं।

स्पष्ट है कि मेले, त्यौहार एवं तीर्थाटन भारतीय समाज एवं संस्कृति का अभिन्न भाग रहे हैं। ये पारस्परिक अन्तर्क्रियाओं, सूचना एवं संचार के स्रोत रहे हैं।

भारत के ग्राम्य एवं नगरीय सभी समुदायों में मेले आयोजित किये जाने की परम्परा अनवरत जारी है तथापि मेलों के परम्परागत स्वरूप में काफी हद तक भिन्नता आई है। वैश्विक परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं ने स्थानीय संस्कृतियों में हस्तक्षेप किया है उदाहरणार्थ– चाऊमीन के तथा मोमो के ठेले, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विभिन्न उत्पाद, गाँव–नगर के सभी मेलों में न केवल परिलक्षित होते हैं बल्कि व्यक्तियों के मध्य, विशेष तौर पर युवाओं एवं बच्चों के मध्य लोकप्रिय भी हैं। मेले चीन निर्मित सस्ते खिलौनों तथा अन्य प्रकार के उत्पादों से भरे दृष्टिगत होते हैं तथापि मेलों के प्रति आस्था, विश्वास, परम्परा के प्रति आग्रह एवं लगाव जनमानस में आज भी परिलक्षित होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

वर्धा हिन्दी शब्दकोश, 2018, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली।

स्टेटपोॅटल, उत्तर प्रदेश सरकार (up.gov.in)

hpshimla.nic.in

https://dharmasva.mp.gov.in

https://www.tourism.rajasthan.gov.in

https://dehradun.nic.in

भारत 2024, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

सिंह, योगेन्द्र (अनु० अरविन्द कुमार अग्रवाल) : 2006, भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर, वर्मा, रामचन्द्र (मूल–संपादित), कोश संस्थान (कोश विभाग) द्वारा संशोधित, सवंर्धित एवं नव संपादित, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 2014 वि०।

नांलदा विशाल शब्द सागर, सं०, श्रीनवलबी, आदीश बुक डिपो, करोलबाग, नई दिल्ली।

आई.एस.एस.एन. संख्या : **3048–8664**
ग्लोकल दृष्टि ***GLOCAl DRISHTI***
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 9–12

तमस उपन्यास में नारी त्रासदी

सन्तोष कुमारी*

सारांश

विभाजन के सर्वभौमिक सत्य को इतिहास के सच और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ हिन्दी लेखन में जीवंत अभिव्यक्ति मिली है। भारत विभाजन की त्रासदी को अनेक उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में व्यक्त किया है। जिनमें आधा गाँव, टोपी शुक्ला, ओस की बूँद, जलूस, झूठा सच, मुट्ठी भर काँकर इत्यादि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। भीष्म साहनी के प्रसिद्ध उपन्यासों में झरोखे (1967), कड़ियाँ (1970), के बाद ''तमस'' (1973), प्रमुख हैं। 'तमस' में 1947 ई0 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण साम्प्रदायिक दंगे की पाँच दिनों की कहानी प्रस्तुत की है। इसमेंभीष्म साहनी जी ने विभाजन के प्रमुख कारणों तथा विभाजन से उत्पन्न मानवता के विनाश को प्रस्तुत किया है। स्वतन्त्रता विभाजन के दर्द के साथ मिली। यह दर्द समाज के प्रत्येक वर्ग को सहन करना पड़ा। विशेषकर कमजोर वर्ग को विभाजन की त्रासदी को अधिक सहन करना पड़ा। यहां पर हम 'तमस' उपन्यास के माध्यम से नारियों पर विभाजन की त्रासदी के प्रभावों को जानेंगे।

1947 में भारत विभाजन ने देश के इतिहास में एक नया अध्याय शुरु किया। यह एक ऐसा अध्याय था जिसने खुशी और उम्मीद के साथ–साथ दुःख और त्रासदी भी शामिल थी। हिन्दी साहित्य के अनेक लेखकों ने विभाजन की त्रासदी को अपने शब्दों में चित्रित किया।

भीष्म साहनी का उपन्यास 'तमस' भारत विभाजन के दौरान हुई हिंसा और अराजकता का एक मार्मिक चित्रण है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें विभाजन की त्रासदी तथा उस समय समाज के सभी वर्गों पर हुए अत्याचार के बारे में बताता है। भारत विभाजन देश का विभाजन न होकर भारत की जनता के संस्कारों, संस्कृति और मानवता का विभाजन था, जिसके निशान शताब्दियों तक देखे जा सकते हैं। विभाजन का मुख्य कारण भारतीय जनता की अज्ञानता तथा अंग्रेजों के राजनैतिक प्रपंचों को न समझना था। ऐसे हिंसक संगठन चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हो उनके घिनौने चेहरे सामने आये। अंग्रेजी शासक की स्वार्थकता के चलते मानवीय मूल्यों पर शासकीय मूल्य किस तरह हावी होते चले जा रहे थे। इसमें मनुष्य की जान का कोई मूल्य नहीं था। ऐसा नहीं था कि विभाजन का प्रभाव केवल पुरुष समाज को ही सहन करना पड़ा बल्कि नारी समाज को भी कई तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ी। 'तमस' उपन्यास के माध्यम से हम जानेगे कि किस तरह विभाजन के समय में नारी का जीवन बंटवारे की भट्ठी में जला।

---

*सन्तोष कुमारी, शोध छात्रा, पंजीकरण संख्या : GU23R2203, हिन्दी विभाग, ग्लोकल स्कूल ऑफ आर्ट एण्ड सोशल साईंस, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

विभाजन का प्रभाव पुरुषों की जिन्दगियों से हटकर विशिष्ट ही नारी जीवन में देखा गया। साम्प्रदायिक दंगों में स्त्रियों पर जबर्दस्त यौन हिंसा हुई। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, अगवा कर इधर–उधर कर देना इत्यादि वारदातें खूब हुई। इस सब से बचने का एक ही शस्त्र नारियों के पास रह गया था आत्म हत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का। ये सब कुछ पुरुषों को सहन नहीं करना पड़ा।

वैसे तो किसी देश के विभाजन, साम्प्रदायिक दंगों या किसी भी तरह की हिंसा का प्रभाव वहाँ की जनता पर तो पड़ता ही है लेकिन स्त्रियों पर उसके भिन्न प्रभाव व परिणाम देखने को मिलते है। इन परिणामों के चलते नारी साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार होती है।

साम्प्रदायिक हिंसा का शिकार

1947 का विभाजन भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच का विभाजन था। इस विभाजन ने न केवल दो देशों के बीच सीमाएं खींची बल्कि यहाँ की जनता के संस्कारों और मानवता को भी बांट कर रख दिया। दोनों ही देशों की महिलाओं के साथ बदसलूकियां हुई, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उनका यौन शौषण किया गया। साम्प्रदायिक दंगों में भी स्त्रियों के साथ यौन हिंसा, बलात्कार, लड़कियों को घर से उठा लेना इत्यादि वारदातें होती रही। *''हिन्दुओं की एक लड़की अपनी छत पर चढ़ गई। हमने देख लिया जी। सीधे दस–बारह आदमी उसके पीछे छत पर पहुँच गए। वह छत की मुँडेर लाँघकर दूसरे घर की छत पर जा रही थी जब हमने उसे पकड़ लिया। नबी, लालू, मीरा, मुर्तजा बारी–बारी से सभी ने उसे दबोचा''(साहनी, भीष्म 1973: 258)।* विभाजन के दौरान स्त्रियों को शरणार्थी शिवरों में रहना पड़ा। वहां उनके साथ और भी दुर्व्यवहार हुआ।

मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक

मुस्लमान महिला (राजो) का चरित्र उपन्यास में प्रस्तुत करके लेखक ने मानवीय संवेदनाओं को उजागर किया है जो कि विभाजन के समय में भी इस नारी के हृदय में विद्यमान थी। हरनाम सिंह और उसकी बीबी बन्तो कि तरह मुस्लमानों के मुहल्ले से अपना घरबार छोड़ कर रात के अंधेरे में कई मुश्किलों का सामना करते हुए एक मुसलमान का दरवाजा खटखटातें है। मुसलमान महिला एक नजर में ही पहचान लेती है कि वे सिक्ख हैं फिर भी उनके लिए दरवाजा खोलती है। दिन के प्रकाश में ये उन्हे अपने घर से जाने नहीं देती तब उसका पति संदूक उठाकर आता है तो वह इसकी चाबी बहू को नहीं देती, रात को जब वे जाते हैं तो उनके जेवर उन्हें दे देती है।

''एह तुसॉडे सन्दूक विचों मिले हन। मैं कड़्ढ लियायी हाँ। तुसॉडे ऊपर औखा वेला आया है, ज़ेवर कोल होये ताँ सहारा होवेगा''(साहनी, भीष्म 1973: 242)।

इस महिला का चरित्र साम्प्रदायिक भावना, धार्मिक द्वेष, लोभ इत्यादि से ऊपर उठकर साहसी मानवीय संवेदनाओं को प्रतिष्ठित करता है।

यौन हिंसा

भीष्म साहनी के उपन्यास तमस में संप्रदायिकता के बीच नारी स्थिति का बहुत दर्दनाक व संजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। सांप्रदायिकता के दंगों में नारी को मात्र भोग लिप्सा मिटाने की वस्तु

समझा गया। यह घिनौना विकृत्य उस समय चरम सीमा पर पहुंच गया जबकि एक हिन्दु लड़की मुस्लमान लड़कों से भागती हुई छत पर पहुंच गई तभी उन्होंने उसे पकड़ लिया। दस–बारह लड़कों ने उसे दबोचा तथा सामूहिक बलात्कार किया। जब उसकी सांस रूक गई तब भी वे उसके बलात्कार करते रहे। यही किस्सा वे अपने अन्य दोस्तों को बहुत बहादूरी के साथ सुनाते हैं।

''कसम अल्लाह पाक की। जब मेंरी बारी आई तो नीचे से न हूँ, न हाँ, वह हिले ही नहीं, मैंने देखा तो लड़की मरी हुई।'' और वह खोखली–सी हँसी हँसकर बोला, *''मैं लाश से ही ज़ना किए जा रहा था''*(साहनी, भीष्म 1973: 258)।

समाज से बहिष्कृत

साम्प्रदायिक दंगों की आग में मानवीय विवेक की आहुति दे दी गई। साम्प्रदायिक दंगों के समय में नारी सिर्फ भोग की वस्तु रह गई थी। जिस प्रकार घरों को लूटना, जान–माल की हानि करना साम्प्रदायिकता का रूप था उसी तरह महिलाओं को भी कब्जे की वस्तु माना गया। एक बूढ़े ब्राह्मण की बेटी प्रकाशो को अल्लाहरक्खा जबरन उठाकर अपने घर ले गया था और वहाँ पर उसके साथ निकाह कर लिया था। जब बाबू ब्राह्मण को कहता है कि अपनी बेटी को नूरपुर जाकर ढूँढ़ लो तो वे दोनों सिर झुका देते हैं तथा बार–2 बाबू के कहने पर ब्राह्मणी कहती है *''अब हमारे पास आकर क्या करेगी जी, बुरी वस्तु तो उसके मुँह में उन्होंने पहले से ही डाल दी होगी''* (साहनी, भीष्म 1973: 292)।

प्रकाशो की तरह बहुत सी स्त्रियां थी जिन्हें घर से उठा तो लिया पर किसी ने उनकी खोज खबर न की, कारण उन्हें समाज ने दूषित मान लिया। उन्हें अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। प्रकाशो को मालूम था उसके माता–पिता कमजोर हैं और वे उसे नहीं अपनायेंगे जिस कारण उसने धीरे–2 परिस्थितियों से समझौता कर अल्लाहरक्खा को स्वीकार कर लिया।

आत्मरक्षा और बेवसी का संघर्ष

तमस उपन्यास की पृष्ठभूमि में लेखक ने भारत विभाजन की ऐसी घटनाएं संजोई है जिसमें ऐसे लाखों लोग थे जो या तो मारे गए या अपना घर छोड़ने पर विवश हो गए। ये वे लोग थे जो अलग–2 धर्मों के थे जिनका विभाजन या पाकिस्तान बनने से कोई मतलब न था। बहुत सी औरतों ने आत्मरक्षा के लिए कुएं में जाने दे दी और उनकी लाशें फूल कर कुएं से बाहर आने लगी। कई माताएं अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाए कुएं में छलांग लगाती तो जिनके बच्चे रह जाते अन्य उसे धक्का दे देती। *''सबसे पहले जसबीर कौर कुएं में कूद गई। उसने कोई नारा नहीं लगाया, किसी को पुकारा नहीं, केवल 'वाह गुरू' कहा और कूद गई। उसके कूदते ही कुएं की जगत पर कितनी ही स्त्रियाँ चढ़ गई। हरिसिंह की पत्नी पहले जगत के ऊपर खड़ी हो हुई, फिर उसने अपने चार साल के बेटे को खींचकर ऊपर चढ़ा लिया, फिर एक साथ ही उसे खिंचती हुई नीचे कूद गई। देव सिंह की घरवाली अपने दूध पीते बच्चे को छाती से लगाए ही कूद गई। प्रेमसिंह की पत्नी खुद तो कूद गई, पर उसका बच्चा पीछे खड़ा रह गया। उसे ज्ञानसिंह की पत्नी ने माँ के पास धकेलकर पहुँचा दिया। देखते ही देखते गाँव की दसियों औरतें अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई''(साहनी, भीष्म 1973: 262)।*

इस सब में औरतें इतना मजबूर कैसे हो गई कि उन्हें अपने दूधमुहें बच्चों के साथ कूएं में कूदना पड़ा। ये वे परिस्थितियां थी, जहाँ जान तो जानी ही थी, चाहे वह आबरू लुटाकर जाती या आत्महत्या करके जाती तो फिर इज्जत गंवा कर मरने से बेहतर तो कुएं में छलांग लगाकर मरना था। ऐसा नहीं था कि सभी औरतें आत्महत्या करना चाहती थीं, कुछ ने समय के साथ समझौता कर लिया था। वे अपने तन का सौदा करके भी जान बचाना चाहती थी। मौत के इस महा तांडव ने किसी को भी नहीं छोड़ा।

''यह औरते सामने आई तो चिल्लाने लगी। हरमज़ादी कहे जा रही थी, मुझे मारो नहीं, मुझे तुम सातों अपने पास रख लो, एक–एक करके जो चाहो कर लो। मुझे मारो नहीं''

''फिर?''

''फिर क्या? अज़ीजे ने सीधा खंजर उसकी छाती में मारा। वहीं खत्म हो गई''(साहनी, भीष्म 1973: 258)।

ये वो बेवसी थी जिसके लिए सब सहन करने को तैयार थी। एक तरफ ऐसी औरतें थी जो मरने की भीख मांग रही थी पर उन्हें मौत अपनी आबरू को गंवा कर मिल रही थी दूसरी तरफ वे थी जो जिंदा रहने के लिए भीख मांग रही थी लेकिन उनके अलग–2 अंगों को काट–काट दर्दनाक मौत दी जा रही थी।

इन सबके बीच में एक ऐसा द्वेष, हिंसा, नफरत, संदेह का बीज पनपा तो एक विशालकाय वृक्ष बन गया जिसकी जड़े 78 वर्षों बाद भी जैसी की तैसी धरती को जकड़े है। इन सब में राजनैतिक दलों ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। देश विभाजन का समय वो समय चल रहा था जब समझदार लोगों ने नासमझी की तथा आम लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। जनरैल आम आदमी होकर कहता है कि *'हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई–भाई हैं। हमें अंग्रेजों की बातों में नहीं आना चाहिए'*(साहनी, भीष्म 1973: 170)।

निष्कर्ष

विभाजन में सबसे ज्यादा दुर्गति महिलाओं की हुई है। भारत विभाजन ने जिस त्रासदी को उत्पन्न किया उस दर्द को सहन करना हिन्दी साहित्यकारों के लिए कठिन था। कई महिलाओं को खुले बाजारों में बेच दिया गया। जिन औरतों को उठाया गया वो न अपने घर वापिस आ सकी और न ही उन्हें जिन्होंने उठाया उन्होंने अपनाया। गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करवाने पर मज़बूर किया गया तथा जिन महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया उन बच्चों को अवैध माना गया। नारी को देवी शक्ति का स्वरूप माना जाता है लेकिन आज तक समाज ने उसे कमजोर ही समझा और अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए उस पर अत्याचार किए। विभाजन के लिए राजनैतिक प्रपंच पुरुषों ने किए अलग देश की मांग उनकी स्वार्थकता के लिए हुई परन्तु इसके घातक परिणाम नारी जाति व कमजोर वर्ग को सहन करने पड़े।

संदर्भ ग्रंथ सूची

साहनी, भीष्म 1973: तमस, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (2017)।

आई.एस.एस.एन. संख्या : **3048–8664**
ग्लोकल दृष्टि ***GLOCAl DRISHTI***
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 13–18

मॉरीशस में हिन्दी का स्वरूप और भविष्य

कल्पना लालजी*

मॉरीशस में हिंदी के स्वरूप को अगर जानना चाहते हैं तो इतिहास में झाँके बगैर हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। अब जब हम ऐतिहासिक तथ्यों को उकेरते हैं तो जो जानकारी हमारे हाथ लगती है वह चौंकाने वाली तो है ही पर आज यह सर्वविदित भी है कि उपनिवेशवादी शासकों ने एग्रीमेंट के तहत और बेहतर जीवन के स्वप्न दिखा भोले–भाले लोगों को बड़ी संख्या में मॉरीशस, ट्रिनिडाड, गयाना, फिजी आदि देशों में लाया गया था जहाँ उन्हें खेतों में जानवरों की तरह जोता गया था। उनकी दु:ख भरी कहानियाँ सुनकर आज भी हमारे रौंगटे खड़े हो जाते हैं।

सन 1834 में भारत से ऐसे ही मजदूरों की पहली खेप "सारा" नामक जहाज से पहली बार के लिए मॉरीशस के कुली घाट पर उतरी थी, जिसे 2016 में यूनेस्को द्वारा "अप्रवासी घाट" विरासत और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। वे बेचारे इन देशों में असहाय कुलियों के रूप में खेतों में नौकरी करने के लिए लाये गए थे। 1834 से 1924 के मध्य लगभग साढ़े चार लाख भारतीयों को मॉरीशस लाया गया। उपनिवेशवादी ताकतों ने उन गरीब और लाचार लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा कर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया और उनकी मेहनत का पूरा लाभ उठाया। अधिकतर मजदूर बिहार प्रांत से आये थे और वे भोजपुरी भाषी थे तो यह स्पष्ट है कि मॉरीशस में हिन्दी का विकास भी भोजपुरी के माध्यम से ही संभव हुआ होगा। अर्थात मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि मॉरीशस में हिन्दी का इतिहास लगभग डेढ़ सौ वर्षों का है तो आइये हम भी यही मान कर चलते हैं या यूँ भी कहा जा सकता है कि उस काल को हम हिन्दी भाषा का बाल्यकाल कह कर भी पुकार सकते हैं।

सन 1901 में महात्मा गाँधी जी का मॉरीशस आना और यहाँ के लोगों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना, साथ ही उनके द्वारा दी गई राजनीति के महत्व की सीख ही यहाँ के निवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी । हिंदी भाषा को विकसित करने में 1907 में मणिलाल डॉक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने "हिन्दुस्तानी" का प्रकाशन गुजराती और अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में भी किया जो मॉरीशस का पहला हिन्दी समाचार पत्र बना। यूँ कहिए कि इस तरह हिन्दी साहित्य का बीज बोया गया था जिसने धीरे–धीरे हिन्दी के प्रति उनकी रूचि को बढ़ाया और इस तरह अपने अप्रवासी भारतीय भाईयों को वे अपनी भाषा हिन्दी के और भी करीब ले आये। इसके अलावा उनके ज्ञानवर्धन और भारतीय साहित्यकारों के मार्गदर्शन हेतू उन्होंने भारत से अनेक पत्र–पत्रिकायें

---

*लामारी रोड वाक्वा, मॉरीशस, फोन: 23057133341, ईमेल: kalpanal2008@yahoo.com

भी मँगवाई, जिससे मॉरीशस में हिन्दी भाषा के ज्ञानभंडार का नव निर्माण आरंभ हुआ। इन पत्रिकाओं से अभिभूत होकर नौजवान पीढ़ी ने जल्द ही कलम स्वयं अपने हाथों में ली और साहित्य में अपनी रुचि दिखानी आरंभ की जो आगे चल कर यहाँ के प्रकाशन की नींव सिद्ध हुई। आपकी ही प्रेरणा से उन लोगों ने अपने बच्चों को भाषा, संस्कृति और संस्कारों से जोड़े रखने के लिए यहाँ बैठकाओं की स्थापना भी की, कहीं पेड़ों तले तो कहीं झोंपड़ियों का इस्तेमाल कर बच्चों को हनुमान चालीसा, प्रार्थनायें व श्लोकों के ज्ञान के साथ–साथ हिंदू धर्म की शिक्षा भी दी जाने लगी। यही कारण है कि हिन्दू धर्म उनकी रगों में बहने लगा जिसने आज तक हिंदू धर्म को इस देश में जीवित रखा है। आइए अब हम मॉरीशस के हिन्दी साहित्य पर प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं। सन् 1923 से सन् 2000 तक मॉरीशस में भारतवंशी हिन्दी के लेखकों द्वारा लगभग तीन सौ पुस्तकें लिखी गई और प्रकाशित भी की गई जिनमें मणिलाल डॉक्टर, पंडित आत्मा राम विश्वनाथ, पंडित काशी नाथ किश्टो, श्री सूरज प्रसाद मंगर भगत, पंडित वासुदेव विष्णु दयाल, श्री जय नारायण दयाल, दयानंद लाल बसंत राय, श्री सोमदत्त बखोरी, डॉक्टर मुनीश्वरलाल चिंतामणि, श्री अभिमन्यु अनत आदि को हम इस श्रेणी में जोड़ते हैं। 1909 से लेकर सन् 2000 के बीच अनेक पत्र–पत्रिकाऐं भी प्रकाश में आई जिनमें 1909 में 'हिन्दुस्तानी', 1920 में 'मॉरीशस इंडियन टाइम्स', 1924 में 'मॉरीशस आर्य पत्रिका' और 'मॉरीशस मित्र', 1929 में 'आर्यवीर', 1933 'सनातन धर्मार्क', 1934 में 'दुर्गा', 1939 'जागृति', 1948 में 'जनता और ज़माना', 1950 में 'आर्योदय', 1953 में 'वर्तमान', 1960 में 'नवजीवन', 1961 में 'समाजवाद', 1964 में 'कांग्रेस', 1969 में 'अनुराग', 1972 में 'आभा', 'दर्पण' और 'प्रभात', 1974 में 'प्रकाश', 1977 में 'वसंत', 1978 में 'शिवरात्रि', 1986 में 'स्वदेश', 1988 में 'इंद्रधनुष', 1992 में 'आक्रोश' और 'पंकज' आदि को सर्वेक्षण के अंतर्गत हम पाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अप्रवासियों को हिंदी से जोड़ने और उनकी अपनी मातृभाषा के करीब लाने में इन पत्र–पत्रिकाओं ने आरंभ से ही एक विशेष भूमिका निभाई है और वे पूर्ण रूप से साहायक भी बनी हैं, तभी तो इनसे प्रेरणा पाकर धीरे–धीरे और भी हिंदी की पत्र–पत्रिकाएँ प्रकाश में आने लगीं और यहाँ के लोग अपनी भाषा से अधिक मात्रा में जुड़ने लगे, हिन्दी सीखने की कोशिश बैठकाओं में जाकर करने लगे और अपने बच्चों को भी हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित करने लगे। मॉरीशस जैसा यह छोटा सा देश हिन्दीमय है जिसकी आत्मा अपनी भाषा और संस्कृति में बसती है। आज भी उसे अपने पूर्वजों पर नाज़ है और यही कारण है कि बैठकाओं का चलन लगभग पाँच पीढ़ियों से चला आ रहा है और यहाँ तीन सौ से अधिक बैठकाओं में पढ़ाई नियमित रूप सरकारी निरीक्षकों की देख–रेख में चल रही है इनकी परीक्षा इलाहाबाद केंद्र से संचालित की जाती है और इन्हें पूरी मान्यता भी प्राप्त है। बच्चे इन बैठकाओं में शनिवार और रविवार को पढ़ने जाते हैं। आइये अब आपको कुछ उन संस्थाओं से मिलवाते हैं जो इस क्षेत्र में जी–जान से कार्यरत हैं और हिन्दी भाषा व भारतीय संस्कृति के संरक्षण में सदैव तत्पर रह कर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहीं हैं।

इस दिशा में हिन्दी से जुड़ी अनेक संस्थायें भाषा के उत्थान के लिए आगे आई हैं। संक्षेप में इस विषय से जुड़ी कल, आज और आने वाले कल की जानकारी के लिए अब हम कुछ उन संस्थाओं की ओर रूख करते हैं जो हिन्दी भाषा के विकास के लिए तन, मन, और धन से सजग रही हैं और अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। मॉरीशस में हिन्दी भाषा को आगे बढ़ाने और उसके साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ 'आर्य सभा मॉरीशस' का रहा है इसे हम हिन्दी प्रचार–प्रसार

की पहली संस्था भी कह सकते हैं। मॉरीशस को हिंद महासागर के मध्य भारतीय संस्कृतियों का केंद्र भी कहा जा सकता है। आर्यसभा की गिनती एक अत्यंत जागरूक और क्रियाशील संस्था के रूप में की जा सकती है जहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और हिन्दी भाषा के आंदोलन सक्रिय रूप से चलते रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है जहाँ आर्य समाज है वहाँ हिन्दी के लिए जागरूकता है। इस समाज ने मॉरीशस में घर–घर हिन्दी बोलने और पढ़ने–पढ़ाने पर अपना ध्यान सदैव केंद्रित किया है। "आर्य पत्रिका" का प्रकाशन 1911 में आरंभ हुआ और 1928 में सभा ने अपना श्रद्धानंद प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर अपने कार्यों में गतिशीलता लाने के लिए पत्र–पत्रिकाओं व पुस्तकों के प्रकाशन पर जोर डाला और उनका वितरण किया। आर्य सभा द्वारा आज भी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और सांयकालीन पाठशालायें चलाई जाती हैं। कह सकते हैं कि आर्योदय पत्रिका की कोशिशों के कारण ही हिन्दी देश में फल–फूल रही है।

ऐसी ही एक और संस्था है हिन्दी प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना जब 12 जून 1926 को हुई थी, उस समय मॉरीशस एक ब्रिटिश उपनिवेश था और उस समय यहाँ धर्म परिवर्तन जोरों पर चल रहा था उससे बचने के लिए और हिंदू जाति व धर्म की रक्षा के लिए पूर्वजों ने यह सक्रिय कदम उठाया। भाषा और संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए गाँव–गाँव में उन्होंने सायंकालीन स्कूल खुलवाये और उन्हीं दिनों 'तिलक विद्यालय' के नाम से धारा नगरी गाँव में (जो आज का मोंताई लोंग ग्राम कहलाता है) शुरु हुआ। बाद में इसे हिन्दी प्रचारिणी सभा के नाम से जाना गया। आपको यह जान कर गर्व होगा कि यह संस्था आज भी कार्यरत है और हिन्दी पठन–पाठन का मुख्य केंद्र भी माना जाता है इसकी शाखाएं देश के कोने–कोने में फैली हुई हैं। मॉरीशस में जितने भी हिन्दी विद्वान हैं उनका इस सभा से किसी न किसी रूप में कोई न कोई संबंध अवश्य रहा है। इस सभा ने 1935 से 1938 के बीच हस्तलिखित पत्रिका "दुर्गा" छापी थी जो आज सभा की धरोहर समझी जाती है, सन् 2018 में 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर इसका पुनः प्रकाशन व लोकार्पण किया गया। "नवजीवन" नामक पत्र भी सभा ने निकाला था और आजकल सभा की "पंकज" पत्रिका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सभा देश भर में प्राथमिक एवं माध्यमिक सायंकालीन तथा सप्ताहांत के स्कूल चलाती है। इसके अतिरिक्त इस सभा ने साहित्यिक परीक्षाओं पर भी ध्यान केन्द्रित कर साहित्य के विकास में अपना पूरा योगदान दिया है। इन कार्यों के साथ–साथ देश के नये साहित्यकारों को प्रकाश में लाने के लिए निबंध, कहानी, कविता, लघुकथा लेखन व साहित्यिक प्रतियोगितायें कर नौजवानों को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया वह आज भी कर रही हैं। आपका आदर्श वाक्य है "भाषा गई तो संस्कृति भी गई"।

अब हम जिस संस्था का जिक्र करने जा रहे हैं वह है "मॉरीशस हिन्दी लेखक संघ" है जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1961 में हुई थी और जो समय–समय पर अपनी गतिविधियाँ और प्रकाशन करती आ रही है। अभी हाल ही में इस संस्था ने अपने 60 वर्ष पूरे कर आर्य सभा में अपनी वर्ष गाँठ के अवसर और भारत की स्वतंत्रता के पछत्तरवें वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन भी किया था। इस संघ के मुख्य उद्देश्य हैं – हिन्दी भाषा और संस्कृति की रक्षा करना, हिन्दी साहित्य का विकास करना जिसके लिए यह संघ समय–समय पर अपनी गतिविधियाँ–विभिन्न प्रतियोगिताऐं, रेड़ियो कार्यक्रम करना और प्रतिष्ठित लेखकों व कवियों की जयन्तियाँ मना कर हिन्दी के प्रति अभिरुचि पैदा करना आदि–करती आ रही है। यही इसका मुख्य

उद्देश्य है जिसे यह बखूबी पूरा भी करतें हैं। समय–समय पर आपके प्रकाशन आते रहते हैं जिनमें गाँधी स्मृति, इंद्र धनुष, आशा दीप विदेशों में हिन्दी में बहुचर्चित हैं।

तीन जून सन् 1970 को भारत और मॉरीशस के संबंधों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी के करकमलों द्वारा रखी गई थीं। उनका लक्ष्य भारतीय भाषाओं और संस्कृति का संरक्षण था। हिन्दी लेखन शिक्षा और संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए भारतीय भाषा विभाग, सृजनात्मक लेखन, प्रकाशन विभाग, भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग तथा संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के विभाग भी स्थापित किए गए। जिनके द्वारा प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के लिए मॉरीशसीय लेखकों और भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से अपनी ही प्रेस में छापी गई। साथ ही उच्च–स्तरीय त्रैमासिक 'वसंत' व बाल पत्रिका 'रिमझिम' का भी प्रकाशन आरंभ हुआ। यह संस्थान समय–समय पर उच्च कोटि के साहित्यकारों के द्वारा कार्यशालायें कर विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रेरित करता है। महात्मा गाँधी संस्थान आज भी अपनी गतिविधियों द्वारा हिन्दी भाषा व संस्कृति के उत्थान में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है। आपका अपना पुस्तकालय व प्रिंटिंग प्रेस भी है।

भारत से बाहर मॉरीशस वह प्रमुख देश है जहाँ हिन्दी भाषा एवं साहित्य पूर्ण रूप से फल–फूल रहे हैं सन् 1994 में भूतपूर्व उपराष्ट्रपति सर रवीन्द्र घरभरन जी के संरक्षण में हिन्दी संगठन की स्थापना की गई थी जिसका 12 दिसम्बर 1994 में औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस संस्था का उद्देश्य हिन्दी का विकास और संस्कृति की रक्षा करते हुए सर्वजन हिताय के लिए कार्य करना है तभी तो इनका आदर्श वाक्य "हिन्दी ज्ञान हमारा मान" इनके उद्देश्यों पर खरा उतरता है। जिस तरह एक व्यक्ति अकेले विकास नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार एक संस्था दूसरी संस्था से मिलकर ही प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकती है इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रख यह संगठन भी अन्य संस्थाओं को साथ ले प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि हिन्दी संगठन भी अन्य संस्थाओं के समान ही हिन्दी के क्षेत्र में लेखन, वाचन पर ध्यान केन्द्रित कर अपनी गतिविधियों का चयन करती हैं। विद्यार्थियों के साथ–साथ वृद्धों तक को अपनी गतिविधियों में शामिल कर उन्हें भी मौका देने से नहीं चूकती। हिन्दी भाषा को बच्चों से जोड़ने के लिए संगठन पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्व विद्यालयी स्तर पर कहानी कथन, कविता पठन, वाचन प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान करती है। साहित्यकारों का सम्मान, पुस्तकों का लोकार्पण, कवि सम्मेलन आदि गतिविधियाँ कर भाषा के उत्थान के लिए सदैव आगे बढ़ कुछ नया करने को यह संस्था तत्पर रहती है। हिन्दी भाषा का कोश खाली न हो इस कारण संगठन का अपना एक पुस्तकालय है जहाँ रोचक, ज्ञानवर्धक एवं साहित्यिक सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। "ज्ञान सरोवर" नामक रेड़ियो कार्यक्रम इस संगठन द्वारा प्रत्येक शनिवार सुबह को प्रस्तुत किया जाता है।

इंदिरा गाँधी भारतीय संस्कृति केंद्र विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय दिवस अर्थात 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, गाँधी जयंती, हिंदी दिवस, स्थापना दिवस आदि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंदिरा गाँधी भारतीय संस्कृति केंद्र अपने परिसर में आयोजित कार्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानों और साहित्यिक मंचों के लिए मॉरीशस–भारत मित्रता सोसायटी, सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन, हिंदी भाषी संघ, उर्दू भाषी संघ और देश के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों के साथ स्वयं को जोड़ता है। केंद्र हिंदी साहित्य संगोष्ठी का आयोजन करता है। केंद्र के मासिक कार्यक्रमों के लिए भारतीय महिला संघ, भारतीय–मॉरीशस सांस्कृतिक संगठनों,

भारतीय पूर्व छात्र संघ और साहित्य सम्मान गोष्ठी कार्यकलापों के लिए अपना स्थल उपलब्ध कराता है। यह मॉरीशस के लेखकों द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के अनावरण के लिए समारोह आयोजित करता रहा है। यह कवि–सम्मलेन की भी व्यवस्था करता है जहाँ मॉरीशस के कवि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी कविताओं का पाठ करते हैं। केंद्र में पेंटिंग आदि की प्रदर्शनी के लिए प्रदर्शनी कक्ष है तथा एक आयुष सेल (आयुर्वेद और होम्योपैथी) भी है। इस वर्ष भारत की आजादी के अमृत महोत्सव को बड़ी धूम–धाम से मनाया गया। भारतीय भोजन मेला, गजलों की शाम के साथ–साथ अनेक कार्यक्रमों का यहाँ के लोगों ने लुत्फ़ उठाया।

मॉरीशस ही एक ऐसा देश है जहाँ तीन विश्व हिन्दी सम्मेलन हुए हैं। विश्व हिन्दी सचिवालय की संकल्पना तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम जी ने की थी और जिसका निर्णय प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के दौरान 1975 में नागपुर में इस संस्था को मॉरीशस में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया जो सर्व सम्मति से स्वीकार भी किया गया। इस संकल्पना को वास्तविकता का रूप देने के लिए भारत और मॉरीशस की सरकारों के बीच 20 अगस्त 1999 को एक समझौता किया गया जिसके लिए 12 नवम्बर सन् 2002 को मॉरीशस के मंत्रिमंडल द्वारा विश्व हिन्दी सचिवालय अधिनियम पारित कर भारत तथा मॉरीशस की सरकार के बीच 21 नवम्बर 2001 द्विपक्षीय करार सम्पन्न किया गया। 11 फरवरी सन् 2008 से यह कार्यालय मॉरीशस में कार्यरत है। विश्व हिंदी सचिवालय के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं–

1. हिन्दी को विश्व भाषा के रूप में प्रोन्नत करना।
2. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में सघन प्रयास करना।
3. हिन्दी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी, विचार विमर्श, कवि सम्मेलन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
4. हिन्दी के विद्वानों को सम्मानित/पुरस्कृत करना।
5. हिन्दी में शोध कार्य के लिए केंद्र स्थापित करना।
6. अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना करना।
7. हिन्दी पुस्तक मेले का आयोजन करना।

यह संस्था आज इस छोटे से देश में सभी के लिए नये द्वार खोल रही है विद्यार्थियों और हिन्दी प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समय–समय पर वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं व शिक्षा से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा विश्व हिन्दी साहित्य और विश्व हिन्दी पत्रिका के साथ एक त्रैमासिक पत्र का भी प्रकाशन सचिवालय करता है। इस वर्ष पुस्तक लोकार्पण, व्यंग्य लेखन व स्वरचित गीतों का आयोजन सफलता पूर्वक हुआ।

मॉरीशस में हिन्दी भाषा के विकास और उसके प्रचार–प्रसार में रेडियो और टी० वी० की भी महत्वपूर्ण भूमिका जैसे विश्व भर में रही है ठीक उसी प्रकार मॉरीशस में भी राष्ट्रीय प्रसारण केंद्रों ने यहाँ भी कोई कसर नही छोड़ी। मॉरीशस में रेडियो का प्रसारण केंद्र 1944 में आरंभ हुआ था जिससे पहले तो भजन, कविता पाठ, वेद मंत्र और समाचारों से उसकी लोकप्रियता बढ़ी। फिर धीरे–धीरे फिल्मों के चलते बच्चे तो बच्चे बूढ़े भी उसके दीवाने हो गए। ऐसे में भला हिन्दी को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता था और अब बची–कुची कमी मोबाईल, लैपटॉप, टेबलेट ने आकर पूरी कर

दी है। पहले तो हम सुनते थे कि चीनी दुकानदार भोजपुरी और टूटी–फूटी हिन्दी में बात करते थे अब देखते हैं कि स्कूलों में चीनी व अन्य भाषाओं से जुड़े बच्चे तक हिन्दी गाने मधुर स्वरों में गुनगुनाते नज़र आते हैं। इस वर्ष भारत के विभिन्न राज्यों पर आधारित "दर्शन" नामक कार्यक्रम ने देश में धूम ही मचा दी थी।

मॉरीशस में पिछले डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास में जिस प्रकार से हिंदी भाषा ने प्रगति की है उससे यह तो निश्चित ही है कि इसका प्रचार–प्रसार भविष्य में भी होता रहेगा। हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि जिस देश में इतनी सारी संस्थायें तन, मन, धन से हिंदी की सेवा करती हों, विश्वविद्यालयों तक में हिन्दी की पढ़ाई होती हो, जहाँ बैठकायें आज भी चलती हों, घर–घर पूजा–पाठ और त्योहार मनाये जाते हों वहाँ हम हिन्दी के भविष्य को असुरक्षित तो नहीं मान सकते फिर भी आँखें बंद करके गहरी नींद में सो भी तो नहीं सकते इसलिये जागते रहो की आवाजें तो लगानी ही होंगी, सावधानियाँ भी लेनी होंगी तभी हिन्दी का निरंतर विकास भविष्य में भी हो पायेगा।

आई.एस.एस.एन. संख्या : **3048–8664**
ग्लोकल दृष्टि ***GLOCAl DRISHTI***
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 19–32

प्रवासी भारतवंशियों का भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार में योगदान : त्रिनिदाद एवं टुबैगो के विशेष संदर्भ में

सुनीता पाहूजा*

किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। देश के नागरिकों का खान–पान, रहन–सहन, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनके रीति–रिवाज़, धर्म, दर्शन, कला इत्यादि में ही देश की संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है।

भारत का एक अपार जनसमूह देश की सरज़मीं से दूर अनेक अन्य देशों में बसा हुआ है। इस समूह में वे लोग शामिल हैं जो भिन्न–भिन्न उद्देश्यों से विभिन्न देशों में बसे हुए हैं – कुछ स्थायी रूप से और कुछ अस्थायी। इनमें से कुछ हाल ही के वर्षों में वहाँ जा बसे हैं और कुछ वे हैं जिनके पूर्वज अंग्रेज़ों द्वारा भारत से ले जाए गए मज़दूर थे। इन सभी भारतवंशियों को 'प्रवासी' या 'डायस्पोरा' कहा जाता है।

भारत के लोग कब–कब और किन–किन देशों में जाकर बसे इसका सविस्तार वर्णन प्रख्यात समाज–भाषा वैज्ञानिक डॉ० सुरेंद्र गम्भीर जी ने अपनी संपादित पुस्तक 'हिंदी की कहानी' में कुछ इस प्रकार किया है:

"भारत से लोगों का दूसरे देशों में जाकर बसना कम से कम दो हज़ार वर्षों से चला आ रहा है। लगभग आठ समुदाय अलग–अलग काल में भारत से जा कर दूसरे देशों में बस गए। ईसा–पूर्व दूसरी शताब्दी में तमिल–भाषी श्रीलंका गए, जिप्सी नाम से विख्यात रोमनी लोग ईसा–पूर्व

---

*दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातकोत्तर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हिंदी स्नातकोत्तर, अन्नामलई विश्वविद्यालय से बी० एड०। अगस्त 1984 से 1994 तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत। वर्ष 1994 से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में वरिष्ठ अनुवादक और तदोपरांत सहायक निदेशक के पद पर। वर्ष 2010 से 2013 तक द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति), भारतीय उच्चायोग, त्रिनिदाद एवं टुबैगो, वेस्ट इंडीज जुलाई 2010 से जुलाई 2013 तक विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर, भारतीय उच्चायोग, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड एवं टुबैगो, वेस्ट इंडीज में द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति) के पद पर रहते हुए हिंदी एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य किया, इस दौरान द्विमासिक गृह–पत्रिका 'यात्रा' का सम्पादन कार्य किया। महात्मा गाँधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान में कुछ माह तक कार्यकारी निदेशक और एक वर्ष तक उप–निदेशक के तौर पर कार्य किया। वर्ष 2020 से 2023 तक द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति), भारतीय उच्चायोग, मॉरीशस में प्रतिनियुक्ति पर, अक्तूबर 2020 से अक्तूबर 2023 तक विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर, भारतीय उच्चायोग, पोर्ट लुई, मॉरिशस में द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति) के पद पर रहते हुए हिंदी एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य किया। इस दौरान विश्व हिंदी सचिवालय की समितियों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया, रेडियो, टेलिविजन पर अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया व टेलिविजन पर लगभग 20 साक्षात्कार लिए। समय–समय पर पत्र–पत्रिकाओं में लेख व कविताएँ प्रकाशित। 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद से सेवानिवृत्त।

चौथी शताब्दी और ग्यारहवीं शताब्दी के दौरान अफ़गानिस्तान की तरफ से टर्की होते हुए योरोप, अमेरीका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया में फैल गए। भारत मूल के लोग पाँचवी शताब्दी और फिर बीसवी शताब्दी में इंडोनेशिया गए। उन्नीसवीं शताब्दी में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, हांगकांग आदि, 1834–1917 के दौरान शर्तबंद श्रमिक मॉरिशस, रियूनियन, गयाना, त्रिनिदाद, सूरिनाम, ग्वाडालूप, फीज़ी, दक्षिण अफ्रीका आदि, उन्नीसवीं शताब्दी में पूर्वी अफ्रीका, उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में नेपाल और बीसवीं शताब्दी में योरोप, अमेरीका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया आदि देशों में भारतीयों का भारत से विदेश–गमन और प्रवासन हुआ। सभी समुदायों ने अपनी संस्कृति के कुछ अवयवों का पीढ़ी–दर–पीढ़ी संरक्षण किया है। इन संरक्षित उपकरणों में हैं धर्म, खाना और मनस्पटल पर अंकित कुछ संस्कार। परंतु भाषा का उपकरण वे हर जगह नहीं बचा पाए" (डॉ० सुरेन्द्र गंभीर, हिंदी की कहानी, 2017)।

वर्ष 2018 में मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने उद्‌घाटन संबोधन में कहा "भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब भाषा लुप्त होने लगती है तो संस्कृति के लोप का बीज उसी समय रख दिया जाता है"।

निस्संदेह, सुदूर बसे प्रवासी भारतीय भारत की संस्कृति और भाषा दोनों के संरक्षण की दिशा में प्रयासरत हैं। तथापि यह भी सत्य है कि आधुनिक डायस्पोरा की स्थिति उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज़ों द्वारा भारत से, कमोबेश रूप से जबरन, ले जाए गए भारतीय मज़दूरों से सर्वथा भिन्न है। गिरमिटिया मज़दूर या कुली कहे जाने वाले इन लोगों को प्रताड़ित और शोषित किया जाता था। बावजूद इसके, इनके वंशजों ने आज उन देशों में अपना सुदृढ़ स्थान बना लिया है। कठिन व कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए भी पीढ़ी–दर–पीढ़ी, प्रगति की राह चलते हुए, इन भारतवंशियों ने भारतीय संस्कृति का प्रचार–प्रसार इतनी प्रबलता से किया कि आज इन देशों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म की ऐसी झलक देखने को मिलती है कि भारत से दूर होते हुए भी इन देशों में भारतीयता की महक चहुं ओर महसूस की जा सकती है।

चाहे आधुनिक डायसपोरा हो या वर्षों पूर्व विदेशों में जा बसे गिरमिटया मज़दूरों के वंशज, ये सभी विश्व के विभिन्न भागों में रहते हुए भी अपने देश की सांस्कृतिक परम्पराओं को तो बखूबी निभाते ही हैं अपने प्रवास के देशों की धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वहाँ की परिस्थितियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन देशों के विकास एवं समृद्धि में इनका उल्लेखनीय योगदान रहता है। उनके इसी योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से वर्ष 2003 से हर वर्ष 7 से 9 जनवरी तक प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस माना जाता है क्योंकि यही वह दिन है जब स्वाधीनता की ख़ातिर गाँधी जी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे।

आज अनेक राष्ट्रों के शासकीय पदों पर भी भारतवंशी पदासीन हैं जिनकी लम्बी फ़हरिस्त है। त्रिनिदाद और टुबैगो की प्रधानमंत्री रह चुकी श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर को पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है।

विश्वपटल पर भारत का परचम फहराने वाले अन्य लोगों की सूची में गूगल के सी० ई० ओ० सुंदर पिचाई से लेकर नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हरगोबिंद खुराना और माइक्रोसॉफ़्ट के सी० ई० ओ० सत्या नाडेला से लेकर विश्व के प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा संचालक जैसे अनेक नाम शामिल हैं। यह

सूची अनंत है। विश्व में भारत की संस्कृति का प्रसार करने वाले ये लोग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर भी इस दिशा में कार्यरत हैं, चाहे वे फिल्म निर्माता हों, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, गायक, नाटककार, रंगमंचकर्मी, चित्रकार, फोटोग्राफर हों या फिर वे डॉक्टर, वकील या व्यापारी ही क्यों न हों। ये भारतवंशी समस्त विश्व में भारत का तिरंगा निरंतर ऊँचा करने के मार्ग पर अग्रसर हैं।

बहुल–संस्कृति देश होने के बावजूद भारत की प्राचीनतम व सामाजिक संस्कृति अपनी सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता जैसी विशेषताओं के कारण विश्व में एक अलग स्थान रखती है। प्रवासी भारतीय जिन देशों में रहते हैं उन–उन देशों की संस्कृतियों के प्रभाव और भारत में पसर चुकी आधुनिकता के बावजूद भारत की संस्कृति, अपने समन्वयवादी और उदारतावादी दृष्टिकोण के चलते, लगातार समृद्ध ही हो रही है। भारतीय संस्कृति के इस वृक्ष पर कितने ही नव–पल्लव उगते जाएँ, इसकी परम्परा की जड़ें निरंतर पोषित और अधिक मज़बूत ही होती जाती हैं।

मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद, सूरिनाम, ग्वाडालूप, फीज़ी, दक्षिण अफ्रीका आदि वे देश हैं जहाँ बसे भारतवंशी गिरमिटिया मजदूरों की चौथी–पाँचवी पीढ़ियाँ हैं। भारत से इन लोगों का जुड़ाव इतना गहरा है कि ये अपने–अपने अप्रवास के देशों को माँ का दर्जा देते हुए अपनी मदरलैंड कहते हैं तो भारत को दादी माँ मानते हुए ग्रैंडमदर पुकारते हैं। भारतीय संस्कृति मानो इन भारतवंशियों की रगों में खून की तरह दौड़ती है। उनकी आत्मा तो मानो भारत में ही बसती है।

इन सब का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे तब हुआ जब विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर मेरा चयन द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति) के पद पर हुआ, वर्ष 2010 से 2013 तक के लिए भारतीय उच्चायोग, त्रिनिदाद और टुबैगो में और वर्ष 2020 से 2023 तक के लिए भारतीय उच्चायोग, मॉरीशस में। इन दोनों देशों में मुझे जब 3–3 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला तो इसी बीच मुझे सूरीनाम और फ़ीजी भी जाने का मौका मिला और मैंने महसूस किया कि इन देशों में भारतीयता इतनी गहराई से रची–बसी हुई है कि अधिकतर आपका भारत में होने का अहसास बना रहता है। फिलहाल, मैं अपने अनुभवों को त्रिनिदाद और टुबैगो तक सीमित रखते हुए आगे बढ़ती हूँ।

त्रिनिदाद और टुबैगो भी भारत की तरह बहुल–संस्कृति समाज है। देश के हर भाग में विभिन्न संस्कृतियों का संगम दिखाई देता है और यह सुखद अनुभूति आपको तब होती है जब आपको कई मील दूर बसे इस देश में सभी धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं फिर चाहे ये मंदिर हों, मस्जिद, गिरिजाघर या कि गुरुद्वारा।

बात शुरू करते हैं मंदिरों से – 'टेम्पल इन द सी' समुद्र के बीचों–बीच बना एक ऐसा मंदिर है जो इस कहावत को सिरे से ही नकार देता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी कोई एक अकेला व्यक्ति कैसे असम्भव कार्य को भी संभव कर दिखा सकता है – यह मंदिर इसकी जीती–जागती तस्वीर है। औपनिवेशिक अधिकारियों और गन्ना–खेतों के मालिकों ने जब उस देश की जमीन पर मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं दी तो शिवदास साधु ने समुद्र के बीच यह मंदिर बनाने का फैसला कर लिया, वहाँ तो किसी की मलकीयत थी नहीं! गरीब गिरमिटिया मज़दूर शिवदास साधु साइकिल पर बाल्टी में पत्थर भर–भर कर ले जाते रहे और इस तरह खुद अकेले ही 25 साल में यह मंदिर तैयार किया जिसे आज उस देश के प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है और सभी देशों के सैलानी इस अजूबे को देखने जाते हैं। इसका सुंदर–सा गुंबद और इस तक

पहुँचने के लिए बनाया गया पुल साधारण होते हुए भी अत्यंत आकर्षक हैं और मंदिर के आस–पास और भीतर अत्यधिक शांति का अनुभव होता है।

त्रिनिदाद के अन्य प्रमुख मंदिरों में एक और मंदिर है 'दत्तात्रेय योग केंद्र, हनुमान मंदिर' जो करापिचाइमा में स्थित है। इसका अद्भुत सौंदर्य और नक्काशीदार संरचना देखते ही बनती है। यूँ तो त्रिनिदाद और टुबैगो में भारतीय वास्तुशिल्प में उत्तर भारत (आर्य) की ही प्रधानता है तथापि हनुमान मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुशिल्प की भव्यता का अद्भुत नमूना है। प्रवेशद्वार के दोनों ओर हाथी की दो विशालकाय मूर्तियाँ हैं। मंदिर के अंदर छत पर रंग–बिरंगी चित्रकारी और मूर्तिकाएँ आपको अनायास ही आकर्षित करती हैं और आप गर्दन थक जाने के बावजूद अपनी नजरें वहाँ से हटाना नहीं चाहते।

ब्रह्मा, विष्णु और महेश – तीनों की ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय के इस मंदिर की संस्थापना संत श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी द्वारा वर्ष 1981 में की गई थी। वर्ष 1990 में मंदिर के साथ ही एक सार्वजनिक प्रार्थना कक्ष बनाया गया। जून 2003 में इसका और अधिक विस्तार किया गया। इसी वर्ष 9 जून को यहाँ हनुमान जी की 85 फुट ऊँची मूर्ति की स्थापना की गई जो पश्चिमी गोलार्ध में सबसे ऊँची मूर्ति है। हनुमान जी की एक अन्य विशालकाय मूर्ति डीगो मार्टिन के स्वाहा मंदिर में भी है। त्रिनिदाद में स्वाहा के अनेक मंदिर हैं।

मंदिरों की श्रृंखला में एक और खूबसूरत मंदिर है। दक्षिण त्रिनिदाद के गेस्परिलो के हार्डबार्गेन में बना 'त्रिवेणी मंदिर'। तीन गाँवों की सीमाओं पर स्थित होने के चलते भारत में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम स्थल की तर्ज़ पर इसका यह नाम पड़ा। इसकी गगनचुंबी मीनारें इसकी सुंदरता में चार चाँद लगाती हैं।

भारत की तरह ही वहाँ भी सभी देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना की जाती है। देश के हर भाग में आपको मंदिर ज़रूर मिलेंगे, फिर चाहे वह राम मंदिर हो, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, देवी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या फिर कृष्ण मंदिर (इस्कॉन)। लगभग दो सौ के करीब मंदिर हैं। अनेक हिंदू समूह भी हैं जैसे सनातन धर्म महा सभा, स्वाहा, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, चिन्मय मिशन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इस्कॉन आदि। युवा वर्ग भी सभी धार्मिक गतिविधियों में बढ़–चढ़कर रुचि लेता है जिससे समाज के निर्माण में नित नवीनता का संचार होता रहता है।

त्रिनिदाद और टुबैगो के लगभग हर क्षेत्र में मस्जिद और गिरिजाघर भी हैं। देश में 100 से अधिक गिरिजाघर हैं। त्रिनिदाद में 85 से अधिक मस्जिद हैं और टुबैगो में 2–3 हैं। देश में अनेक इस्लामिक संगठन भी हैं। ईद–उल–फितर के दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। ब्रह्मकुमारी आध्यात्मिक केंद्र हैं तो यहूदी और बहाई समूह भी हैं।

भारत सरीखी 'विविधता में एकता' भी बखूबी देखने को मिलती है। किसी भी धर्म या समूह का कोई भी त्यौहार या उत्सव हो, जनसमूह में सभी शामिल होते हैं। त्यौहार कोई भी हो, माहौल देखकर किसी को भी यह भ्रम हो सकता है कि वह भारत के ही किसी कोने में है। मनाए जाने वाले त्यौहारों में प्रमुख त्यौहार हैं : दीवाली, फगवा (होली), रामलीला, कार्तिक स्नान, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, होसे, ईद–उल–फ़ितर और ईद–उल–अधा।

देश में कार्निवल के बाद सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला दीवाली का त्यौहार देश के लगभग सभी भागों में मनाया जाता है, गाँवों में आज भी पारम्परिक तरीके से और शहरी इलाकों

में कुछ बदले हुए रूप में। वर्ष 1966 में सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिए जाने के बाद से तो यह एक राष्ट्रीय पर्व का रूप ले चुका है। नौ दिन तक चलने वाली रामलीला की समाप्ति के बाद दशहरा और दशहरे के बाद नौ रातों तक दीवाली के कार्यक्रम चलते हैं जिनकी शुरुआत हर शाम यज्ञ और कथा से की जाती है। 10वें दिन कार्तिक मास की अमावस्या को पूरे जोश–ओ–ख़रोश के साथ दीवाली मनाई जाती है – घरों में, आँगन में, चौबारों पर, सड़कों पर, पेड़ों पर – सच पूछें तो हर जगह नारियल के तेल के दिए जलाए जाते हैं – पूरा देश जगमगा उठता है। त्रिनिदाद की दीवाली का विशेषाकर्षण है बाँस पर जलते दिए! बाँस को लंबाई में चीर कर उसे अलग–अलग तरह के सुंदर आकार दिए जाते हैं और फिर उनमें दिए जलाकर रखे जाते हैं। इनकी छटा देखते ही बनती है। लोग प्रकाश के इस उत्सव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए सड़कों पर पैदल या अपने वाहनों पर निकलते हैं। भारत की तरह ही शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तरह–तरह के पकवान बनाए जाते हैं, रिश्तेदारों और मित्रों के बीच मिठाइयों और उपहारों का आदान–प्रदान किया जाता है। प्रसाद, कुर्मा, बर्फ़ी, पेढ़ा, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन और खीर बनाकर बाँटे जाते हैं। रंग–बिरंगे कपड़ों, प्लास्टिक, गुब्बारों, बल्बों इत्यादि से घरों, दफ़्तरों, मंचों की सजावट की जाती है, रंग–बिरंगी झंडियाँ लगाई जाती हैं।

वर्ष 1986 में शगुवानाज़ में नेशनल काउंसिल ऑफ इन्डियन कल्चर (एन० सी० आई० सी०) के तत्वाधान में दीवाली के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इन्हें दीवाली नगर नाम दिया गया था। तब से नौ रातों तक चलने वाले ये विस्तृत कार्यक्रम एन० सी० आई० सी० द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, यहाँ तक कि एन० सी० आई० सी० और दीवाली नगर एक–दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। मंच पर भारतीय नृत्य, संगीत आदि के अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और देश के मंत्रीगण भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा इस मंच से सारे देश को संबोधित किया जाता है। इस अवसर पर भारत से भी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा, कलाकारों के समूह भेजे जाते हैं।

दीवाली नगर में अनेक स्टॉल लगाए जाते हैं जहाँ लोग भारतीय कपड़े, आभूषण, पर्स, प्रसाधन सामग्री, खाने–पीने की चीज़े और मिठाइयाँ आदि खरीदते हैं। हाथों में मेहंदी लगाने के स्टॉल पर भी भारी भीड़ देखी जा सकती है। देश के अलग–अलग हिस्सों से लगभग 20,000 लोग इन दिनों हर शाम दीवाली नगर आते हैं।

दीवाली की यह रौनक कोई बीस दिन पहले रामलीला की शुरुआत के साथ ही दस्तक दे देती है। त्रिनिदाद में 36 रामलीला समूह हैं जो मंच पर या मैदान में राम कथा का मंचन बड़े मनोयोग से करते हैं। रामलीला की प्रस्तुति में हर आयु, हर वर्ग के लोग बढ़–चढ़ कर भाग लेते हैं। वर्ष 2007 में नेशनल रामलीला काउंसिल ऑफ़ त्रिनिदाद एंड टुबैगो ने 'त्रिनिदाद और टुबैगो में रामलीला के 127 वर्ष – एक यादगार' शीर्षक से एक पत्रिका निकाली थी जिसका उद्देश्य सभी 36 रामलीला समूहों को एक ही छाते के नीचे लाना था।

ये 36 समूह अश्विन मास के नवरात्रों में अलग–अलग दिनों पर देश के अलग–अलग भागों में रामलीला का आयोजन करते हैं जो आमतौर पर नवरात्रि के पहले शुक्रवार से शुरु होकर अगले 10 दिन तक चलती है। यह श्रीराम के जन्म से शुरु होकर, कथा के विभिन्न सोपानों को पार करती हुई, आखिरी दिन रावण का पुतला जलाए जाने के साथ समाप्त होती है। देश के निवासी रामलीला

को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि मन, शरीर और आत्मा – तीनों का विकास आवश्यक है।

भारत की तरह ही त्रिनिदाद में भी कार्तिक मास की पूर्णिमा गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध है। त्रिनिदादवासी भी इस पवित्र दिन से जुड़ी अनेक कथाओं में विश्वास करते हैं। भक्तजन स्नान करते हैं। कोई नदी न होने के कारण इस दिन समुद्र के जल को ही पवित्र मानकर उसी में स्नान किया जाता है और इसे वे जिह्वा सुख के लिए गंगा नहान या कार्तिक नहान कहते हैं। उनका मानना है कि इस पावन दिन पवित्र जल में स्नान करके उनके सभी पाप मिट जाते हैं। स्नान के बाद वे दीपदान करते हैं, और जल में पुष्प, अक्षत, दूध, सिक्के, शहद आदि प्रवाहित करते हैं। फिर ईश्वर की स्तुति में भजन गाए जाते हैं और मंत्रोच्चारण किया जाता है। इस दिन खाना, कपड़े, धन आदि का दान भी किया जाता है।

भारत की तरह ही त्रिनिदाद में भी होली या फगवा मार्च या अप्रैल माह में मनाया जाता है। भारत में इस समय बसंत ऋतु का आगमन होता है, वहीं त्रिनिदाद में भी मीलों तक फैले बड़े–बड़े पुई के पेड़ों पर चटख पीले और हल्के गुलाबी रंग के मनमोहक फूल खिलते हैं। रंगों के इस पर्व पर सभी नगरवासी गीत, संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों के बीच एक–दूसरे को अबीर और गुलाल लगाते हैं। चौताल गीत और पिचकारी गीत फगवा के विशेषाकर्षण रहते हैं। चौताल गीतों के साथ ढोलक और मंजीरा बजाए जाते हैं। चौताल गाने वाले समूहों के बीच प्रतियोगिताएँ भी होती हैं।

हिंदु प्रचार केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में पिचकारी गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। पिचकारी प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती हैं। दरअसल पिचकारी गीतों में समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर टीका–टिप्पणी की जाती है। हिंदु प्रचार केंद्र के अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक गुरु रवि जी द्वारा ईजाद की गई इस संगीत–कला में हिंदी, अंग्रेज़ी और भोजपुरी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग इनमें बढ़–चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और इन प्रतियोगिताओं का आनंद भी उठाते हैं। हिंदू प्रचार केंद्र ने माखन चोर की भी शुरुआत की है, यह भारत में खेले जाने वाले 'दही हाँडी' की तर्ज़ पर है, इसके अलावा केंद्र द्वारा 'रंग बरसे' (रंगों की बरसात के बीच किया जाने वाला नृत्य), 'बच्चों के खेल' और 'सादा रोटी' प्रतियोगिताएँ भी शुरु की गई हैं।

महाशिव–रात्रि, गणेश–चतुर्थी, तुलसी–विवाह, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और हनुमान–जयंती इत्यादि जैसे पर्वों पर भी भारत की तरह ही विधिवत् पूजा–अर्चना की जाती है और मंदिरों की शोभा देखते ही बनती है। यदि भारत से दूर ऐसे पवित्र दिनों पर आपको इतना सुंदर धार्मिक वातावरण और ऐसे आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिल जाए तो क्या आपको रत्ती भर भी यह महसूस होगा कि आप वास्तव में स्वदेश से मीलों दूर हैं?

ईद पर भी पूरी रौनक रहती है। यह दिन रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद आता है, त्रिनिदाद निवासी इसे रमादान का महीना कहते हैं। सुबह सभी मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में मस्जिद में, खुले मैदानों में, स्टेडियम में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। फिर दिन–भर रिश्तेदारों और दोस्तों के घर आना–जाना, गले लगना, मिठाइयाँ बाँटना, ईदी देना जारी रहता है। सभी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और एक–दूसरी की सलामती की दुआएँ माँगते हैं। देश के सभी वर्गों के लोग जश्न में शामिल होते हैं।

त्रिनिदाद में होसे भी मनाया जाता है, यह मुहर्रम का ही स्थानीय नाम है। यह कोई त्यौहार नहीं है बल्कि एक मातम का दिन है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के छोटे नवासे (नाती) इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। 'हुसैन' शब्द का ही विकृत रूप है होसे। इस्लामिक कलैंडर के अनुसार मुहर्रम एक महीना है, जिसमें शिया मुस्लिम दस दिन तक इमाम हुसैन की याद में शोक मनाते हैं। यह शिया मुस्लिमों का अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। पहले छः दिनों में रोज़े रखे जाते हैं और इबादत की जाती है। मुहर्रम के दस दिनों तक बांस, लकड़ी का इस्तेमाल कर तरह–तरह से लोग 'ताजिया' सजाते हैं। लोग इन्हें सड़कों पर लेकर पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, साथ–साथ तासा ड्रम भी बजाए जाते हैं। तासा ड्रम भारत में बजाए जाने वाले ढोल जैसे होते हैं। सुंदर ताजिया दसवें दिन यानी आशुरा के दिन जल में विसर्जित कर दिए जाते हैं। इन दिनों ताजिया लेकर जुलूस में शामिल होने वाले लोग माँस, शराब और अन्य व्यसनों से दूर रहते हैं। त्रिनिदाद में इस्लामिक लोगों के अलावा अन्य सभी समुदायों, धर्मों, जाति और वर्गों के लोग भी इसमें इकट्ठे होते हैं। होसे का सबसे बड़ा जुलूस देश की राजधानी पोर्ट ऑफ़ स्पेन से सटे सेंट जेम्स में देखा जा सकता है, इसके अलावा क्यूरेप, टूनापूना, कुवा और सेड्रोस में भी यह जुलूस निकाला जाता है।

सनातन हिंदू धर्म के अनुसार किए जाने वाले 16 संस्कारों में से त्रिनिदाद में मुख्यतः 5 संस्कार ही किए जाते हैं।

नामकरण – यह जन्म के ठीक बाद किया जाता है, परंतु इसे उस समय गोपनीय ही रखा जाता है, इस डर से कि कहीं नवजात शिशु का कोई अनिष्ट न हो। गुरु दीक्षा – यह संस्कार 7 वर्ष की छोटी आयु में भी किया जा सकता है और कई लोग 31 वर्ष की आयु में भी गुरु धारण करते हैं। संभवतः इस संस्कार के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है।

जनेऊ – 8 से 22 वर्ष की आयु के बीच बालक को पवित्रसूत पहनाया जाता है। इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं और यह बाएँ कंधे के ऊपर और दाहिनी भुजा के नीचे पहना जाता है। ज़्यादातर यह पंडितों के पुत्रों का ही किया जाता है।

विवाह संस्कार – यह सर्वाधिक लोकप्रिय है और आधुनिक रूप में 2 घंटें में केवल जयमाल करके ही पूरा कर दिया जाता है परंतु पारंपरिक रूप में सभी रीति–रिवाज़ पूरे करते हुए यह तीन दिन तक चलता है। विवाह से तीन दिन पहले, शुक्रवार की रात 'माटीकोर' से समारोहों का प्रारंभ किया जाता है। इसमें दूल्हे या दुल्हन की बहनें हाथ में मिठाइयाँ लेकर परिवार की अन्य महिलाओं के साथ घर से चलकर किसी जलस्रोत तक जाती हैं। रास्ते भर तासा ड्रम (ढोल) बजता रहता है, सभी नाचते–गाते, मौज–मस्ती करते हुए बहते हुए जल के पास जाकर पूजा करते हैं और दूल्हा–दुल्हन के लिए शुभकामना करते हैं। घर लौटकर दुल्हन को मंडप में बैठाया जाता है जहाँ चावल और केले के पत्तों से वेदी बनी होती है, यहाँ दुल्हन को हल्दी लगाने की रीत की जाती है। इसी रात सभी महिलाएँ मेहंदी भी लगाती हैं। शनिवार की रात 'कुकिंग नाइट' कहलाती है। सभी औरतें मिलकर उस रात और अगले दिन के लिए खाना बनाती हैं। साथ ही दुल्हन की बुआ द्वारा आग पर चावल भी भूने जाते हैं जो विवाह के समय पवित्र अग्नि में अर्पित किए जाते हैं। मस्ती, नाच–गाना सब साथ–साथ चलता रहता है।

विवाह के दिन भी हिंदू रीति के अनुसार सभी परंपराएँ निभाई जाती हैं। बारात आने पर उसके स्वागत में दोनों पक्षों के पुरूष और पंडितों की मिलनी होती हैं, पंडितजन मंत्रोच्चारण करते हैं, दुल्हन का पिता दूल्हे के पिता को जल से भरा लोटा, सिक्के, फूल और आम के पत्ते देकर बारात का स्वागत करता है। इसे बारात मिलन कहा जाता है। इसके बाद दूल्हे का स्वागत किया जाता है जिसे परिचय कहा जाता है। इसके बाद द्वार पूजा जिसमें आरती और फिर दूल्हे का तिलक किया जाता है। तत्पश्चात् दुल्हन को मंडप में बैठाया जाता है, इमली घोटाई की रीत के बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद दाल संकल्प, पीढ़ा संकल्प, मधु परख, अंग स्पर्श, कन्यादान, गठबंधन, पाणिग्रहण, पाँव पूजा, हवन, अग्नि परिक्रमा, सप्त पदी (सात फेरे), अश्म रोहण, सूर्य दर्शन, हृदय स्पर्श सब विधिवत् किए जाते हैं। दूल्हा व दुल्हन एक–दूसरे को सात–सात वचन देते हैं। फिर जयमाल, सिंदूरदान, मुद्रिका प्रतिदान, मंगलसूत्र दान, ताग पट के बाद विवाह रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। मंत्रों के बीच दूल्हा–दुल्हन पर चावल और फूलों की वर्षा करके दोनों को आशीर्वाद दिया जाता है। कुछ देर के लिए मंडप से बाहर जाकर दूल्हा–दुल्हन फिर लौट आते हैं तो सभी को खीर परोसी जाती है। उपहार आदि भेंट किए जाते हैं। अंत में दूल्हा सबके पाँव छूता है, सबसे आशीर्वाद लेता है और फिर दुल्हन की विदाई कर दी जाती है। अगर आप तीन दिनों तक चलने वाले इस विवाह समारोह में शामिल हों तो आपको भारत में ही होने का भ्रम होने लगेगा।

अंतिम संस्कार है – मृत्यु होने पर किया जाने वाला – अंत्येष्टि – मनुष्य का अंतिम संस्कार! मृत्यु के दिन शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। हर माह कुश घास और जल से तर्पण किया जाता है और 11वें या 12वें माह में भण्डारा किया जाता है।

त्रिनिदाद के कण–कण में व्याप्त भारतीय संस्कृति आपको यह अहसास कभी होने ही नही देगी कि आप भारत से कोसों दूर हैं। यदि किसी कारणवश आप अपने निवासस्थल से बाहर नहीं निकलते तो भी आपको ऊब या खिन्नता नहीं होगी। देश के 5 रेडियो स्टेशनों पर 24/7 हिंदी गाने, भजन और कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। हिंदी/भारतीय संगीत और गीतों के अलावा पण्डितों और इमामों द्वारा धार्मिक व्याख्याएँ भी प्रसारित की जाती हैं। सेहत और खान–पान संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, दैनिक और साप्ताहिक भविष्यफल भी बताए जाते हैं, श्रोताओं द्वारा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों आदि को जन्मदिन और वर्षगाँठ की शुभकामनाएँ भी दी जाती हैं और अन्य सामुदायिक घोषणाएँ भी प्रसारित की जाती हैं।

टेलीविज़न पर हिंदी चैनल बकायदा चलते हैं और हिंदी फिल्मों, गीतों के कार्यक्रमों और धारावाहिकों के तो अधिकतर लोग दीवाने हैं। आप पलभर को भी अपने पसंदीदा गीतों या कार्यक्रमों की कमी महसूस नहीं करेंगे।

घर से बाहर जाकर फ़िल्मों का आनंद उठाना चाहें तो भी सोचने की कोई बात ही नहीं – तीन सिनेमा–घरों (मूवी टाऊन) में हिंदी फिल्में भी दिखाई जाती हैं।

भारतीय मूल के लोगों द्वारा विवाह–समारोहों तथा अन्य सामाजिक पर्वों पर वही हिंदी/भोजपुरी लोक–गीत आज भी गाए या बजाए जाते हैं जो उनके पूर्वज अपने साथ लाए थे। यूँ तो भारत से आए गिरमिटिया मज़दूर अपने साथ शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत भी लाए थे। बाद में इंडो–त्रिनिदाद शास्त्रीय संगीत भी एक अलग रूप में विकसित हुआ। स्व० प्रो० हरिशंकर आदेश द्वारा स्थापित शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाली पहली संस्था भारतीय विद्या संस्थान में आज भी यह शिक्षा बदस्तूर दी जाती है। आज कई अन्य संगीत विद्यालय भी हैं जैसे संगीत महाविद्यालय और शिव संगीत

लेखिका– सुनीता पाहूजा

टेम्पल इन द सी' व इस मंदिर के निर्माता श्री शिवदास साधु

दत्तात्रेय योग केंद्र

हनुमान जी की 85 फुट ऊँची मूर्ति

त्रिवेणी मंदिर, हार्डबार्गेन, गेस्परिलो

महात्मा गाँधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान में होली के अवसर पर आयोजित चौताल

एन० सी० आई० सी० (नेशनल काउंसिल ऑफ इन्डियन कल्चर), शगुवानाज़ के तत्वाधान में दीवाली के कार्यक्रम

रामलीला—साउथ ट्रिनिडाड में

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर के साथ फगवा मनाती महिलाएँ

महाशिवरात्रि

गणेश उत्सव

होसे

ईद की नमाज

रक्षाबंधन पर ब्रह्माकुमारी बहनें भारतीय उच्चायुक्त को राखी बांधते हुए

मस्जिद दृ सैन फर्नेंडो

संग्रहालय

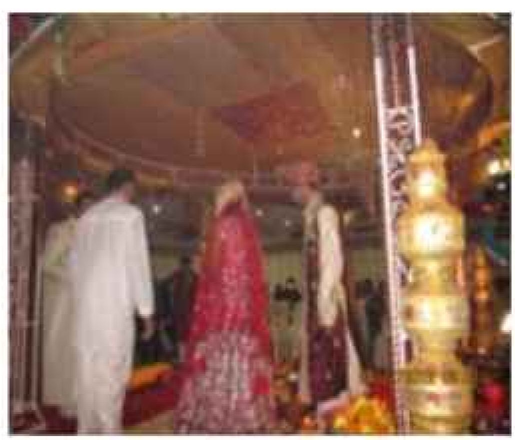

विवाह समारोह

स्कूल ऑफ म्यूज़िक। पंडित मंगल पटेसर, शिवानंद महाराज और डेक्स्टर रघुनानन जैसे व्यक्ति जिन्हें भारत में आकर संगीत सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने देश लौटकर संगीत सिखाने का बीड़ा उठा लिया।

त्रिनिदाद एवं टुबैगो विश्वविद्यालय (यू० टी० टी०) में डॉ० रूबी मलिक, श्री राना मोहिप और श्री प्रशांत पटेसर द्वारा संगीत की शिक्षा दी जाती है।

भारतीय उच्चायोग के तत्वाधान में महात्मा गाँधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा भी नियमित रूप से संगीत और नृत्य की कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं।

भारत सरकार और त्रिनिदाद एवं टुबैगो सरकार के बीच तय किए गए 'सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम' (सी० ई० पी०) के तहत भारत से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा त्रिनिदाद में कलाकारों के समूह भेजे जाते हैं जो भारतीय उच्चायोग और महात्मा गाँधी सांस्कृतिक केंद्र के समन्वयन से त्रिनिदाद के भिन्न–भिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। देश में अनेक अन्य धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ भी हैं जो हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए कार्यरत हैं और समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इन सभी कार्यक्रमों में अधिकाँश महिलाएँ भारतीय वेशभूषा में, यानी साड़ी या सलवार–सूट पहनकर गौरान्वित महसूस करती हैं।

30 मई का दिन भी कमोबेश रूप से एक त्यौहार की तरह ही मनाया जाता है। सभी मिलकर याद करते हैं वर्ष 1845 का वह दिन–30 मई–जब फतह–अल–रज़ाक नामक जहाज़ पर 230 भारतीयों का पहला समूह 103 दिन की समुद्री यात्रा तय करके इस ज़मीन पर पहुँचा था। कठिनतम परिस्थितियों के बीच भी यहाँ पहुँचे सभी भारतीयों ने आज तक अपनी संस्कृति का हर वो पहलू संजो कर रखा है जिसे वे अपने साथ लाए थे–इन्होंने इस देश की संस्कृति को बहुत कुछ नया दिया था–खान–पान, संगीत शैली, गीत, नृत्य, वनस्पति, धार्मिक ग्रंथ, धर्म व संस्कृति के नए आयाम।

21 मार्च 1917 को ब्रिटिश संसद द्वारा गिरमिटिया प्रथा की समाप्ति की औपचारिक घोषणा के सौ वर्ष पूरे होने पर मार्च 2017 में त्रिनिदाद में आयोजित 'भारतीय डायसपोरा–विश्व सम्मेलन' में देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर (भारतीय मूल की पहली महिला प्रधान मंत्री) ने इसी बात को संज्ञान में लेते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम आज यहाँ हैं और आज हमने यहाँ अपनी जगह खूब बना ली है। वे हमेशा गर्व के साथ ट्रनिडाड व टुबैगो को माँ का और भारत को दादी माँ का दर्जा देती हैं।

इसी सम्मेलन में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ० कीथ राऊली ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 1917 में जब गिरमिटिया प्रथा समाप्त हो गई और अधिकाँश मज़दूरों ने इसी देश में रहने का फ़ैसला कर लिया तो यह एक अच्छी बात हुई, इसके लिए यह राष्ट्र सदैव उनका आभारी रहेगा। (पारस रामावतार)

देश में एक भारतीय–कैरेबियाई संग्रहालय भी है जिसमें गिरमिटिया मज़दूरों द्वारा लाया सामान आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, इनमें शामिल हैं कुछ तस्वीरें, दस्तावेज़, किताबें, चित्रकारी, पुराने वाद्य यंत्र, कृषि संबंधी औज़ार जिन्हें वे कोको, कॉफी और गन्ने के खेतों में इस्तेमाल किया करते थे और रसोई घर में काम आने वाले बर्तन।

भारतीय संस्कृति से सराबोर इस देश में अगर आपके कोई कमी खटकेगी तो वह है – बोलचाल में हिंदी भाषा–इसके अभाव का अहसास तो आपको इसकी ज़मीन पर पाँव रखते ही हो जाएगा। यह अभाव अत्यंत स्पष्ट तौर पर हृदय को कचोटता है। लेकिन यह स्थिति अकारण नहीं है। देश की राजभाषा अंग्रेज़ी है और विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से और अन्य जन–समूहों के प्रभाव के चलते अधिकतर बोलने–सुनने को अंग्रेज़ी क्रियोल ही मिलती है जिसमें हिंदी भाषा के शब्दों की भरमार है फिर भी हिंदी वहाँ बोलचाल की भाषा नहीं है। स्पैनिश और फ्रैंच द्वितीय भाषाओं के रूप में स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं लेकिन हिंदी को वहाँ की सरकार की ओर से यह दर्जा नहीं दिया गया है। देश के सामाजिक–धार्मिक संगठनों के प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ स्कूलों में हिंदी सिखाई तो जाती है लेकिन यह केवल धार्मिक शिक्षा के लिए निर्धारित पीरियड तक ही सीमित रहती है।

हिंदी का प्रचार–प्रसार करने वाली अनेक संस्थाएँ त्रिनिदाद एवं टुबैगो में हैं जैसे हिंदी निधि, वेस्ट इंडीज़ विश्वविद्यालय, भारतीय विद्या संस्थान, पंडित परसराम स्कूल ऑफ हिंदुइज़्म, सनातन धर्म महासभा इत्यादि। लगभग सभी मंदिरों में हिंदी की कक्षाएँ चलाई जाती हैं जिनमें 'स्वाहा' मंदिरों और स्कूलों की भूमिका उल्लेखनीय है। भजनों, गीतों और मंत्रों आदि के जरिए हिंदी का ज्ञान बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। अनेक धार्मिक संगठन जैसे हिंदू प्रचार केंद्र, कबीर पंथी, चिन्मय मिशन, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन कल्चर (एन० सी० आई० सी०), आर्य प्रतिनिधि सभा में नियमित तौर पर आयोजित की जाने वाली धार्मिक गतिविधियाँ प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी के शब्द–भंडार को समृद्ध बनाती रहती हैं। यह और बात है कि ये शब्द वाक्यों में परिवर्तित होकर बातचीत का रूप कम ही ले पाते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई० सी० सी० आर०), भारत सरकार द्वारा वेस्ट इंडीज़ विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर लेंग्वेज लर्निंग' में हिंदी शिक्षण के लिए एक हिंदी पीठ की व्यवस्था है। यहाँ हिंदी की कक्षाएँ नियमित रूप से चलाई जाती हैं। हिंदी सिखाने के लिए दृश्य–श्रव्य उपकरणों का सहारा लिया जाता है और हिंदी गीतों और टी० वी० धारावाहिकों के ज़रिए हिंदी सिखाई जाती है।

देश की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थित भारतीय उच्चायोग भी हिंदी के प्रचार–प्रसार में अहम भूमिका निभाता है। भारतीय उच्चायोग के तत्वाधान में महात्मा गाँधी सांस्कृतिक केंद्र में तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित केंद्रों में हिंदी की कक्षाएँ चलाई जाती हैं और वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित करके प्रमाण–पत्र भी दिए जाते हैं। इन कक्षाओं में सभी आयु–वर्ग के लोग आते हैं। अधेड़ उम्र के अनेक लोग भी रामायण आदि पढ़ने के लिए हिन्दी सीखने में रुचि रखते हैं। इन कक्षाओं में केवल भारतीय मूल के ही नहीं अपितु अफ्रीकी और यूरोपीय मूल के लोग भी हिंदी सीखने आते हैं। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस समारोह में सभी हिंदी सीखने वालों को हिंदी में कविताएँ, गीत या अपने अनुभव सुनाने का मौका दिया जाता है। इनके अलावा भारतीय उच्चायोग द्वारा समय–समय पर 'फिल्म फेस्टिवल' भी आयोजित किए जाते हैं जिनमें हिंदी के साथ–साथ अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्में भी दिखाई जाती हैं।

त्रिनिदाद–निवासी हिंदी सीखते तो बहुत शिद्दत के साथ हैं, पर वो जज़्बा बोलचाल में कहीं दिखाई नहीं देता। हिंदी यूँ तो दुकानों के नामों में भी मिलेगी–रफ़ी रोटी शॉप। सड़कों और जगहों

के नाम जैसे फैज़ाबाद, कलकत्ता स्ट्रीट, पटना स्ट्रीट् भी हैं। पर मिलेगा सब रोमन में लिखा हुआ, फिर भी हिंदी तो है ही। इतना ही नहीं अधिकतर लोगों के नामों में भी भारतीय नाम मिलेंगे – सरस्वती, रामचरण, रेणुका, राधिका, जानकी, लछ्मी इत्यादि। इनके अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल के शब्द जैसे खाना, पानी, भाई, लोटा, यज्ञ, दुल्हिन, गाना; रसोईघर में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्द जैसे चूल्हा, चटनी, कुचला (अचार), दाल, भात आदि; और पोशाकों एवं आभूषणों के हिंदी नाम युवाओं की ज़बान पर सहज ही रहते है। नाना–नानी आज भी नाना–नानी ही हैं और दादा–दादी को आजा–आजी कहकर ही पुकारा जाता है।

कुछ धार्मिक क्रियाकलापों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, ख़ासतौर पर संगीत के कार्यक्रमों में तो पूरी की पूरी कार्रवाई हिंदी में की जाती है और दर्शकगण, बहुत कुछ न समझने के बावजूद, मंत्रमुग्ध होकर उसका आनन्द लेते रहते हैं–यह उनका हिंदी प्रेम ही तो है!

हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को पोषित करने के उद्देश्य से काम कर रहे भारतीय उच्चायोग और महात्मा गाँधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा सभी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं जिनमें भारतीयों के अलावा त्रिनिदाद एवं टुबैगो के सभी निवासी सार्वजनिक तौर पर आमंत्रित होते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गाँधी जैसे महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस तरह के वातावरण का हिस्सा बनकर कोई भी भारत की आत्मा को वहाँ महसूस कर सकता है और अनायास ही कह उठता है – होम अवे फ्रॉम होम! – निस्संदेह! भारत से दूर एक छोटा भारत जहाँ भारतीय संस्कृति हर दिशा में सजीव रूप में पसरी हुई है।

कहना न होगा कि प्रवासी भारतीयों ने भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर जीवंत रखा है। चाहे राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो या कला–हर क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों ने योगदान दिया है। वे अपनी संस्कृति को न केवल संजो रहे हैं, बल्कि उसे समकालीन परिप्रेक्ष्य में विकसित भी कर रहे हैं। डिजिटल युग में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे भारतीयता की महक पूरी दुनिया में फैल रही है।

आई.एस.एस.एन. संख्या : 3048–8664
ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 33–38

परिसीमन की प्रक्रिया का ऐतिहासिक विश्लेषण

कविता गोस्वामी*
वंदना उप्रेती**

सारांश

राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के सिद्धांतों में शामिल है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की प्रणाली में पहला कदम मतदान करने वाली आबादी को स्थानिक इकाइयों में आवंटित करना रहा है जिन्हें चुनावी निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। संसद और विधानसभाओं में सीटों के आबंटन में इस देरी ने निश्चित रूप से विभिन्न राज्यों (वर्मा, 2008) के वोटों के मूल्य में असंतुलन पैदा कर दिया है, जो आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्रों के मूल सिद्धांत यानी 'एक व्यक्ति एक मूल्य एक वोट' का उल्लंघन करता है। इस शोध में परिसीमन आयोग की प्रक्रिया का विकास , सिफारिशों, प्रतिनिधित्व अनुपात आदि अध्ययन का विषय है।
कीवर्ड मुख्य शब्दः लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि, आबंटन, मतदान

परिसीमन प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ खींची जाती हैं और राज्यों को राष्ट्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटें आवंटित की जाती हैं। भारत में परिसीमन एक बदलाव लाता है और मतदाताओं के बीच संवैधानिक रूप से प्रभाव डालता है। इसलिए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हृदय माना जाता है। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत या राज्य में विधानमंडल निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ या सीमाएँ तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का कार्य उच्च शक्ति वाले निकाय को जिम्मेदारी से दिया जाता है। इस उच्च शक्ति वाले निकाय को परिसीमन आयोग कहा जाता है।

परिसीमन की प्रक्रिया का विकास

प्रारंभिक चरण (1951–1961) : संविधान ने संसद पर यह दायित्व डाला कि वह लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के उद्देश्य से एक प्राधिकरण का गठन करे (भारत का संविधान, धारा 81 व 170)। 12 अनुच्छेद 81 प्रत्येक राज्य से लोक सभा में सीटों के आबंटन के बारे में बात करता है और साथ ही यह भी बताता है कि ऐसा आबंटन किस तरह से किया जाना चाहिए। इसी तरह, अनुच्छेद 170 राज्य की विधान सभा में सीटों के आबंटन के तरीके के बारे में बताता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, संविधान अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानमंडल में सीटों के आरक्षण का

---

*रिसर्च स्कालर, नारी शिक्षा निकेतन पी० जी० कॉलेज, कैसर बाग, लखनऊ
**प्रोफेसर, नारी शिक्षा निकेतन पी० जी० कॉलेज, कैसर बाग, लखनऊ

भी प्रावधान करता है। विधानमंडल में एंग्लो–इंडियन समुदाय (भारत का संविधान, धारा 331) को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, उनके लिए लोक सभा में दो से अधिक सीटें और प्रत्येक राज्य विधानसभा में एक सीट आरक्षित नहीं की गई है (भारत का संविधान, धारा 333)। हालाँकि, संविधान इस बात पर चुप था कि संविधान के लागू होने से तीन साल की अवधि के लिए होने वाले चुनावों के लिए प्रारंभिक विभाजन कौन करेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की उपधारा 6 और 9 को अधिनियमित करके यह कार्य भारत के चुनाव आयोग को सौंपा गया था। इस संबंध में राष्ट्रपति का आदेश तदर्थ आधार पर जारी किया गया था, जो आम चुनाव (1951–52) और उसके बाद के उपचुनावों के पूरा होने तक वैध था। प्रारंभिक परिसीमन अभ्यास के पूरा होने के बाद, चुनाव आयोग ने न्यायिक सदस्यों के साथ एक स्वतंत्र अर्ध–न्यायिक आयोग स्थापित करने के लिए सरकार को सिफारिशें कीं, क्योंकि अभ्यास के दौरान आयोग को कुछ प्रक्रियात्मक कमियों का सामना करना पड़ा था। इसकी सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने 3 सदस्यीय आयोग, दो न्यायिक सदस्यों और तीसरे पदेन सदस्य के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 को अधिनियमित किया। इसके अलावा, संबंधित राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य से दो से सात राजनीतिक प्रतिनिधियों को आयोग में एसोसिएट सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था, जिनके पास कोई वोटिंग अधिकार नहीं था। परिसीमन आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का कार्य भी सौंपा गया था। उस समय प्रचलित दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट। बाद में, आयोग ने दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने की सिफारिश की, जिन्हें बाद में 1962 के दूसरे परिसीमन अभ्यास में समाप्त कर दिया गया। 1 नवम्बर 1956 को, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। इस पुनर्गठन के साथ, एक नए परिसीमन आयोग की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई थी। हालाँकि, सरकार ने नए आयोग के लिए उन्हीं सदस्यों को फिर से नियुक्त किया और आयोग की रिपोर्ट पर आधारित आदेश (The Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1956) ने क्रमशः वर्ष 1957 और 1962 में लोकसभा के दूसरे और तीसरे आम चुनावों का आधार बनाया (मेंदीरत्ता 2015: 251)।

दूसरा चरण (1961–1971) 1961 की जनगणना के बाद 1962 के परिसीमन आयोग अधिनियम द्वारा दूसरे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। जुलाई 1966 तक आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया था, लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के पुनर्गठन और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त समायोजन किए गए। 1962 के अधिनियम में पिछले अधिनियम से कुछ अंतर थे। सबसे पहले, दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया और एस० सी०–एस० टी० के लिए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया जाना था। दूसरा, यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। तीसरा, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के संबंध में था, जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में, जहाँ तक संभव हो, अनुसूचित जातियों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में वितरित किया जाना था। हालाँकि, एस० टी० निर्वाचन क्षेत्रों को केवल उन क्षेत्रों में आरक्षित किया जाना चाहिए जहाँ एस० टी० आबादी की उच्च सांद्रता है। इस

आयोग के आदेशों के आधार पर, 1967 और 1971 के आम चुनाव आयोजित किए गए थे (मेंदीरत्ता 2015: 251)।

1971 की जनगणना और फ्रीज के बाद परिसीमन 1971 की जनगणना के पूरा होने के साथ, 1972 के परिसीमन आयोग अधिनियम द्वारा तीसरे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम ने आयोग को जम्मू और कश्मीर और दिल्ली, गोवा, पांडिचेरी, दमन और दीव और मिजोरम के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश सहित सभी राज्यों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से समायोजित और पुनर्वितरित करने के लिए सिफारिशें करने का अधिकार दिया। नागालैंड के पुनर्समायोजन और परिसीमन की प्रक्रिया अनुच्छेद 371ए 2(एच) और नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 द्वारा शासित थी। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (Sec.3 and 4(1) of Delhi Administration Act, 1966) और शेष संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रक्रिया संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 3 और 39 द्वारा शासित थी। इसके अलावा, अधिनियम ने आयोग में सहयोगी सदस्यों की संख्या को 9 से बढ़ाकर 10 कर दिया, 5 सांसद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए और शेष 5 विधायक संबंधित विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए। आयोग ने 545 लोकसभा सीटों का आवंटन इस तरह किया कि 36 सीटें 60 लाख की आबादी वाले छोटे राज्यों को आवंटित की गईं, जबकि शेष 507 सीटें शेष बड़े राज्यों को आवंटित की गईं, जिनकी प्रति सीट औसत जनसंख्या अनुपात 10.44 लाख था (शिवरामकृष्नन 2015)। जैसा कि शिवरामकृष्णन ने कहा, 'अब तक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्बाध परिसीमन में यह संदेश निहित था कि न केवल परिसीमन अभ्यास प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद होगा, बल्कि सीटों के आवंटन की समीक्षा और संशोधन भी किया जा सकता है' (शिवरामकृष्नन 2015: 68)। हालाँकि, संसद ने 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में संशोधन करके एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम उठाया। इस अधिनियम ने न केवल जनसंख्या के आँकड़ों को 1971 की जनगणना के अनुसार स्थिर कर दिया, बल्कि 2001 की जनगणना के आँकड़ों के प्रकाशन तक आगे के परिसीमन अभ्यास पर 30 साल की लंबी रोक लगा दी। सरकार द्वारा दिया गया तर्क यह था कि चूंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) लागू थी, इसलिए कुछ राज्य, खासकर दक्षिणी राज्य, अपने उत्तरी समकक्षों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अधिक सफल रहे। यह रोक इसलिए लगाई गई थी ताकि 'यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनपीपी का पालन करने वाले और जनसंख्या वृद्धि को कम रखने वाले राज्यों को राष्ट्रीय संसद में प्रतिनिधित्व से वंचित न होना पड़े (वर्मा 2002: 371.388)।' संविधान के अनुसार आगे परिसीमन की प्रक्रिया जारी रखने से दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन में खत्म हो सकता है, जबकि इसकी कीमत उत्तरी राज्यों को मिल सकती है, जो अपनी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने में विफल रहे हैं।

अंतराल (1971–2001) 1975 के बाद परिसीमन आयोग न होने के कारण, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालाँकि, नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण या पुनर्गठन के साथ देश का राजनीतिक मानचित्र लगातार बदल रहा था। 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, 1987 में गोवा दमन और दीव का पुनर्गठन किया गया, 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, 1991 में राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र को विधान सभा मिली, आदि। इसके अलावा, कुछ अतिरिक्त जातियों और जनजातियों को मान्यता दी गई और उन्हें शामिल किया गया, जिससे कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में बदलाव आया। ये बदलाव उस समय के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में परिलक्षित होने थे। इसलिए, प्रतिबंध के बावजूद, 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या अतिरिक्त आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का पता लगाने की जिम्मेदारी संसद द्वारा इस उद्देश्य के लिए कोई अलग निकाय स्थापित करने के बजाय चुनाव आयोग को सौंपी गई' (Supra 16, pp. 253-254) इसका मतलब यह है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी नहीं थी, बल्कि चुनाव आयोग ही था जो जरूरत पड़ने पर परिसीमन आयोग की भूमिका निभा रहा था। जब उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य बने, तो चुनाव आयोग को संबंधित राज्य पुनर्गठन अधिनियमों के तहत परिसीमन की प्रक्रिया का काम सौंपा गया। शर्त बस इतनी थी कि किसी भी परिस्थिति में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में बदलाव नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यथास्थिति बनाए रखने और परिसीमन की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के कई प्रयास किए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया कि 2001 के आँकड़ों का उपयोग करने से परिसीमन की प्रक्रिया में भारी देरी होगी, क्योंकि यह उम्मीद की जा रही थी कि एस० सी०/एस० टी० आबादी सहित आँकड़े 2005 से पहले सामने नहीं आएंगे। इससे नए चुनाव कराने में भी काफी देरी होगी। इस मुद्दे पर काफी बहस और चर्चा के बाद स्थायी समिति ने इस विधेयक को इसके मूल स्वरूप में हरी झंडी दिखाने का फैसला किया और आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदन के बाद यह विधेयक संविधान (चौरासीवां) संशोधन अधिनियम बन गया। हालाँकि, इस अधिनियम के द्वारा संसद ने 2026 की जनगणना के बाद पहले आँकड़ों के प्रकाशन तक रोक को बढ़ाने का फैसला किया। 1976 में दिए गए तर्क को फिर से दोहराया गया, इस बार अधिक उम्मीदों के साथ कि देश 2026 तक एक समान जनसंख्या वृद्धि हासिल कर लेगा। इसके अलावा, बाद में संसद द्वारा एक और संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसने 2001 की जनगणना के आँकड़ों को आधार के रूप में प्रदान करने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 में संशोधन किया। अतः कानून और संविधान की वर्तमान स्थिति यह है कि लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार अपरिवर्तित रहेगी, तथापि, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और पुनर्समायोजन तथा सीटों का आरक्षण 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर दिया जाएगा। परिसीमन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित है:

1. 1971 की जनगणना के आधार पर विभिन्न राज्यों को 'लोकसभा' में आवंटित मौजूदा सीटों की कुल संख्या वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी।

2. 1971 की जनगणना के आधार पर सभी राज्यों की विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की कुल संख्या भी वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी।

3. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (एस० सी०) और अनुसूचित जनजातियों (एस० टी०) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आधार पर फिर से तय की जाएगी।

4. प्रत्येक राज्य को 2001 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से सीमांकित किया जाएगा और अब सीमांकित ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक स्थिर रहेगी।

5. निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से इस तरह से बनाया जाएगा कि राज्य में प्रत्येक संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या (2001 की जनगणना के आधार पर) पूरे राज्य में एक समान हो। 2002 के इस परिसीमन अधिनियम में अपने पूर्ववर्तियों से कुछ अंतर थे। अधिनियम ने दो न्यायिक सदस्यों को घटाकर एक करके आयोग की संरचना में बदलाव किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त को भी इसमें शामिल किया।

इसके अलावा, अधिनियम ने आयोग को भारत के रजिस्ट्रार–जनरल और जनगणना आयुक्त या उनके नामित व्यक्ति, भारत के महासर्वेक्षक या उनके नामित व्यक्ति, किसी भी जी० आई० एस० विशेषज्ञ और केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को आयोग की सहायता के लिए बुलाने का अधिकार दिया। आयोग ने अपना कार्य पूरा किया और 2008 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। जम्मू और कश्मीर राज्य को चौथे परिसीमन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया था और राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमित किए गए थे, अभी भी जारी थे। परिसीमन पर रोक के राजनीतिक कारणों का पता लगाने से पता चला कि 1976 में रोक का उद्देश्य तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या को अधिकतम करना था, जिसके परिणामस्वरूप 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा, खासकर दक्षिणी राज्यों में (Supra 8, pp. 1273)।

इसी तरह, 2001 में परिसीमन को फिर से शुरू करने से भाजपा के नेतृत्व वाले एन० डी० ए० के वोट शेयर में काफी वृद्धि हो सकती है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रीय दलों के कुल वोट शेयर में कमी आ सकती है। इसलिए, सरकार के दक्षिणी गठबंधन सहयोगियों की ओर से इसे और अधिक स्थिर करने का दबाव हो सकता है (अदिति, 2015)।

हालाँकि, मैकमिलन ने बताया कि संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा का संरचनात्मक हिस्सा नहीं है (Supra 8)। लेकिन, फ्रीज अपने साथ कई अन्य समस्याएँ लेकर आया, सबसे अधिक चिंताजनक बहुत अधिक प्रतिनिधित्व अनुपात है। 60 वर्षों (1972–2032) की इस रोक ने देश में एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व अनुपात पैदा कर दिया है, जहाँ एक सांसद औसतन अपने संसदीय क्षेत्र की लगभग 24 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। संसद और विधानसभाओं में सीटों के आबंटन में इस देरी ने निश्चित रूप से विभिन्न राज्यों (वर्मा, 2008) के वोटों के मूल्य में असंतुलन पैदा कर दिया है, जो आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्रों के मूल सिद्धांत यानी 'एक व्यक्ति एक मूल्य एक वोट' का उल्लंघन करता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य केरल, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे कम आबादी वाले राज्यों की तुलना में अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रोक ने राज्यों के भीतर संसदीय प्रतिनिधित्व में भी एक बड़ी विकृति पैदा कर दी है, कुछ दक्षिणी राज्यों में पिछले दशक में अपने उत्तरी समकक्षों की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि के कारण, अधिक प्रतिनिधित्व है। 2031 की जनगणना के बाद होने वाले अगले परिसीमन कार्य में यह विचलन और भी अधिक बढ़ सकता है (शिवरामकृष्नन 2000)।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

अदिति, (2015): 'पॉलिटिक्स ऑफ रिफोर्मः डिलिमिटेशन डैडलॉक इन इंडिया' SOAS Law Journal, 2 SOAS L.J. 46.

भल्ला, आर० पी०; 1973, भारत में चुनावः 1950–72, नई दिल्ली, एस० चंद एंड कंपनी।

चंडीदास, आर०; 1968, भारत में प्रतिनिधित्व का बदलता भूगोल। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, III, 41, 1581–1590।

भारत का चुनाव आयोग (1955) भारत में पहले आम चुनाव, 1951–52 पर रिपोर्ट।

भारत का चुनाव आयोग (1967) संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966।

भारत का चुनाव आयोग (1976) संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976।

भारत सरकार (1936) भारतीय परिसीमन समिति की रिपोर्ट, खंड I।

झा, पी०; 1979, भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन।

रीव्स, पी० डी०, ग्राहम, बी० डी० और गुडमैन, जे० एम०; 1975, उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए एक पुस्तिका 1920–1951, नई दिल्ली, मनोहर।

चुनावी भारत का बदलता चेहरा, परिसीमन 2008, खंड I, परिसीमन आयोग, भारत सरकार। https://www.elections.tn.gov.in/Web/forms/int1.pdf

वर्मा, ए० के०; 2002: 'इसूज एण्ड प्रोब्लम्स इन इंडियास् डिलिमिटेशन एक्सरसाइज', दी इंडियन जरनल ऑफ पॉलितिकल साइंस,वाल्यूम 63, अंक 4, 9 (दिस.), पृ. 371–388।

वर्मा, ए० के०; 2006: "भारत में परिसीमन" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 41, अंक सं. 9, https://www.epw.in/journal/2006/09/perspectives/ delimitation-india.html

वर्मा, ए० के०; 2008: 'फोर्थ डिलिमिटेशन ऑफ कोंसटिट्यूएन्सीजः एन एपरेजल', इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, मार्च।

मिलन वैष्णव, जेमी हिंटसन; 2019, "भारत का उभरता प्रतिनिधित्व संकट"।

मेंदीरत्ता, एस.के., 'हाउ इंडिया वोट्स–इलेक्शन लाज, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिजर', लेक्सिस नेक्सिस (2017), पृ. 251।

शिवरामकृष्नन, के.सी. 2000: 'नार्थ–साउथ डिवाइड एण्ड डिलिमिटेशन ब्लूज', इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, सित.।

शिवरामकृष्नन, के.सी. 2015: 'डिलिमिटेशन इन इंडियाः ए पॉलिटिको–हिस्टोरिकल ओवरव्यू', *फिक्सिंग इलेक्टोरल बाउन्ड्रीज इन इंडिया,* आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

आई.एस.एस.एन. संख्या : **3048–8664**
ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 39–46

पीत पत्रकारिता : पत्रकारिता का एक विकृत स्वरूप

रीना पन्त*

सारांश

पत्रकारिता एक विशाल विषय है एवं इसके विभिन्न प्रकार तथा स्वरूप हैं, जिनमें से एक पीत पत्रकारिता है। यह पत्रकारिता की एक ऐसी शैली है, जिसमें खबरों को उत्तेजक एवं भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पीत पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य पाठकों एवं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज तथा आकर्षक शीर्षकों का उपयोग करना है। पत्रकारिता के इस स्वरूप में अतिशयोक्ति, घोटालेबाजी एवं सनसनीखेज जैसी तकनीकों को अपनाया जाता है तथा अधिक मात्रा में व्यावसायिक लाभ लेने के लिए पत्र की बिक्री एवं टी० आर० पी० को बढ़ाना होता है। इसमें जन सरोकार प्रमुख नहीं होता बल्कि स्वहित स्वार्थ और संस्थान को लाभ पहुँचाना प्रमुख होता है। पीत पत्रकारिता शब्द की उत्पत्ति 1890 के दशक में अमेरिकी गिल्डेड एज ने जोसेफ पुलित्जर के 'न्यूयॉर्क वर्ल्ड' और विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट के 'न्यूयॉर्क जर्नल' द्वारा अपने समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए उनके आपसी लोकप्रिय झगड़े के कारण किया था। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो पीत पत्रकारिता, पत्रकारिता की एक ऐसी शैली है जो तथ्यों से अधिक सनसनीखेजता को प्राथमिकता देती है। पीत पत्रकारिता 'येलो जर्नलिज्म' का हिन्दी रूपान्तरण है। ब्रिटेन में इसे 'टैब्लायड पत्रकारिता' के रूप में जाना जाता है।
गुख्य शब्द: पीत पत्रकारिता, समाचार, विचार, स्वरूप।

पीत पत्रकारिता में रिपोर्टर या समाचार प्रस्तुतकर्ता बड़े प्रिंट में लिखे गये डरावने शीर्षकों को शामिल करते हैं। ऐसा अक्सर छोटी–छोटी खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिये किया जाता है। पीत पत्रकारिता का पालन करने वाले पत्रकार समाचार प्रस्तुत करने के लिए चित्रों अथवा काल्पनिक रेखाचित्रों का भरपूर प्रयोग करते हैं। पत्रकार एक रणनीति के आधार पर अक्सर रक्षा, राजनीति, मनोरंजन आदि मामलों पर सम्बन्धित विशेषज्ञों से झूठे साक्षात्कार, भ्रामक शीर्षकों एवं झूठी जानकारी का उपयोग करते हैं। इस पत्रकारिता का पालन करने वाले पत्रकार पूर्ण रंगीन रविवार के पूरक पर बल देते है, जिसमें पेज–3 समाचार, फीचर लेख, सतही लेख अथवा कॉमिक्स आदि शामिल हैं।

*शोध छात्रा, क्रमांक संख्या – GU22R1034 द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, सहारनपुर।

पीत पत्रकारिता का इतिहास

पीत पत्रकारिता का प्रारम्भ यूरोप में 17वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रौंति के बाद हुआ। मुद्रण की नई तकनीक ने समाचार पत्रों के प्रकाशन में एक क्रौंतिकारी परिवर्तन किया। एक समय में हजारों प्रतियों की छपायी होने लगी, जिस कारण पत्र–पत्रिकाओं का प्रसार बढ़ने लगा। समाचारों को प्रस्तुत करने के लिए नये–नये प्रयोग शुरू होने लगे, जिसने आगामी समय में पीत पत्रकारिता को बढ़ावा दिया।

19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में अमेरिका में जोसेफ पुलित्जर की स्वामित्व वाली 'न्यूयॉर्क वर्ल्ड' एवं विलियम रैंडोल्फ हटर्ज की 'न्यूयॉर्क जर्नल' के बीच अपनी प्रसार संख्या को लेकर मची होड़ ने पीत पत्रकारिता को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। दोनों ही समाचार पत्रों ने समाचार को प्रस्तुत करने के लिये तथ्यों को तोड़–मरोड़कर सनसनीखेज प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया।

इसी बीच पुलित्जर ने 'येलो किड' नामक एक कार्टून का प्रकाशन किया, जो कि उस समय में काफी चर्चित एवं लोकप्रिय हुआ। यह कार्टून रिचर्ड एफ. आउटकॉल्ट द्वारा रचित किया गया था। पुलित्जर के प्रतिद्वन्दी हर्स्ट ने इस कार्टून की लोकप्रियता को भाँप लिया एवं धन के बल पर इसे अपने समाचार पत्र न्यूयॉर्क जर्नल से जोड़ दिया। दूसरी ओर पुलित्जर ने भी एक नए कार्टूनिस्ट जॉर्ज ल्यूक को नियुक्त कर लिया और येलो किड कार्टून को जारी रखा। इसके पश्चात् धन के बल पर पत्रकारों को आकर्षित करने का दौर प्रारम्भ हुआ एवं दोनों ही समाचार पत्रों ने अपनी प्रसार संख्या को बढ़ाने के लिये हर तरह के हथकंडे अपनाए एवं अपने–अपने समाचार पत्रों की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिये दोनों ने ही पत्रकारों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया। पीत पत्रकारिता का भयावह रूप तब देखने को मिला जब 'न्यूयॉर्क जर्नल' ने अमेरिका एवं स्पेन के बीच हुए युद्ध को और हवा दी। दोनों पत्रों ने इसे अपनी प्रसार संख्या को बढ़ाने तथा प्रभुत्व कायम करने के अवसर के रूप में लिया एवं झूठे समाचारों को प्रकाशन होने लगा और इस प्रकार की खबरों ने युद्ध को और भी जटिल बना दिया। पीत पत्रकारिता की इस औपचारिक शुरुआत ने आने वाले समय के लिये एक खतरे की घंटी के रूप में काम किया, जिसका असर प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध पर भी पड़ा। जनसमूह को अपने पक्ष में करने के लिये संदेशों के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत के कुछ समय बाद ही पीत पत्रकारिता का युग समाप्त हो गया एवं दुनिया धीरे–धीरे सनसनी फैलाने की प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई।

भारत में पीत पत्रकारिता

गाँधीजी के अनुसार "स्वतन्त्र प्रेस का न तो कोई सहयोगी होना चाहिए और न ही कोई विरोधी, उसे रूढ़िवादी आलोचक होना चाहिए।" ब्रेकिंग न्यूज एवं आकर्षक रिपोर्टिंग संस्कृति के उदय के साथ, मसालेदार कवरेज के प्रचलन के साथ, खोजी पत्रकारिता पर्दे के पीछे चली गई है, जो कि बहुत कम शोध तथा बड़ी संख्या में प्रकाशित कहानियों के साथ आधी–अधूरी प्रकाशित तुच्छ कहानियों को प्रसारित करने के आगमन के बाद से है।

पीत पत्रकारिता का विकृत स्वरूप पत्रकारिता की उस शैली को दर्शाता है, जिसमें तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर संवेदनाओं को भड़काने के लिये नाटकीय तत्वों का उपयोग किया जाता है। पीत पत्रकारिता के कुछ पहलू हैं: –

1. पीत पत्रकारिता में सत्यता की अनदेखी की जाती है एवं विकृत स्वरूप में समाचारों में वास्तविकता का अभाव होता है एवं तथ्य अक्सर भ्रामक होते हैं, जिससे पाठकों को गलत जानकारी मिलती है।

2. पीत पत्रकारिता में समाचारों में अत्यधिक भावुकता तथा नाटकीयता का समावेश होता है एवं इसका उद्देश्य पाठकों का ध्यान आकर्षित करना होता है ।

3. पीत पत्रकारिता में समाज में डर एवं असुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिए नकारात्मक घटनाओं, अपराधों तथा विवादों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है।

4. इस प्रकार की पत्रकारिता में विज्ञापन को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे पत्रकारिता का नैतिक मूल्य घट जाता है।

5. पीत पत्रकारिता में पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भ्रामक शीर्षकों एवं अतिशयोक्तिपूर्ण विषयों का प्रयोग किया जाता है।

6. डिजिटल पत्रकारिता में आकर्षक हेडलाइनों एवं थंबनेलों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि पाठक उन पर क्लिक करें, चाहे सामग्री की गुणवत्ता कैसी भी हो।

पीत पत्रकारिता की हानियाँ

पीत पत्रकारिता को सनसनीखेज पत्रकारिता (Sensational Journalism) भी कहा जाता है, जिसके कई हानिकारक प्रभाव भी होते हैं: –

1. पीत पत्रकारिता में अधिकतर तथ्यों को घुमा–फिराकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है।

2. इसमें उत्तेजक एवं भ्रामक खबरों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण जनता में गलत धारणाएँ तथा भ्रम बढ़ता है, जिससे समाज में गलतफहमियाँ फैल सकती हैं।

3. इस प्रकार के समाचार समाज में तनाव एवं घृणा को बढ़ावा देते हैं, विशेषकर जब वे किसी विशेष समुदाय से विरुद्ध होते हैं।

4. पीत पत्रकारिता में महत्वपूर्ण एवं गम्भीर विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तथा भ्रामक खबरों को अधिक प्रमुखता दी जाती है।

5. इससे पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, जिस कारण आम जनता का पत्रकारिता पर विश्वास कम हो जाता है, इस कारण गम्भीर समाचारों का प्रभाव भी कम होता जा रहा है।

6. पीत पत्रकारिता का पालन करने वाले पत्रकार आर्थिक लाभ के लालच में अक्सर विज्ञापन के लिए सनसनी फैलाने वाली खबरों का सहारा लेते हैं, जिससे पत्रकारिता का उद्देश्य विकृत होता है।

निष्कर्ष

पीत पत्रकारिता न सिर्फ सूचनाओं को विकृत करती है, वरन् यह समाज में भ्रम एवं असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न करती है, जिस कारण आम जनता की सोच एवं दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सच्चाई को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना है, परन्तु पीत पत्रकारिता इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देती है, जिससे आम जनता का पत्रकारिता से विश्वास उठता जा रहा

है। पीत पत्रकारिता समाज में हो रहे गम्भीर विषयों पर ध्यान आकर्षित न करके विवादास्पद और मनोरंजक खबरों पर जनता का ध्यान आकर्षित करती है। इस विकृत स्वरूप को नियन्त्रित करने के लिए पत्रकारिता की नैतिकता को पुनर्जीवित करना एवं तथ्यात्मक एवं सच्ची खबरों को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। पीत पत्रकारिता का विकृत स्वरूप समाज में अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इसलिये पत्रकारों एवं टीवी चैनलों, रेडियों आदि को एक–दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में सच्ची घटनाओं को नजरअंदाज न करके पत्रकारिता के मूल सिद्धान्तों पर चलना चाहिए, जिससे पत्रकारिता की मूल भावना को समाज में जीवित रखा जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

सिंह, बच्चन 1989: हिन्दी पत्रकारिता के नये प्रतिमान, वाराणसीः विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, पृ० 73।

वर्मा, आनन्द स्वरूप 2020: पत्रकारिता का अंधा युग, सेतु प्रकाशन प्रा० लि०, पृ० 21।

भदौरिया, संतोष 2024: अंग्रेजी राज और हिन्दी की प्रतिबंधित पत्रकारिता, लोकभारती प्रकाशन, पृ० 75।

जैन, सनत 2021: आंचलिक पत्रकारिता की वैश्विक उड़ान, नई दिल्लीः मंजुल पब्लिशिंग हाउस, पृ० 105।

बाजपेयी, कुसुम 2011: आधुनिक पत्रकारिता का इतिहास, इशिका पब्लिशिंग हाउस, पृ० 75।

रमा, 2021: हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता, नयी किताब प्रकाशन, पृ० 201।

मिश्र, कृष्ण बिहारी 2019: हिन्दी पत्रकारिता आश्वस्ति और आशंका, प्रभात प्रकाशन, पृ० 90।

मंगला अनुजा, 2019: आधी दुनिया की पूरी पत्रकारिता, प्रभात प्रकाशन, पृ० 84।

आई.एस.एस.एन. संख्या : 3048–8664
ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 43–46

महिला कैदियों के अधिकारः जिला बिजनौर के विशेष संदर्भ में एक आलोचनात्मक विश्लेषण

आतेका बानो*

महिला कैदियों के अधिकार, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर निष्पक्षता, गरिमा और समानता के बुनियादी सिद्धांतों को दर्शाते हैं। दुनिया भर में, जेल प्रणालियों में महिलाओं के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के मामले बढ़ते जो रहे हैं। महिला कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें कायम रखने के प्रयास लैंगिक समानता और मानवाधिकार वकालत के लिए आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र के बैंकॉक नियम जैसे प्रयास कैद, पुनर्वास और पुर्नएकीकरण के लिए लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। भारतीय संदर्भ में, जेल अधिनियम और मॉडल जेल मैनुअल जैसे कानून हिरासत में महिलाओं की विशिष्ट कमजोरियों और जरूरतों को पहचानते हैं। हालांकि, कई महिला कैदियों के लिए वास्तविकता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, चुनौतियों से भरी हुई है। महिला कैदियों के अधिकारों का एक मुद्दा भारतीय नागरिग प्रणाली में लम्बे समय से उपेक्षित रहा है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े जिलों में जैसा कि जिला बिजनौर में यह समस्या और भी गंभीर है। इस शोध लेख में हम जिला बिजनौर के संदर्भ में महिला कैदियो के अधिकारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करेगें और उन सुधारों पर चर्चा करेगें, जो इस क्षेत्र में जरूरी है–

1. कानूनी अधिकार और उनका अभाव

भारतीय संविधान और विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय संधियों के तहत महिला कैदियों के कई अधिकार सुरक्षित किये गये है, जैसे किः

- मानवाधिकारः उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार
- स्वास्थ सेवाऐंः उचित चिकित्सा सुविधा का अधिकार
- शिक्षाः शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण का अधिकार
- कानूनी सहायताः निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार।

---

*एसोसिएट प्रोफेसर, ग्लोकल लॉ स्कूल ग्लोकल यूनिवर्सिटी, यू.पी.–247001 भारत। e-mail: Aateka83@gmail.com

यद्यपि जिला बिजनौर की जेल में इन अधिकारों का पूर्णतः पालन नहीं होता है, महिला कैदियों को अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है और शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधाऐं सीमित होती है।

2. स्वास्थ और चिकित्सा सेवाऐं

महिला कैदियों के लिए स्वास्थ सेवाओं की स्थिति बिजनौर जिले में बहुत ही दयनीय है। कई बार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी उचित चिकित्सा सहायता भी नहीं मिल पाती है। संक्रमण बीमारियों के मामले भी अधिक होते है, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।

3. शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण

महिला कैदियों के पुनर्वास के लिए शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते है, लेकिन जिला बिजनौर में यह सेवा सीमित और अधूरी होती है, जिससे रिहाई के बाद उनका समाज में पुनर्वास कठिन हो जाता है। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण की कमी के कारण वे एक बार फिर से अपराध की दुनिया में धकेल दी जाती है।

4. कानूनी सहायता

कानूनी सहायता का अधिकार महिला कैदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिला बिजनौर में इस अधिकार का भी पूरी तरह पालन नहीं होता। कानूनी सहायता तक पहुंच न होने के कारण महिलाओं को न्यायिक प्रकिया में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, वकीलों की कमी और कानूनी जागरूकता की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है।

5. सामाजिक और मानसिक स्थिति

महिला कैदियों की सामाजिक और मानसिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कैद में रहते हुए वे अक्सर सामाजिक तिरस्कार और मानसिक तनाव का शिकार होती है। बिजनौर जिले में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी इस समस्या को और जटिल बना देती है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के परिदृश्य में एक आशाजनक बदलाव देखा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS 2019–2020) के पांचवें दौर से पता चला है कि 15–24 वर्ष की आयु की 10 में से लगभग आठ युवा महिलाएं अब सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का उपयोग कर रही हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों और कुछ जनसांख्यिकी में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के उपयोग में सुधार देखा गया है, सबसे हाशिए पर रहने वाली आबादी में से एक–भारतीय जेलों में महिलाएं–की दुर्दशा को नजरअंदाज किया जाता है। ऐसे समाज में जहां कैदियों को मौलिक अधिकारों के अयोग्य माना जाता है, महिला कैदियों को और भी अधिक अन्याय का सामना करना पड़ता है। समाज महिला शुद्धता के अवास्तविक मानक से चिपका हुआ है, यह मानने से इनकार करता है कि महिलाएं भी अपराध कर सकती हैं। इस पूर्वाग्रह ने महिला कैदियों की मासिक धर्म स्वच्छता सहित बुनियादी जरूरतों की एक प्रणालीगत निगरानी और उपेक्षा को जन्म दिया है।

निष्कर्ष

जिला बिजनौर में महिला कैदियों की स्थिति चिन्ताजनक है, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी सहायता और सामाजिक पुनर्वास के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा और महिला कैदियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। न्यायिक प्रणाली को भी अधिक संवेदनशील और सहायक बनाने की जरूरत है, ताकि महिला कैदियों को उनके अधिकारों का पूर्णतः लाभ मिल सके और समाज में सम्मान जनक जीवन जी सके। इस प्रकार जिला बिजनौर में महिला कैदियों के अधिकारों का संरक्षण और उन्हें बेहतर जीवन जीने की सुविधायें प्रदान कराना अत्यन्त आवश्कय है, इससे न केवल उनके जीवन में सुधार होगा, बल्कि समाज भी अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील बनेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

गुप्ता,एस., और अदिति, जे.ए. (2023) हाशिये पर रहने वाली महिलायें: भारत में पति–पत्नी द्वारा कारावास के अनुभव, जर्नल ऑफ फैमिली थ्योरी एण्ड रिव्यू, 15 (2)313–331)।

अवोडे,एम.एम. (2012) नैरोबी के लैंगटा महिला जेल में महिला अपराधियों की सामाजिक–आर्थिक विशेषतायें (डॉक्टरेट शोध प्रबन्ध, नैरोबी विश्वविद्यालय केन्या)

अल्पर्ट, जी.पी. (1977) कानूनी सहायता लेने के लिए कैदियों के निर्णयों के निर्धारक, न्यू इंजी. जे.ऑन प्रीजन एल., 4, 309

आनन्द, एस., मीना, आर.एस., और कुमार, ए. (2023)। महिला कैदियों के अधिकार: एक अध्ययन नम्बर 1 अन्तर्राष्ट्रीय जेएल प्रबन्धन एण्ड ह्यूमन, 6, 1459 बख्शी, पी0एम0 (2010) आजीवन कारावास मातृ कारावास का दीर्घकालिक प्रभाव। मदरिंग फॉम द इनसाईड में : मदरिंग ऑफ कारावास पर शोध (पृष्ठ 85–101) एमराल्ड पब्लिशिंग लिमिटेड।

बिस्वास, डी. (2016)। भारत में महिला कैदियों के मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। इण्डियन जेएल एण्ड जस्ट।, 7, 140

चटर्जी, डी., चौपड़ा चटर्जी, एस, और भट्टाचार्य टी. (2020)। भारत के पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाओं के बीच आत्म देखभाल क्षमताओं की खोज, इन्टरनैशनल जनरल ऑफ प्रिजनर हैल्थ, 16(2) 185–198

चौहान, बी. (2022)। भारत में महिला कैदियों के अधिकार: एक कानूनी अध्ययन। अंक 6 अन्तर्राष्ट्रीय जेएल प्रबन्धन और मानव, 5, 511।

कोबिना, जे.ई. (2010) पुनःएकीकरण की सफलता और विफलता कैद और पूर्व में कैद महिलाओं के बीच पुनः एकीकरण और प्रभावित करने वाले कारक, जनरल ऑफ ऑफेंडर रिहैबिलिटेशन, 49(3) 210–232।

कोविंग्टन, एस.एस. (2007) महिलायें और आपराधिक न्याय प्रणाली। महिला स्वास्थ्य मुद्दे 17(4), 180–182।

डेली,ई., और मैं, जे. आर. (2018). गरीमा अधिकारों के लिए एक प्राईमा। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविद, आगामी। डोनाटो सैंडोवाल, एल.ए. (2023) पूर्व अपराधियों के दृष्टिकोण से रिहाई के बाद कैदी पुन एकीकरण के लिए जेल हस्तक्षेप के प्रभावशीलता (डाक्टरेट शोध प्रबन्ध, एलिऐंट, इन्टरनैशनल यूनिवर्सिटी)।

इवांस, के. (2017) लिंग संवेदनशील न्याय: एक आलौच्नात्मक मूल्यांकन रूटलेज।

फगन, टी.जे. (2023)। सुधार में मानसिक स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए एक मॉडल, सुधारात्मक मानसिक स्वास्थ्य पुस्तिका, 1–20

अमिता धंड, (2022),महिला कैदियों के अधिकार, ईस्टर्न बुक कंपनी, तीसरा संस्करण, पृ. 145।

संजय गुप्ता, (2023) महिला कैदियों की कानूनी समस्याएँ और न्यायिक प्रणाली, भारतीय विधि पत्रिका, 45, 67।

शीलाबाई बनाम राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, एआईआर 2021 एससी 456।

राष्ट्रीय महिला आयोग, (2020), भारत में महिला कैदियों की स्थिति, पृ. 23।

आई.एस.एस.एन. संख्या : 3048–8664
ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 47–54

ग्रीन टीः स्वास्थ्य के लिए एक सम्पूर्ण पेय

उमेश कुमार*

सारांश

ग्रीन टी एक स्वास्थ्यवर्धक और हर्बल पेय है, जो विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे तुलसी, सौंफ, दालचीनी, अश्वगंधा, और मेथी दाना के साथ तैयार की जाती है। इसके नियमित सेवन से वजन घटाने, मेटाबॉलिज्म सुधार, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, और ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स और विभिन्न हर्बल सामग्री जोड़ने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने, तनाव दूर करने, और इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहायक होती है। इसे दिन में दो बार (सुबह और शाम) पीने से लाभ बढ़ता है। सही सामग्री और संतुलित आहार के साथ इसे शामिल करने से शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है।

ग्रीन टी एक प्राकृतिक और हर्बल पेय है, जो न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, और मिनरल्स होते हैं जो वजन घटाने, हृदय स्वास्थ्य, पाचन सुधार और तनाव को कम करने में सहायक हैं। नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और अनेक रोगों से बचाव होता है। यह एक सरल और प्रभावी स्वास्थ्य समाधान है जो आधुनिक जीवनशैली में स्वस्थ रहने में मदद करता है। यहाँ स्वस्थ ग्रीन टी के लिए विभिन्न सामग्रियों की सूची उनके हिंदी नाम और फायदों के साथ दी गई हैः–

1- xhu Vh i fÙk kq (Green Tea Leaves)

- एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालती हैं।
- मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन घटाने में मदद करती हैं।
- मानसिक एकाग्रता में सुधार और तनाव कम करती हैं।

2. सौंफ (Fennel Seeds)

- पाचन तंत्र को मजबूत करती है और पेट फूलने से राहत देती है।

---

*डीन, फार्मेसी, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, यू.पी.–247001 भारत।

- शरीर को डिटॉक्स करती है और सांसों को ताजा बनाती है।
- एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है।

3. अश्वगंधा (Ashwagandha)
    - तनाव और चिंता को कम करती है।
    - ऊर्जा और सहनशक्ति को बढ़ाती है।
    - हार्मोन संतुलन और अच्छी नींद में मदद करती है।
4. तुलसी (Holy Basil)
    - रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है।
    - मानसिक शांति और एकाग्रता में सुधार करती है।
    - सर्दी–खांसी में राहत देती है।
5. अदरक (Ginger)
    - पाचन को सुधारता है और मतली को कम करता है।
    - सूजन और दर्द में राहत देता है।
    - इम्यूनिटी को मजबूत करता है।
6. नींबू घास (Lemongrass)
    - शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालती है।
    - पाचन को सुधारती है।
    - एंटी–माइक्रोबियल और एंटी–इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है।
7. इलायची (Cardamom)
    - पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है।
    - शरीर को डिटॉक्स करती है।
    - ताजा सांसों के लिए उपयोगी है।
8. दालचीनी (Cinnamon)
    - ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है।
    - मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और वजन घटाने में मदद करती है।
    - सूजन और दर्द को कम करती है।
9. पुदीना (Peppermint)
    - पाचन में सुधार और गैस से राहत देती है।
    - सिरदर्द और तनाव को कम करती है।
    - ठंडक और ताजगी देती है।
10. हल्दी (Turmeric)
    - सूजन कम करती है और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है।
    - जोड़ों के दर्द में राहत देती है।
    - त्वचा और इम्यूनिटी के लिए लाभदायक।
11. आंवला (Amla)
    - विटामिन सी से भरपूर, इम्यूनिटी बढ़ाता है।

- पाचन और त्वचा के लिए फायदेमंद।
- लिवर को डिटॉक्स करता है।

12. लौंग (Clove)
- गले की खराश और पाचन के लिए फायदेमंद।
- एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है।
- सूजन को कम करता है।

13. मोरिंगा पत्तियाँ (Moringa Leaves)
- आयरन और कैल्शियम से भरपूर है।
- शरीर में ऊर्जा और इम्यूनिटी को बढ़ाती है।
- सूजन और थकान को कम करती है।

14. स्टीविया पत्तियाँ (Stevia Leaves) (वैकल्पिक, मीठा स्वाद देने के लिए)
- प्राकृतिक शुगर का विकल्प, कैलोरी–फ्री।
- ब्लड शुगर के लिए सुरक्षित।

15. काली मिर्च (Black Pepper)
- पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है, विशेष रूप से हल्दी के साथ।
- मेटाबॉलिज्म को तेज करती है।
- सूजन और दर्द में राहत देती है।

16. गुलाब की पंखुड़ियाँ (Rose Petals)
- तनाव कम करती है और मूड को बेहतर बनाती है।
- त्वचा को निखारती है।
- खुशबू और स्वाद में सुधार करती है।

17. हिबिस्कस फूल (Hibiscus Flowers)
- ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
- लिवर स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
- वजन घटाने में मदद करता है।

18. मुलेठी (Licorice Root)
- गले की खराश में राहत।
- श्वसन तंत्र को मजबूत करता है।
- प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है।

19. बाबुना फूल (Chamomile)
- अच्छी नींद और मानसिक शांति में मदद करता है।
- पेट की समस्याओं से राहत देता है।
- त्वचा को स्वस्थ रखता है।
- यह हाइपरग्लिकेमिया, पेट की गड़बड़ी, मोटापे की समस्या, और घबराहट की बीमारी के इलाज में मददगार होता है।

- कैमोमाइल चाय में कैल्शियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।

20. पुदीने की पत्तियाँ (Mint Leaves)
    - पाचन को बढ़ाता है और अम्लता को कम करता है।
    - ताज़ा और ठंडा करने वाले गुण।
    - तनाव को कम करता है और फोकस में सुधार करता है।
21. मेथी दाना (Fenugreek Seeds)
    - मेथी दाना ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, जिससे डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है।
    - मेथी दाना फाइबर से भरपूर होता है, जो भूख को नियंत्रित करता है और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।
    - मेथी दाना पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है।
    - मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

यहाँ कुछ खास ग्रीन टी ब्लेंड्स के सुझाव दिए गए हैं, जिनमें ऊपर बताए गए सामग्री का उपयोग किया गया है। आप अपनी ज़रूरत और स्वाद के अनुसार इन्हें तैयार कर सकते हैं:

1. डिटॉक्स ग्रीन टी ब्लेंड

   सामग्री: ग्रीन टी पत्तियाँ: 1 चम्मच; सौंफ: 1/2 चम्मच; हल्दी: 1/4 चम्मच; तुलसी के पत्ते: 4–5 पत्तियाँ; नींबू का रस: 1 चम्मच।

   विधि: पानी उबालें और उसमें ग्रीन टी, सौंफ, हल्दी, और तुलसी डालें। 3–4 मिनट ढककर रखें। छानकर इसमें नींबू का रस डालें। यह ब्लेंड शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है।

2. एंटी–स्ट्रेस ग्रीन टी ब्लेंड:

   सामग्री: ग्रीन टी पत्तियाँ: 1 चम्मच; अश्वगंधा पाउडर: 1/4 चम्मच; दालचीनी: एक छोटा टुकड़ा; कैमोमाइल फूल: 1 चम्मच।

   विधि: पानी उबालें और इसमें सारी सामग्री डालें; 5 मिनट तक धीमी आँच पर उबलने दें; छानकर गर्मागर्म पिएँ। यह चाय तनाव कम करने और अच्छी नींद में मदद करती है।

3. डाइजेस्टिव ग्रीन टी ब्लेंड

   सामग्री: ग्रीन टी पत्तियाँ: 1 चम्मच; अदरक का टुकड़ा: 1 इंच (कद्दूकस किया हुआ); पुदीना पत्तियाँ: 5–6; सौंफ: 1/2 चम्मच।

   विधि: उबलते पानी में सभी सामग्री डालें; 4–5 मिनट तक उबालें; छानकर चाय पिएँ। यह पाचन में सुधार और पेट की गैस को कम करता है।

4. इम्यूनिटी बूस्टर ग्रीन टी ब्लेंड

   सामग्री: ग्रीन टी पत्तियाँ: 1 चम्मच; तुलसी के पत्ते: 5–6; आंवला पाउडर: 1/2 चम्मच; काली मिर्च: 2–3 दाने।

   विधि: उबलते पानी में सभी सामग्री डालें; 5 मिनट तक उबलने दें; छानकर हल्का गर्म पिएँ; यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सर्दी–खांसी से बचाने में मदद करता है।

5. वजन घटाने वाला ग्रीन टी ब्लेंड

सामग्रीः ग्रीन टी पत्तियाँः 1 चम्मच; दालचीनीः 1/2 चम्मच; नींबू का रसः 1 चम्मच; स्टीविया पत्तियाँः 2–3 (वैकल्पिक)।

विधिः पानी उबालें और इसमें ग्रीन टी और दालचीनी डालें; 3–4 मिनट बाद छान लें; नींबू और स्टीविया डालकर पिएँ। यह मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन घटाने में मदद करता है।

6. सर्दी–खांसी के लिए मसाला ग्रीन टी

सामग्रीः ग्रीन टी पत्तियाँः 1 चम्मच; अदरकः 1 इंच टुकड़ा; काली मिर्चः 2–3 दाने; लौंगः 2–3; तुलसी के पत्तेः 5–6।

विधिः पानी में सारी सामग्री डालकर 5–7 मिनट उबालें; छानकर गर्मागर्म पिएँ। यह चाय गले की खराश, सर्दी और खाँसी में राहत देती है।

7. फ्लोरल रिफ्रेशर ग्रीन टी

सामग्रीः ग्रीन टी पत्तियाँः 1 चम्मच; गुलाब की पंखुड़ियाँः 1 चम्मच; हिबिस्कस फूलः 1 चम्मच; स्टीवियाः 1–2 पत्तियाँ (मीठे के लिए)।

विधिः पानी उबालें और इसमें सारी सामग्री डालें। 4–5 मिनट तक ढककर रखें। छानकर हल्का गर्म पिएँ। यह चाय तनाव कम करने और त्वचा में निखार लाने में मदद करती है।

इनके अतिरिक्त, यहाँ एक विशेष प्रकार की ग्रीन टी ब्लेंड की रेसिपी सुपर हेल्दी ग्रीन टी ब्लेंड के रूप में दी गई है, जो वजन घटाने (Weight Loss), डायबिटीज (Diabetes) और ब्लड प्रेशर (BP) को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है।

सुपर हेल्दी ग्रीन टी ब्लेंडः

सामग्रीः ग्रीन टी पत्तियाँः 1 चम्मच; दालचीनी (Cinnamon): 1/2 चम्मच (पाउडर या छोटा टुकड़ा); मेथी दाना (Fenugreek Seeds): 1/4 चम्मच; तुलसी के पत्ते (Holy Basil): 5–6 पत्तियाँ; नींबू का रस (Lemon Juice): 1 चम्मच; काली मिर्च (Black Pepper): 2–3 दाने (कुटी हुई); स्टीविया पत्तियाँः 1–2 (मीठे के लिए, वैकल्पिक)

विधिः पानी उबालेंः 2 कप पानी को उबालें। सामग्री डालेंः उबलते पानी में दालचीनी, मेथी दाना, तुलसी पत्ते और काली मिर्च डालें। उबालेंः इसे धीमी आंच पर 3–4 मिनट तक उबालें। ग्रीन टी डालेंः अब इसमें ग्रीन टी पत्तियाँ डालें और 1–2 मिनट के लिए ढक दें। छान लेंः इसे छानकर एक कप में डालें। नींबू और स्टीविया मिलाएँः अंत में नींबू का रस और स्टीविया मिलाएँ।

कैसे फायदेमंद हैः

1. वजन घटाने के लिएः

ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। दालचीनी और मेथी दाना फैट बर्निंग को बढ़ावा देते हैं। नींबू शरीर को डिटॉक्स करता है।

2. डायबिटीज के लिएः मेथी दाना और दालचीनी ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। ग्रीन टी इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाती है।

3. ब्लड प्रेशर के लिएः तुलसी और ग्रीन टी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। काली मिर्च और दालचीनी रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करते हैं।

कब और कैसे पिएँः

सुबह खाली पेट या खाने के 30 मिनट बाद। दिन में 2 बार (सुबह और शाम) पिएँ।

इस चाय के साथ संतुलित आहार और हल्का व्यायाम जरूर करें।

यहाँ इस ग्रीन टी ब्लेंड से संबंधित और विस्तृत जानकारी दी जा रही है, ताकि आप इसे और अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंः

अधिक जानकारी और सुझाव

1. ग्रीन टी कब पिएँः सुबह खाली पेटः यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। भोजन के बादः खाना पचाने में मदद करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। रात को हल्का भोजन करने के बादः वजन घटाने और शरीर को आराम देने के लिए।

2. चाय पीने के समय का ध्यान रखेंः इसे खाली पेट पिएँ लेकिन बहुत अधिक एसिडिटी हो तो नाश्ते के बाद लें। सोने से तुरंत पहले न पिएँ क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो नींद को प्रभावित कर सकता है।

3. वैकल्पिक सामग्री (अपनी पसंद के अनुसार जोड़ सकते हैं)ः मुलेठी (Licorice)ः हल्की मिठास और गले के लिए फायदेमंद। आंवला पाउडर (Amla Powder)ः इम्यूनिटी और त्वचा के लिए। जैविक शहद (Honey)ः स्टीविया की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे चाय ठंडी होने पर ही डालें।

4. भोजन के साथ तालमेलः इस चाय का लाभ उठाने के लिए एक लो–कार्ब और हाई–फाइबर डाइट अपनाएँ। तली–भुनी चीज़ें और अधिक नमक का सेवन कम करें।

5. व्यायाम और दिनचर्याः इस चाय के साथ रोजाना 20–30 मिनट का हल्का व्यायाम जैसे वॉकिंग, योग या प्राणायाम करें। वजन घटाने और डायबिटीज नियंत्रण के लिए खाली पेट व्यायाम करना अधिक फायदेमंद होता है। पेय को अधिक प्रभावी बनाने के टिप्सः

- फ्रेश सामग्री का उपयोग करेंः जैसे ताजी तुलसी, नींबू और पिसी हुई दालचीनी।
- सामग्री को ओवरकुक न करेंः ग्रीन टी और तुलसी जैसी चीजें लंबे समय तक उबालने से कड़वी हो सकती हैं।
- हल्का गर्म ही पिएँः ज्यादा ठंडा या बहुत गर्म करने से लाभ कम हो सकता है।
- रोजाना ताजा बनाएँः इसे स्टोर न करें, हर बार ताजा तैयार करें।

लाभ जल्दी दिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातेंः

- वजन घटानाः यदि नियमित रूप से पीते हैं तो 1–2 महीनों में मेटाबॉलिज्म में सुधार नजर आएगा।
- डायबिटीज नियंत्रणः चाय पीने के साथ ब्लड शुगर मॉनिटरिंग नियमित रूप से करें।
- ब्लड प्रेशरः लो–सोडियम डाइट के साथ यह चाय तेजी से असर करती है।

यहाँ आपके लिए एक विस्तश्त स्वास्थ्य योजना दी गई है, जिसमें इस ग्रीन टी के साथ वजन घटाने, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सुझाव शामिल हैंः

1. डाइट प्लान (Diet Plan):

सुबह (6:00 – 7:00 AM):

- ग्रीन टी ब्लेंड (पहले बताए अनुसार तैयार करें)।

- 5–6 भीगे हुए बादाम (छिलका उतारकर)।
- 1 गिलास गुनगुना पानी में 1/2 नींबू।

नाश्ता (8:00 – 9:00 AM):

- एक कटोरी ओट्स/दलिया (पानी या दूध में)।
- 1 उबला अंडा या 1 कटोरी अंकुरित अनाज।
- 1 सेब (या कोई मौसमी फल)।

मध्य सुबह (11:00 AM):

- 1 गिलास छाछ (नमक और जीरा पाउडर डालें)।
- 2 अखरोट।

दोपहर का भोजन (1:00 – 2:00 PM):

- 1 कटोरी सब्जी (कम तेल में पकी हुई)।
- 2 मल्टीग्रेन रोटी या 1 कटोरी ब्राउन राइस।
- 1 कटोरी दाल या पनीर।
- सलाद (खीरा, टमाटर, गाजर)।

शाम का नाश्ता (4:00 – 5:00 PM):

- ग्रीन टी ब्लेंड।
- 1 मुट्ठी भुने चने या मखाने।

रात का भोजन (7:00 – 8:00 PM):

- हल्की सब्जी और 1 मल्टीग्रेन रोटी।
- 1 कटोरी दाल या सूप।
- सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी।

2. व्यायाम योजना (Exercise Plan):

सुबह (7:30 – 8:00 AM):

- 10 मिनट वॉर्मअप (स्ट्रेचिंग और हल्का कार्डियो)।
- 15–20 मिनट तेज वॉक या हल्का योग।
- डायबिटीज और BP के लिए विशेष योगासन:
- वज्रासन
- अनुलोम–विलोम प्राणायाम
- भ्रामरी प्राणायाम

शाम (6:00 – 6:30 PM):

- हल्का व्यायाम जैसे साइक्लिंग, वॉकिंग या डांस।
- यदि संभव हो तो, हल्के वजन उठाने वाले व्यायाम करें।

3. लाइफस्टाइल टिप्स (Lifestyle Tips):

- हाइड्रेशन: दिनभर में 2–3 लीटर पानी पिएँ।
- नमक नियंत्रण: सोडियम का सेवन कम करें। सेंधा नमक या कम मात्रा में साधारण नमक का उपयोग करें।

- प्रोसेस्ड फूड से बचें: पैकेज्ड स्नैक्स, चीनी और फ्राइड फूड न खाएँ।
- खाने का समय: रात का भोजन हल्का और सोने से 2 घंटे पहले करें।
- नींद: 7–8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद वजन घटाने और शुगर नियंत्रण में मदद करती है।

4. अन्य वैकल्पिक घरेलू उपाय:

- मेथी पानी: 1 चम्मच मेथी दाना रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पिएँ।
- अदरक और नींबू का पानी: खाना पचाने और वजन घटाने में मदद करता है।
- लहसुन: खाली पेट 1 कच्चा लहसुन ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रण के लिए फायदेमंद है।
- आंवला जूस: सुबह खाली पेट पिएँ, यह डायबिटीज और BP दोनों के लिए फायदेमंद है।

5. नियमित मॉनिटरिंग:

- वजन: हर हफ्ते 1 बार वजन चेक करें।
- ब्लड शुगर: भोजन से पहले और बाद में ब्लड शुगर मॉनिटर करें।
- ब्लड प्रेशर: हफ्ते में 2 बार ब्लड प्रेशर चेक करें।

निष्कर्ष

ग्रीन टी एक अद्वितीय हर्बल पेय है जो न केवल शरीर को पोषण प्रदान करता है, बल्कि विभिन्न स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। ग्रीन टी ब्लेंड का सेवन सुबह खाली पेट, शाम के नाश्ते और हल्के भोजन के साथ करना फायदेमंद है। इसके साथ संतुलित आहार जैसे ओट्स, मल्टीग्रेन रोटी, सब्जियाँ, सलाद और सूप को शामिल करें। रोजाना 15–20 मिनट की तेज वॉक, योग और हल्के व्यायाम करें। पर्याप्त पानी पीना, चीनी और नमक का सेवन सीमित करना और रात का भोजन हल्का रखना और 7–8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है। घरेलू उपायों में मेथी पानी, आंवला जूस और अदरक–नींबू का पानी शामिल करें। यह योजना वजन घटाने, ब्लड शुगर नियंत्रण और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करेगी। ग्रीन टी नियमित सेवन से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, जिससे यह स्वस्थ जीवनशैली के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है। इसके साथ–साथ सरलता और ताजगी देने वाले स्वाद के कारण यह हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। इसलिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए ग्रीन टी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छा विकल्प है।

आई.एस.एस.एन. संख्या : 3048–8664
ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 55–62

पुस्तकालय पोर्टल और पुस्तकालय पोर्टल के विकास में पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका पर अध्ययन

उर्वशी त्यागी*

सारांश

इंटरनेट युग की शुरुआत में, कई कंपनियों ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने के लिए कंपनी वेबसाइटों को लॉन्च किया। उन्होंने अपनी वेबसाइटों पर प्रभावशाली सांख्यिकीय सामग्री का उपयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया। जैसे–जैसे वेबसाइटों की संख्या बढ़ी, ग्राहकों के लिए अपनी पसंदीदा वेबसाइटों को खोजना या उन तक पहुँच बनाना कठिन होता गया। इसके परिणामस्वरूप, सर्च इंजन उभरे और जल्द ही महत्वपूर्ण उपकरण बन गए, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न वेबसाइटों तक पहुँचाने लगे। सर्च इंजनों का अद्वितीय विकास अभूतपूर्व ग्राहक विकल्पों के उदय के साथ हुआ। जैसे–जैसे सर्च इंजन और रजिस्ट्रियाँ पोर्टल्स में परिवर्तित हुईं, यह चरण अलग हो गया। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में कंपनियों को गहराई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, बजाय केवल व्यापकता के। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, पुस्तकालयों ने अपनी डेटा संपत्तियों और सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए लाइब्रेरी पोर्टल्स को अपनाया। हालाँकि, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को पोर्टल तकनीक, इसके शैक्षणिक उपयोग, और एक उपयोगकर्ता–अनुकूल पोर्टल बनाने में मदद करने वाले तत्वों, जैसे एक मजबूत सामग्री प्रबंधन संरचना, के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक शैक्षणिक सेटअप का एक अभिन्न अंग, पुस्तकालय पोर्टल वेब–समर्थित डेटा सेवाओं के लिए एक प्रभावी उपकरण है।

प्रमुख शब्दः वेब, वेबसाइट, सेवाएँ, उपयोगकर्ता, पोर्टल, पुस्तकालय, सेवाएँ।

डेटा संपत्तियों का चयन और उनका संगठन शैक्षणिक नेटवर्क में पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और डेटा संपत्तियों का प्रसार अनुसंधान और शिक्षा को सुलभ बनाता है। बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की माँग को पूरा करने के लिए, पुस्तकालयों ने "पुस्तकालय पोर्टल" या

*लाइब्रेरियन, मेडिकल लाइब्रेरी, ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर 247121, urvashityagi@glocalmedicalcollege-in

"पासेज सिस्टम" नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जो डिजिटल युग में अनुसंधान और संदर्भ सेवाएँ प्रदान करते हैं। पुस्तकालय के डिजिटल संसाधनों की पुनप्राप्ति (रिकवरी) में तीव्र विकास देखा गया है।

सूचना, संचार, और प्रौद्योगिकी ने अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। विविध डेटा संसाधनों की अनिश्चितता ने डेटा निर्माताओं और डेटा खोजकर्ताओं के लिए इसे कई संगठनों के लिए एक सुलभता की समस्या बना दिया है। प्रबंधकों और शीर्ष अधिकारियों को समय पर महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए पुस्तकालय पर सूचना केंद्र के रूप में निर्भर रहना पड़ता है। उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न उद्योगों में इंटरनेट के व्यापक उपयोग ने पुस्तकालय पोर्टलों की आवश्यकता का पहला संकेत दिया।

b³jusV Økafr d sbl ;q esa t c iksVZy Okkkj&l &Okkkj ¼B2B) ऑनलाइन संगठनों या वर्टिकल मार्केट्स (वर्टिकल पोर्टल्स) के विकास का एक साधन बन गए हैं, पोर्टल्स और पोर्टल पद्धति पर लगातार चर्चा चल रही है। वेब क्रांति ने पुस्तकालयों को केवल डेटा केंद्र के रूप में ही नहीं बल्कि अपने उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को वह जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, बिना अनंत और विशाल वेब पर समय बर्बाद किए। इसके लिए पुस्तकालयों ने अपने स्वयं के पोर्टल तैयार किए हैं।

1.1 पोर्टल क्या है?: पोर्टल का मतलब है प्रवेशद्वार, यह एक वेब–आधारित प्लेटफ़ॉर्म होता है। पोर्टल के ज़रिए, कई तरह की जानकारी एक जगह इकट्ठा होती है। पोर्टल से जुड़ी कुछ और बातें:

- पोर्टल, कई तरह की वेबसाइटों से जुड़े होते हैं।
- पोर्टल, इंटरनेट से जुड़ने पर मिलते हैं।
- पोर्टल, उपयोगकर्ताओं को उनकी ज़रूरत के मुताबिक जानकारी देते हैं।
- पोर्टल, कई तरह की सेवाओं तक पहुँचने का एक एकल बिंदु होते हैं।
- पोर्टल, उपयोगकर्ताओं को सामग्री खोजने, साझा करने, और सहयोग करने में मदद करते हैं।
- पोर्टल, सामान्य और विशेष दोनों तरह के होते हैं।
- पोर्टल, डिजिटल ग्राहक अनुभव पहलों का समर्थन करते हैं।
- पोर्टल, सरकारी सेवाओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए भी बनाए जाते हैं।
- पोर्टल के कुछ उदाहरण: भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल।

कुछ प्रशासनिक कार्यों के निष्कर्षों के अनुसार, "पोर्टल" शब्द का आईटी उद्योग में कोई नया अर्थ नहीं है। पोर्टलों के कई प्रकार हैं और उन्हें परिभाषित करने के भी कई तरीके हैं। "पोर्टल" शब्द इंटरनेट पर जानकारी और सेवाओं के लिए एक अनुकूलित प्रवेश बिंदु, होमपेज, या मार्ग को संदर्भित करता है।

1.2 पोर्टल की उत्पत्ति: लैटिन शब्द "porta," जिसका अर्थ "द्वार" है, से उत्पन्न अंग्रेजी शब्द "पोर्टल" की जड़ें जर्मन में हैं। संरचना के संदर्भ में, पोर्टल सर्वर परियोजना का मुख्य द्वार है। 1990 के दशक के मध्य में, वेब सर्च इंजन का जन्म हुआ, और 1990 के दशक के अंत तक, वे विकसित होकर वेब पोर्टल के रूप में जाने जाने लगे। उस समय यह अत्यधिक लोकप्रिय था।

Energize उन अग्रणी कंपनियों में से एक थी जिसने उपयोगकर्ताओं को उनकी विशिष्ट रुचियों के अनुसार एक साइट बनाने की सुविधा प्रदान की।

1997 में "पोर्टल" शब्द का उपयोग व्यवस्थित युग के लिए मानक शब्द बन गया। B2B (बिजनेस–टू–बिजनेस) और B2C (बिजनेस–टू–कंज़्यूमर) अनुप्रयोगों में पोर्टल्स अत्यधिक लोकप्रिय थे। 1990 के दशक के अंत में, जब ऑनलाइन कार्यक्रमों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, तो कई समूहों ने इंटरनेट के बाजार में हिस्सा पाने के लिए एक पोर्टल बनाने या खरीदने का लक्ष्य रखा।

पिछली प्रवाह की संदर्भ में, "वेब पोर्टल" शब्द की जड़ें 1990 और 2000 के दशक में विकसित बूलियन सर्च तकनीक में हैं, लेकिन अब यह केवल उन वेबसाइटों को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं को संशोधन करने की अनुमति देती हैं।

लाइब्रेरी पोर्टल की अवधारणा शैक्षिक ढाँचों और सूचना केंद्रों में पोर्टल प्रौद्योगिकी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण विकसित हुई। (3)

1.3 लाइब्रेरी पोर्टल क्या है?: हाल ही में आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) और इसकी लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान (LIS) में अनुप्रयोगों के कारण, डेटा विशेषज्ञों को लाइब्रेरी में अपनी कार्य प्रथाओं पर पुनर्विचार करने का बढ़ा हुआ दबाव महसूस हो रहा है। वेब–आधारित डेटा सेवाओं के व्यापक उपयोग ने लाइब्रेरी को इस विकल्प पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया है।

लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के क्षेत्र के विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि लाइब्रेरी पोर्टल शैक्षणिक संस्थानों के लिए फायदेमंद हैं।

इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का मूल्य उन क्षमताओं के माध्यम से बढ़ता है, जैसे कि:

- संसाधनों का विवरण और उनकी खोज,
- अनेक संसाधनों की संयुक्त खोज,
- संदर्भ–संवेदनशील कनेक्शन,
- और व्यक्तिगत सेवाएँ।

इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"लाइब्रेरी पोर्टल एकल उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है जो लाइब्रेरी के अंदर और बाहर की व्यापक श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है"।

लाइब्रेरी पोर्टल को डेटा हब (सूचना केंद्र) के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रणाली के सभी संसाधनों और सेवाओं का संपूर्ण भार है। इसे एक "पोर्टफोलियो" के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे कुछ पेशेवर या व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है।

लाइब्रेरी पोर्टल को विशेष उपयोगकर्ता समूहों की सेवा के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जब सिस्टम प्रतिबद्धताओं की बात आती है, तो एक लाइब्रेरी पोर्टल उपयोगकर्ताओं और संसाधनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। (4)

1.4 पोर्टल, वेब वेबसाइट और सर्च इंजन में क्या अंतर है?: जब वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई, तो पोर्टल इसका एक माध्यम था जिसे व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया गया। "पोर्टल" शब्द का अर्थ है "प्रवेश द्वार", और इसे उन वेबसाइटों के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें अक्सर खोज और नेविगेशन सुविधाएँ होती हैं। प्रारंभिक पोर्टल, जो इंटरनेट पर सभी सामग्री को वर्गीकृत

करते थे और उपयोगकर्ताओं के लिए एक "हब" के रूप में कार्य करते थे, जहाँ से वे विशिष्ट सामग्री तक पहुँच सकते थे, लगभग 1996 के आसपास सामने आए।

पोर्टल की भूमिका अब केवल एक साधारण लैंडिंग पॉइंट से आगे बढ़ चुकी है। उनकी वेबसाइट पर, वे कई प्रकार की सामग्री और सेवाएँ प्रदान करते हैं। जबकि पोर्टल की सटीक परिभाषा पर बहस हो सकती है, सभी अच्छे पोर्टल्स में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं:

- कुछ संचार क्षमताएँ (जैसे ईमेल, व्यक्तिगत बैठकें)।
- सूचना तक पहुँचने और नेविगेट करने के उपकरण।

दूसरी ओर, एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) डेटा का एक आपस में जुड़ा हुआ संग्रह है, जिसमें एक प्रारंभिक दस्तावेज़ होता है जिसे होमपेज कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति या संगठन आपको अपनी वेबसाइट का पता देता है, तो वह आपको यह बताता है कि उनकी साइट तक कैसे पहुँचा जाए। होमपेज से, आप उनकी साइट के सभी पृष्ठों तक पहुँच सकते हैं।

सर्च इंजन विशिष्ट वेबसाइटों से डेटा की पुनप्राप्ति को बढ़ावा देते हैं। सर्च इंजन उपयोगकर्ताओं को उनकी इच्छित जानकारी या संसाधनों को खोजने में मदद करने का प्रयास करते हैं, जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण शब्दों से मेल खाने वाली संभावित सामग्री की जाँच करके की जाती है।

आम धारणा के अनुसार, ऑनलाइन संसाधनों का एक डेटाबेस बनाना, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए कीवर्ड के साथ खोजा जा सकता है, इस सामग्री को खोजने और पुनः प्राप्त करने का सबसे कुशल तरीका है। जब सिस्टम पर बहुत कम या कोई गतिविधि नहीं होती है, तो फ़ाइलें आमतौर पर एकत्र की जाती हैं। (5)

आप अधिकाँश सर्च इंजनों को स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं, और विभिन्न सर्च इंजन विशिष्ट प्रकार की खोजों के लिए बेहतर काम करते हैं।

पोर्टल टेक्नोलॉजी का विकास

जो अब पोर्टल्स के रूप में जाने जाते हैं, उनका मूल नाम "सर्च इंजन" था। HTML रिपोर्ट्स से जुड़ी बूलियन लॉजिक इन सर्च इंजनों की रीढ़ थी। इस सर्च इंजन तकनीक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढना आसान बनाना था। अगले विकास चरण के दौरान, "नेविगेशन डेस्टिनेशन" शब्द का उपयोग याहू!, एक्साइट, इन्फोसीक और लाइकोस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को वर्णित करने के लिए किया गया। प्रारंभिक चरणों में यह माना जाता था कि उपयोगकर्ता वेब पर प्रासंगिक सामग्री खोजकर नेविगेट कर सकते थे। लेकिन यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि औसत उपभोक्ताओं को गेमिंग, मौसम और यात्रा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ शोध कौशल विकसित करने में कोई रुचि नहीं थी। (6)

इस उपयोगकर्ता असंतोष को हल करने के लिए भविष्य की योजना बनाने की क्षमता ने "नेविगेशन डेस्टिनेशन" को एक घटक बना दिया। इस प्रक्रिया में प्रसिद्ध वेबसाइटों और अभिलेखों को उनकी सामग्री के प्रकार (खेल, समाचार, वित्त, आदि) के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया था। नवीनतम उन्नति ने "पोर्टल्स" को पेश किया। पोर्टल चरण में, डेस्टिनेशन सर्च और व्यवस्थित सामग्री, साथ ही अन्य सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इनमें "रुचि के नेटवर्क" (जैसे यिप्पी! बजटरी की स्ट्रंग

चर्चाएँ), निरंतर यात्रा, उपयोगकर्ता–निर्दिष्ट सामग्री (जैसे मेरा–एक्साइट!), और विशिष्ट क्षमताएँ शामिल हैं। यह विश्वास कि उपयोगकर्ताओं को अधिकाँश अपनी डेटा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ही इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होनी चाहिए, इस बदलाव को प्रेरित करता है।

2.1 लाइब्रेरी पोर्टल का जन्म: लाइब्रेरी सामग्रियों को संगठित और उपयोग करने के एक पसंदीदा तरीके के रूप में, लाइब्रेरी पोर्टल की प्रमुखता बढ़ रही है। ऑनलाइन पोर्टल अंततः अनुरोध के अराजकता से व्यवस्था लाने में प्रभावी साबित हुए। विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरियाँ अब डिडक्शन, संगठन और विभिन्न लाइब्रेरी संरचनाओं और सेवाओं के निर्माण को पोर्टल्स से जोड़ने लगी हैं क्योंकि ये प्रक्रियाएँ जानकारी और वाणिज्य को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। यह महत्वपूर्ण है कि LIS पेशेवर यह याद रखें कि यह लाइब्रेरी सूचना विज्ञान (LIS) उद्योग में कोई नया विचार नहीं है। यह "लाइब्रेरी पोर्टल" वास्तव में एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (OPAC) और वेब डिस्कवरी टूल्स का संयोजन है। (7)

ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (OPAC) और अधिक व्यापक प्रकटीकरण तंत्रों का यह संयोजन लाइब्रेरियनों और लाइब्रेरी स्वचालन संगठनों द्वारा लाइब्रेरी पोर्टल के रूप में संदर्भित किया जाने लगा है। यह नया विचार नहीं है, बल्कि लाइब्रेरियनों को यह समझना चाहिए कि पोर्टल कार्ड इंडेक्सेस से ऑनलाइन संसाधनों में विकास का परिणाम है। हालाँकि कई लाइब्रेरियाँ पोर्टल को एक कमजोर विचार के रूप में खारिज करती हैं, यह वास्तव में पारंपरिक वेब OPAC का विस्तार था।

3. पोर्टल के प्रकार

3.1 वर्टिकल पोर्टल: वर्टिकल पोर्टल्स को ऑनलाइन "कॉर्पोरेट पोर्टल्स," "एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल्स" (EIPs), या "वोर्टल्स" के रूप में भी जाना जाता है, जो एक विशिष्ट समूह को विशिष्ट डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करते हैं। यह एक वेबसाइट है जो लोगों को एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित डेटा तक पहुँच प्रदान करती है, जिसमें चिकित्सा, सुरक्षा, कार, या खाद्य उत्पादन उद्योग शामिल हैं। एक उद्योग जो बहुत छोटे उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे वर्टिकल उद्योग कहा जाता है। एक अन्य शब्द जो इसका उपयोग किया जा सकता है, वह है इंटरेस्ट नेटवर्क वेबसाइट, क्योंकि कोई भी वर्टिकल उद्योग उन लोगों को एकत्र करता है जो उस व्यवसाय से संबंधित जानकारी खरीदने, बेचने, या आदान–प्रदान करने के प्रति जुनूनी होते हैं। एक वर्टिकल पोर्टल एक निजी कंपनी हो सकती है जो उन लोगों की मदद करती है जो घर से काम करते हैं, उन्हें उनके घर के कार्यालय के लिए उत्पादों की जानकारी और टिप्स प्रदान करती है। बहुत से लोग इस प्रकार के पोर्टल को एक नेटवर्क मानते हैं जो व्यवसायों को जोड़ता है। (8)

कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज पोर्टल्स डेटा के लिए: वर्टिकल पोर्टल का एक उदाहरण एक एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन पोर्टल या एक कॉर्पोरेट पोर्टल हो सकता है। वेब पोर्टल्स जैसे Yahoo! का एक एंटरप्राइज पोर्टल होता है, जो इसका इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट संस्करण होता है। इसके अलावा, Excite है। EIP में वेब रिसर्च टूल्स, उत्पादकता टूल्स को बढ़ावा देने वाले टूल्स, और ऑनलाइन वाणिज्य को स्थानांतरित करने वाले टूल्स शामिल होते हैं, साथ ही वेब साइट्स जो स्टॉक पोर्टफोलियो और खेल स्कोर दिखाती हैं। एक व्यवसायिक पोर्टल को कई उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए, आदर्श रूप से यह कर्मचारियों, विभिन्न संगठनों और अंततः उपभोक्ताओं के लिए एक केंद्रीय प्रवेश बिंदु के रूप

में कार्य करता है। एंटरप्राइज पोर्टल्स जिन नेटवर्क्स का हिस्सा होते हैं, वे उन्हें संदर्भित कर सकते हैं। "बिजनेस–टू–एम्प्लॉयी" (B2E) पोर्टल एक ऐसा नाम हो सकता है जो एक कर्मचारी–प्रत्युत्तर पोर्टल के लिए उपयोग किया जाता है। एंटरप्राइज पोर्टल्स का वर्णन करते समय "BtoC", "B2D", "B2B", और "B2G" जैसे संक्षिप्त रूप होते हैं, जो क्रमशः "बिजनेस–टू–गवर्नमेंट", "बिजनेस–टू–प्रोवाइडर", "बिजनेस–टू–उपभोक्ता", और "बिजनेस–टू–सेलर" के लिए होते हैं।

एंटरप्राइज पोर्टल्स के कुछ घटक निम्नलिखित हैं:

- एक संपर्क बिंदु: पोर्टल कंपनी के सभी डेटा और सेवाओं के प्रसारण का माध्यम के रूप में कार्य करता है।
- सहयोग पोर्टलः जो लोग सहयोग पोर्टल का उपयोग करते हैं, वे जानकारी को वास्तविक समय में (दौरे या सूचित करके) या बाद में (बैठकों और ऑनलाइन डायरीज़ के माध्यम से) साझा कर सकते हैं।
- कंटेंट और डॉक्युमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्सः जो दस्तावेज़ निर्माण जीवन चक्र में मदद करते हैं, इसमें लेखन, अनुमोदन, अनुकूलन, नियंत्रण, बुकिंग, वितरण, आदेश और खोजने की सेवाएँ शामिल हैं।
- कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशनः उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर विशिष्ट प्रकार की सामग्री और सेवाओं के लिए ऑप्ट–इन करने का विकल्प, जिसे अक्सर पर्सनलाइजेशन कहा जाता है। उपयोगकर्ता के वातावरण की दृश्यात्मकता के लिए कस्टमाइजेशन के विकल्प भी उपलब्ध होते हैं।
- इंटीग्रेशनः यह विभिन्न फ्रेमवर्क्स की क्षमताओं और डेटा संरचनाओं को नए घटकों या पोर्टल्स में जोड़ने की प्रक्रिया है।

3.2 हॉरिजेंटल पोर्टलः दूसरी ओर, एक हॉरिजेंटल उद्योग विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने का लक्ष्य रखता है। अधिकाँश उद्योग अक्सर अपनी संचालन प्रकृति के कारण वर्टिकल संरचना का पालन करते हैं। हॉरिजेंटल पोर्टल्स एक प्रकार के पोर्टल होते हैं जो "हर किसी के लिए जानकारी का एक टुकड़ा" प्रदान करते हैं। हॉरिजेंटल पोर्टल्स के उदाहरणों में वेब पोर्टल्स, "पब्लिक पोर्टल्स", "कंज्यूमर पोर्टल्स", और Yahoo! जैसे पोर्टल्स शामिल हैं।

पुस्तकालय पोर्टल विकास में पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका

पुस्तकालयाध्यक्ष की क्षमताएँ और पुस्तकालय द्वारा प्रबंधित सामग्री आकर्षक पुस्तकालय पोर्टल्स के लिए आवश्यक होती हैं। जब स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए पोर्टल्स बनाने की बात आती है, तो अकादमिक पुस्तकालयाध्यक्षों के पास अद्वितीय दृष्टिकोण और क्षमताओं का एक सेट होता है, क्योंकि वे अनुभवी शिक्षक होते हैं जो सूचना संसाधनों को सूचीबद्ध और मूल्याँकन करते हैं। इसमें विषय विशेषज्ञता, कॉपीराइट ज्ञान, ग्राहक सेवा जिम्मेदारियाँ, और नए वेब–आधारित सूचना वितरण प्लेटफार्मों के विकास में भागीदारी शामिल होती है। (9)

एक पुस्तकालयाध्यक्ष की यह क्षमता कि वे किसी संगठन के भीतर पोर्टल पहलों में योगदान दे सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं, इस पर निर्भर करती है कि वे इन पहलों के साथ कैसे जुड़ते हैं। इस संदर्भ में, पुस्तकालय पोर्टल के लिए अन्य लक्ष्यों की तरह ही समान चुनौतियाँ हैं, जैसे कि क्रेडिट को कैसे परिभाषित किया जाए और उपयोगकर्ता की योग्यताओं के आधार पर कौन से संसाधन उन्हें प्रदान किए जाएँ। लेकिन पोर्टल को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि यह संसाधनों

के लिए एक्सेस नियम स्थापित करे, ताकि यह उपयोगकर्ता को सही कनेक्शन दे सके। इन मानदंडों के विकास में, पहले से मौजूद योग्यता विशेषताओं का उपयोग किया जा सकता है या पोर्टल–संबंधित सदस्यता गुणों पर आधारित किया जा सकता है, जो संसाधन अनुमोदन से जुड़े होते हैं। एक विशिष्ट शैक्षिक नेटवर्क के संदर्भ में, Scholastic के पुस्तकालयाध्यक्ष उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान कर सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष छात्रों के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, जो ऑनलाइन प्रासंगिक जानकारी खोजने में संघर्ष करते हैं। इसलिए, पुस्तकालय पोर्टल के विकास और कार्यान्वयन में पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। (10)

उपयोगकर्ता / ग्राहक और पोर्टल

पोर्टल बनाने का मुख्य उद्देश्य संसाधनों की प्रविष्टि को न्यूनतम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के साथ सरल बनाना है। ऑनलाइन पुस्तकालय सूची को नेविगेट और समझने में आसान होना चाहिए। उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों के लिए पुस्तकालय की सामग्री तक केंद्रीकृत, योजनाबद्ध पहुँच आवश्यक है। जिन कई सुविधाओं से यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों के लिए उपयोगी बनता है, उनमें कस्टमाइजेशन के विकल्प शामिल हैं जो स्पष्टता, उपयोग में आसानी, कनेक्शनों की दृश्यता, डेटा पुनप्राप्ति की गति और अनुकूलता में वृद्धि करते हैं।

निष्कर्ष

पुस्तकालय पोर्टल शैक्षिक प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अच्छा विकसित, सक्षम व्यक्तित्व पुस्तकालय के द्वार के माध्यम से बचपन से आकार लिया जा सकता है। नए विचार उत्पन्न करने और उन्हें एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में परखने की क्षमता एक अच्छे विकसित बुद्धिमत्ता की विशेषता है। इस निरंतर दो–तरफा संचार के युग में, हर पुस्तकालय को एक पुस्तकालय पोर्टल स्थापित करना चाहिए, ताकि इसकी सेवाएँ और संग्रह एक उपयोगकर्ता–मित्र इंटरफ़ेस के माध्यम से सुलभ हो सकें, जो इसके उपयोगकर्ताओं की लगातार बढ़ती माँगों को पूरा कर सके। डेटा को एक भौतिक वस्तु के रूप में देखा जाता है। इस उत्पाद की निरंतर माँग होती है और इसे बेचा जा सकता है। जानकारी, किसी भी अन्य उत्पाद की तरह, एक ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए और उसे इस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उनके लिए उपयोग में आसान हो, ताकि वह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सके। इसके अतिरिक्त, जानकारी स्व–नवीकरणीय होती है, एक बार दिए जाने या बेचे जाने के बाद, यह आपूर्तिकर्ता / विक्रेता और लाभार्थी दोनों के पास अनिश्चितकाल तक रहती है। इन दिनों, जिन्हें जानकारी की आवश्यकता होती है, वे इसे खोजने में बहुत समय नहीं बिताना चाहते; इसके बजाय, जो लोग इस डेटा को बनाते हैं, वितरित करते हैं, शासित करते हैं, और अध्ययन करते हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उन्हें अपने उत्पादों, सेवाओं, पुस्तकालयों, सूचना केंद्रों और डेटा गोदामों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे यह प्रचारित कर सकें कि उनके पास क्या है। पोर्टल, ऊपर बताए गए प्रत्येक दृष्टिकोण में, एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। शैक्षिक पोर्टल अपने उपयोगकर्ताओं को अपने संसाधनों के बारे में सूचित कर सकता है। जबकि एंटरप्राइज़ पोर्टल ग्राहकों और कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सरकारी

पोर्टल नेटवर्क और सार्वजनिकों का संचालन करते हैं। अंत में, पोर्टल प्रौद्योगिकी का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं का समय बचाना है जब वे विशिष्ट जानकारी की खोज कर रहे होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्ता, विवेक, संपादक; "पोर्टल्स", हैदराबादः द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया, 2011।

2. जैक्सन, मैरी ई०, प्रीसे, बारबरा जी०; "संवर्धन और पोर्टल चुनौती", द जर्नल ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप, वॉल्यूम 28, संख्या 03, पृष्ठ 160–162, मई 2012।

3. ओ'लेरी, मिक; "लाइब्रेरी पोर्टल्स का मूल्याँकन", http://www.onlinemag.net/OL2000/oleary11.html (अक्सेस किया गया 19/09/2015)।

4. श्चेचर, रूपर्ट; "पोर्टल्सः सूचना पोर्टल्स का अध्ययन"। ग्राज़ः ग्राज़ विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी, 29 मई 2000। http://www2.iicm.edu/cguetl/education/projects/rscheuch/seminar/node1.html (अक्सेस किया गया 21/09/2015)।

5. स्ट्रॉस, हावर्ड; "लाइब्रेरी पोर्टल्सः एक माइनॉरिटी रिपोर्ट", लाइब्रेरी जर्नल, वॉल्यूम 127, संख्या 17, पतझड़ 2012। http://search.epnet.comd

6. "पोर्टल्स, वॉर्टल्स, और सामान्य लोग", कंप्यूटर इन लाइब्रेरिज, 21:2 (फरवरी 2010), 46–48, पोर्टल्स, द जर्नल वॉल्यूम 28, इश्यू 03, 2010, पृष्ठ संख्या 52, www.questia.comd

7. हेफ्लिन, जेफ; "OWL वेब ऑंटोलॉजी लैंग्वेज–उपयोग केस और आवश्यकताएँ", W3C सिफारिश 2014, 10 (12)।

8. कोंनुर, पी०वी० और उमेशरेड्डी कावेरकी; 2006, "लाइब्रेरी पोर्टलः लाइब्रेरियन की भूमिका", 4वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CALIBER–2006, गुलबर्गा, 2–4 फरवरी, INFLIBNET सेंटर, अहमदाबाद।

9. कृष्णमूर्ति, एम० और चान, डब्ल्यू० एस०; "सूचना संसाधनों के लिए लाइब्रेरी पोर्टल्स का कार्यान्वयनः भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बैंगलोर (ISIB) का केस स्टडी", अंतर्राष्ट्रीय सूचना और पुस्तकालय समीक्षा, 2015, 37 (1) 45–50।

10. "व्यक्तिगत लाइब्रेरी पोर्टल्स एक संगठनात्मक संस्कृति परिवर्तन एजेंट के रूप में", सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय, 2010, 19 (4)।

आई.एस.एस.एन. संख्या : 3048–8664
ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 63–65

21वीं सदी में पंचवटी के लक्षमण की प्रासंगिकता

नीतू पाण्डेय*

सारांश

रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जिसका हर एक पात्र महाकाव्यात्मक पात्र माना जाता है, जिस पर अलग से महाकाव्य लिखा जा सकता है। उनमें से एक पात्र लक्ष्मण है जिसकी मर्यादा और आदर्श को मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपने 'पंचवटी' में चित्रित किया है। हजारों सालों से चली आ रही राम कथा आज भी भारत के साथ–साथ विदेशो में भी जन–मन के हृदय में बसी हुई है। हाल ही में अयोध्या में राम लला की प्रतिष्ठा ने यह साबित कर दिया है कि रामकथा केवल एक नाम नहीं है वरन एक पूरी की पूरी सभ्यता और संस्कृति है जिसे भारतवासी आज भी जीते हैं। गुप्त जी ने इसी राम कथा को आधार मानकर काव्य रचनाएँ की है। पंचवटी इसी राम कथा में से लिया गया एक छोटा सा प्रसंग है। पंचवटी प्रसंग के माध्यम से मैथिलीशरण गुप्त जी ने लक्ष्मण के मर्यादा और आदर्श पूर्ण व्यक्तित्व को चित्रित किया है।

पंचवटी के लक्ष्मण की प्रासंगिकताः वर्तमान संदर्भ में रामचरितमानस के पात्रों की प्रासंगिकता फिर से आन पड़ी है क्योंकि वर्तमान पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। श्री रामचंद्र जी पिता के वचनों का मान रखने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, साथ ही उनकी अर्धांगिनी सीता जी भी उनके साथ जाती हैं किंतु लक्ष्मण जी निस्वार्थ भाव से केवल भाई श्री राम की सेवा और रक्षा के लिए अपनी नव विवाहिता पत्नी को छोड़कर श्री राम के साथ चले जाते हैं। 21वीं सदी में स्वयं के लिए जीवन जीने वाली आज की पीढ़ी में लक्ष्मण सा त्याग, धैर्य और आदर्श का अभाव दिखाई पड़ता है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी के सामने लक्ष्मण जैसे चरित्र का वर्णन आवश्यक हो गया है जिसने अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दी। लक्ष्मण राजमहल की सुख सुविधा का त्याग करके अपने भाई के लिए उनके साथ वन चले जाते हैं। लक्ष्मण ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अमिट है। इस विषय में डॉक्टर शीला आहूजा का कहना है कि– "लक्ष्मण मन ही मन विचार करते हैं कि उर्मिला को संग ले जाने से प्रभु राम की सेवा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उर्मिला कुछ न कह कर भी पति के मनोभावों को जान लेती हैं कि अब लक्ष्मण और उर्मिला को वियोग का कष्ट झेलते हुए तपस्वियों की भाँति जीवन बिताना है"।

*असिस्टेंट प्रोफेसर, बासुदेव मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ।

पंचवटी काव्य का प्रारंभ प्रकृति के सहज और मनोरम चित्रण से होता है, जहाँ लक्ष्मण बड़े भाई राम और भाभी सीता की निद्रा में कोई विघ्न न पहुँचे इसलिए पूरी रात प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं–

"बना हुआ प्रहरी जिसका,
उस कुटीर में क्या धन है,
जिसकी रक्षा में रत इसका,
तन है, मन है, जीवन है।"

लक्ष्मण के इस सेवा भाव को देखकर नंदकिशोर नंदन लिखते हैं कि–"एक कर्तव्य–परायण योद्धा के अतिरिक्त लक्ष्मण त्याग और सेवा के व्रत में संलग्न तपस्वी के रूप में दिखाई पड़ते हैं"।

निस्वार्थ सेवा के साथ ही लेखक ने लक्ष्मण के अपनी पत्नी उर्मिला के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का भी चित्रण किया जिसे अप्रतिम सुंदरी भी मिटा नहीं सकती। सुंदर चाँदनी रात में लक्ष्मण के सम्मुख एक सुंदर रूपमती स्त्री दिखाई देती है, जिसके नयन अतृप्त वासना से भरे हुए थे। यह सुंदरी कोई और नही शूर्पणखा है, जो लक्ष्मण को अपनी और आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। ऐसे में लक्ष्मण स्वयं पर संयम रखते हुए उसे समझाते हुए कहते हैं–

"हा नारी! किस भ्रम में है तू,
प्रेम नहीं ये तो है मोह,
आत्मा का विश्वास नहीं यह,
है तेरे मन का विद्रोह!
विष से भरी वासना है यह,
सुधा–पूर्ण वह प्रीति नहीं"।

उपभोक्तावादी आज की युवा पीढ़ी के सामने यदि कोई शूर्पणखा जैसी सुंदर स्त्री प्रणय निवेदन करती है तो क्या वह अपने को लक्ष्मण की तरह इस निवेदन से दूर रख सकता है। जिस प्रकार लक्ष्मण उसे अपने विवाहित होने का सत्य बता देते हैं। उतनी निष्ठा और सत्य के साथ आज की युवा पीढ़ी अपनी मर्यादा का पालन करने में असफल है। वह मौके का फायदा उठाने में विश्वास रखती है। वर्तमान युवा पीढ़ी भ्रमित है वह मोह और माया के जाल में फंसी हुई है। उसके सामने लक्ष्मण जैसे नायक को प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार लक्ष्मण शूर्पणखा को शांत करते हुए कहते हैं–

"शांति नहीं देगी तुझको यह,
मृगतृष्णा करती है क्रांति,
सावधान हो, मैं पर नर हूँ,
छोड़ भावना की यह भ्रांति"।

गुप्त जी ने स्त्री के प्रेम के प्रति वासना लिप्त नजरिए का भी चित्रण किया है। शूर्पणखा जब राम को देखती हैं तो वह तुरंत ही लक्ष्मण को छोड़कर राम से प्रणय निवेदन करने लगती है। राम द्वारा भी न मिलने पर वह क्रोधित हो जाती है और प्रतिशोध लेने का प्रण कर लेती है। शूर्पणखा के प्रेम में ना तो लक्ष्मण के प्रति और न ही राम के प्रति सच्चा, सहज और स्थाई प्रेम था। लक्ष्मण और शूर्पणखा का प्रसंग जो पंचवटी में दर्शाया गया है वह आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं क्योंकि इक्कीसवीं सदी में न तो लक्ष्मण जैसे पुरुष रह गए हैं और न ही उर्मिला जैसी तपस्विनी स्त्रियाँ।

लक्ष्मण और शूर्पणखा का जो प्रसंग पंचवटी में दर्शाया गया वह वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक है। शूर्पणखा के समान प्रवृत्ति अब स्त्रियों में दिखाई पड़ने लगी है। ऐसे में अपने देश के अतीत के गौरव का गान करके देश की संस्कृति का संवर्धन करने की दृष्टि से पंचवटी का अपना अलग महत्व है। गुप्त जी ने शूर्पणखा के जिस रूप का चित्रण पंचवटी में किया है वह स्त्रियोचित गुण नहीं है। उसमें लज्जा, शील और संकोच आदि स्त्री सुलभ गुणों का पूर्णता अभाव है।

वर्तमान में सोशल मीडिया, टी० वी० चैनल, दूरदर्शन और फिल्मी दुनिया में जो कथानक परोसे जा रहे हैं, उनमें अनेक शूर्पणखाओं के दर्शन होते हैं लेकिन उर्मिला और लक्ष्मण जैसे पात्र हमें कम ही देखने को मिलते हैं। अपने शील की रक्षा करते हुए मर्यादा का पालन करने वाले लक्ष्मण जैसे पात्र की आवश्यकता वर्तमान में अभी भी बनी हुई है। लक्ष्मण एक उच्च कोटि का चरित्र है। जिसने चारित्रिक गुणों, नैतिक प्रेमादर्श तथा सामाजिक एवं पारिवारिक आदर्श को समाज के सामने रखा है। लक्ष्मण का भाई के प्रति प्रेम, सेवा भाव, पर–स्त्री के प्रेम का शिकार न होकर पत्नी उर्मिला को याद रखना प्रेमादर्श का प्रतीक है। लक्ष्मण का चरित्र भारतीय संस्कृति और संयुक्त परिवार की नींव को और अधिक मजबूत करता है। लक्ष्मण एक महाकाव्यात्मक चरित्र है। वर्तमान में इसके विषय में और अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी की जो मनोदशा है ऐसे में उन्हें लक्ष्मण जैसे चरित्रों को फिर से सुनने की आवश्यकता है। वर्तमान औद्योगिक समाज में लक्ष्मण जैसे पात्रों की प्रासंगिकता बनी हुई है तथा इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

आहूजा, शीला (2010): आधुनिक हिंदी प्रबंध काव्य में मिथक और नारी, पृष्ठ 194, ज्ञान प्रकाशन।

गुप्त, मैथिली शरण (2010): पंचवटी, साकेत प्रकाशन।

वंदन, नन्द किशोर (1978): हिंदी की आधुनिक प्रबंध कविता का पौराणिक आधार, पृष्ठ 111, प्रकाशन संस्था।

'ग्लोकल दृष्टि' में योगदान के लिये निर्देश

1. 'ग्लोकल दृष्टि' मूल रूप से लिखे गये शोध पत्रों का स्वागत करता है। शोध पत्र (6000 8000 शब्दों से ज्यादा नहीं) का पृष्ठ के एक तरफ टाइप किया होना तथा पंक्तियों के बीच दोहरी जगह के साथ पृष्ठ के चारों तरफ बराबर हाशिया होना आवश्यक है। शोध पत्र के साथ (300 शब्दों से ज्यादा नहीं) उसका सामान्य सारांश भी संलग्न होना चाहिए।

2. शोध पत्र को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करके ई मेल द्वारा संलग्नक के रूप में glocaldrishti@theglocaluniversity.in पर भेजा जाना चाहिए। लेख के अक्षर KrutiDev 011 लिपि में होना चाहिए। अन्य किसी लिपि में टाइप किया हुआ लेख स्वीकार्य नहीं होगा।

3. लेख में उद्धरण के लिए कृपया लेखक दिनांक की प्रक्रिया को अपनाएं, उदाहरण के लिए, (चौहान 2002)। यदि किसी लेखक के एक अधिक लेखों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो कृपया प्रकाशन के वर्षों को अल्पविराम द्वारा अलग करें (सिहं 1995, 1999)। उद्धरण के पृष्ठ संख्या को कोलन का प्रयोग कर अलग लिखें (मुखर्जी 1995 : 244) तथा यदि एक से अधिक पृष्ठों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो पृष्ठ संख्याओं को हाइफन का प्रयोग कर लिखें (दूबे 1995 : 244 344)। जब एक से अधिक लेखकों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो भिन्न लेखकों को कालानुक्रम के हिसाब से सेमी कोलन द्वारा अलग करके लिखें (दूबे 1995; मिश्रा 2005; नारायण 2008)। सह लेखकों के कार्य के लिए, दोनों के नामों को इस प्रकार उद्धृत करें (फैंक और डेविड 1995); तीन से अधिक लेखकों को उद्धृत करने के लिए, पहले नाम के बाद 'और अन्य' का उपयोग करें (हैल्ड और अन्य, 2010)। अगर राजपत्र रिपोर्ट और सरकारी संस्थाओं के या किसी अन्य संगठन के कार्यों को उद्धृत करना हो तो, जिस संस्था/संगठन ने प्रकाशन को प्रायोजित किया हो तो उसका पूरा नाम लिखें (दिल्ली सरकार 2010), और इन्हें फिर से बाद के प्रसंगों में उद्धृत करना हो तो संस्था/संगठन के नाम का शब्द संक्षेप /लघु रूप लिखें (दि. स. 2010)।

4. लेख में प्रयोग में लाये हुए पुस्तकों का विस्तृत विवरण बाद मे अलग से सन्दर्भ ग्रन्थ सूची इस क्रम में लिखें (क) लेख : लेखक का नाम; प्रकाशन का वर्ष; लेख का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); शोध पत्रिका नाम (इटालिक में); और वोल्यूम स., अंक स. और प्रारम्भ और अंत के पृष्ठ सं.। (ख) संपादित पुस्तकों /कार्यों में अध्याय; लेखक का नाम; प्रकाशन का वर्ष; अध्याय का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); सम्पादक का नाम; पुस्तक का वर्ष (इटालिक में); अध्याय का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); अध्याय के प्रारम्भ और अंत के पृष्ठ सं.; प्रकाशन का स्थल; प्रकाशन का वर्ष; प्रकाशन का नाम। सन्दर्भों की सूची में (पहले) लेखक के उपनाम के वर्णक्रमानुसार रूप से लिखा जाना चाहिए।

5. 'ग्लोकल दृष्टि' एंडनोट स्वरूप का अनुकरण करता है जो इस प्रकार है: उन सभी व्याख्यात्मक टिप्पणियों को एक साथ क्रमबद्ध करें जिस क्रम में उन्हें मुख्य लेख में उल्लेखित किया गया है (क्रमांक के आधार पर सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करके) एवं उन्हें लेख के अन्त में पर सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के पहले रखें। एंडनोटस को सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

6. तालिका, चार्ट, नक्शे, ऑकडे आदि लेख के अन्त में अलग से रखा जाना चाहिए। इन्हें अंकों का प्रयोग कर उपयुक्त शीर्षक/कैप्शन के साथ क्रमानुसार रखें। लेख मे उन्हे उनके अंको द्वारा सूचित करें सारणी 5, नक्शा 1 आदि न कि उनके स्थान द्वारा जैसे सारणी के ऊपर चित्र के नीचे आदि।

7. अन्य कार्यों से लिए शब्द या वाक्यों को ऐकल उद्धरण चिन्हों के भीतर रखें, दोहरे उद्धरण चिन्हों का उपयोग केवल कोटेशन के भीतर ही करें। यदि कोटेशन पचास शब्दों से अधिक हो तो उन्हें मुख्य टेक्स्ट से अलग लिखें एवं उन्हें पृष्ठ के बाईं तरफ रखें। जब तक पूरा वाक्य उद्धरण का हिस्सा न हो तो विराम चिन्ह उद्धरण चिन्हों के बाहर ही रहना चाहिए।

8. 1 से 99 तक के अंकों को शब्दों में लिखें 100 तथा उससे ऊपर के अंकों को ऑकडों में। हालांकि कुछ जगहों पर ऑकडों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे दूरी: 3 कि.मी.; उम्र: 32 वर्ष; प्रतिशत: 64 प्रतिशत एवं वर्ष: 1995 आदि।

9. उन्हीं लेखों के प्रकाशन पर विचार किया जायेगा जिन्हें पहले कभी प्रकाशित नही किया गया हो या जिन्हें किसी अन्य जगह पर प्रकाशन के लिए विचार न किया जा रहा हो।

आई.एस.एस.एन. संख्या : 3048–8664
ग्लोकल दृष्टि GLOCAl DRISHTI
वर्ष 2, अंक 1, मार्च 2025, पृ. 67–72

लिविंग अपार्ट टुगेदर एवं अभिभावकत्व शैली : लखनऊ नगर के कार्यरत अभिभावकों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रूचिता*

सारांश

भारतीय संस्कृतियों एवं परम्पराओं की व्यापक विविधता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय पालन–पोषण शैलियों का सामान्यीकरण करना अनुचित होगा। पालन–पोषण शैली का प्रकार, परिवार की संरचना, वित्तीय व्यवस्था एवं स्थिति, शिक्षा का स्तर तथा जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है। मानव सभ्यता के प्रत्येक कालखंड में मनुष्य को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने का दायित्व परिवार नामक संस्था का रहा है तथा यह प्रक्रिया समाजीकरण द्वारा पूर्ण की जाती है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति, मूल्यों, नियमो, तथा परम्पराओं को सीखता एवं निर्वाह करता है यह प्रक्रिया व्यक्तित्व के विकास एवं समाज में सार्थक योगदान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत अध्ययन लखनऊ जनपद में निवास करने वाले लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवारो में अभिभावकत्व शैली एवं उनके बच्चों पर पड़ने वाले सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन किया गया है, जिसमें बच्चों की शिक्षा, उनके मूल्य, मानदण्ड व नैतिक विकास पर भी अध्ययन किया गया है। बॉमरिंड द्वारा बताई गई पालन–पोषण शैलियों के सन्दर्भ में देखा गया है कि इस प्रकार के परिवारों में कौन सी अभिभावकत्व शैली सामान्यतः अपनाई जा रही है। लखनऊ जनपद में पालन–पोषण की तकनीकों पर बल देने के साथ यह अध्ययन जांच करता है कि परिवार की गतिशीलता, सांस्कशतिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक कारक बच्चों के व्यक्तित्व विकास को किस प्रकार प्रभावित करते है।
मुख्य शब्द : अभिभावकत्व शैली, लिविंग अपार्ट टुगेदर, समाजीकरण

बच्चे किसी भी समाज के सुदृढ़ भविष्य की धरोहर होते है जिस प्रकार किसी भवन की नींव कमजोर होने पर उसका अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाता उसी तरह समाज के सकारात्मक व सुदृढ भविष्य के लिए बच्चों का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ दशकों में समाजशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक शोध हुए है परन्तु जो हमारे समाज का आधार एवं इकाई है

*शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, ruchita2july@gmail.com

उस क्षेत्र में बहुत कम शोध देखे गए हैं। जिस प्रकार आधुनिकता एवं उत्तर–आधुनिकता ने समाज की आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक व पारम्परिक नीतियों में परिवर्तन किया है, उसके फलस्वरूप परिवार, विवाह, माता–पिता व उनके बच्चों के मध्य भी अनेकों परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। ये परिवर्तन बच्चों की शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, उनके व्यवहार, ज्ञान, शारीरिक व मानसिक बदलाव आदि सभी पक्षों में उभर कर समक्ष आए है।

माता–पिता व उनके बच्चों के मध्य सम्बन्धों व इस प्रकार के परिवर्तनों में सन्तुलन बनाए रखने के लिए एक प्रभावी अभिभावकत्व शैली की आवश्यकता का अनुभव होने लगता है क्योंकि परिवार uked । aFkk में यही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चों का व्यक्तित्व सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी दिशा की ओर विकसित कर सकते है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि एवं महत्व

बच्चों का समाजीकरण व पालन–पोषण की प्रक्रिया किसी भी काल में सरल नहीं रही है तथा यह प्रक्रिया सदैव परिवार नामक संस्था में निभाई जाती रही हैं यद्यपि बच्चों के पालन–पोषण व व्यक्तित्व विकास का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों का रहा है परन्तु इसमें माता–पिता की सर्वाधिक मुख्य भूमिका होती है। वे जिस प्रकार की अभिभावकत्व शैली को अपनाते है बच्चे उसी स्वरूप में स्वयं को ढाल लेते है, बच्चों में उत्पन्न सकारात्मक व नकारात्मक व्यवहार, उनके माता–पिता द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों, शिक्षा व व्यवहार का ही परिणाम होता है।

समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है (प्रो० ग्रीन)। वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका सम्पन्न करने में समर्थ बनाता है, समाजीकरण कहलाता है (जानसन)।

प्रस्तुत अध्ययन में समकालीन समाज में, अभिभावकत्व शैली का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन हुआ है जिसका सन्दर्भ "लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवार एवं अभिभावक शैली है।
अध्ययन के उद्देश्यः परिवार की परिवर्तनशील संरचना का अभिभावकत्व शैली पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन; लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवार में अभिभावक शैली एवं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन; कार्यरत अभिभावकों के समक्ष बच्चों के समाजीकरण में होने वाली चुनौतियों का अध्ययन; तथा कार्यरत अभिभावकों के बच्चों पर समकालीन अभिभावक शैली का सामाजिक–शैक्षणिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। प्रस्तुत शोध समस्या का अध्ययन क्षेत्र लखनऊ जनपद चयन किया गया है यद्यपि लखनऊ जनपद की जनसंख्या अत्यधिक विशाल होने के कारण उद्देश्यपूर्ण तथा स्नोबॉल नमूनाकरण विधि द्वारा लगभग 30 कार्यरत अभिभावकों का प्रतिदर्श लिया गया है जो लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवार में है। प्रस्तुत शोध समस्या का अध्ययन वर्णनात्मक विधि द्वारा किया गया है जिसमें शोध समस्या के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। आंकड़ों के संकलन के लिए संरचित व असंरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है तथा द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से कुछ प्रकाशित व अप्रकाशित दस्तावेजो, समाचार पत्रों व इण्टरनेट द्वारा प्राप्त जानकारियों का प्रयोग सम्बन्धित अनुसंधान में किया गया है।

परिवर्तनशील समाज ने शिक्षा, जागरूकता तथा ज्ञान के क्षेत्र में एक क्रान्ति ला दी जिसने पारम्परिक मूल्यों विचारधाराओं तथा रूढ़ियों को उखाड़ फेंका है आज के समाज में महिला सशक्तिकरण, कल्याण व आत्मनिर्भरता की भावना अपने मूर्त रूप में है तथा समकालीन समाज इसको

सहजता से स्वीकार भी करते है जहां पारम्परिक परिवार में आर्थिक उत्तरदायित्वों का भार केवल पुरूषों पर होता है वहीं आज महिलाएं भी इस क्षेत्र में अपनी पूर्ण भागीदारी निभा रही है। यद्यपि महिलाओं की स्वतन्त्रता व आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से यह एक सकारात्मक परिवर्तन है परन्तु माता–पिता व उनके बच्चों के सम्बन्ध के मध्य कहीं न कहीं इसका आंशिक रूप से नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है तथा यह अध्ययन इन्हीं सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करता है जो बच्चों के मूल्यों, मानदण्डो, नैतिक व्यवहारो, शिक्षा, व्यक्तित्व तथा माता–पिता के भूमिका तनाव, चुनौतियों व संघर्षों के विषय में है।

लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवार

भारतीय परिवार का अर्थ सदैव संयुक्त परिवार के रूप में ही देखा गया है परन्तु औद्योगिकीकरण नगरीकरण तथा वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप धीरे–धीरे संयुक्त परिवार का स्वरूप भी परिवर्तित होने लगा। संयुक्त परिवार विघटित होकर धीरे–धीरे नाभिकीय परिवार, एकल परिवार आदि में परिवर्तित होने लगे जिसमें एक स्वरूप लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवार भी है। यह उत्तर आधुनिक समाज का एक नवउदयीमान स्वरूप है जो अब भारत जैसे विकासशील देशों में भी सरलता से देखे जा रहे है।

लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवार, ऐसे परिवार हैं जिसमें पति–पत्नी दोनों अपने आर्थिक उत्तरदायित्वों, उच्च शिक्षा व व्यवसाय के लिए एक निवास स्थान में न रहकर अलग–अलग स्थानों या शहरों में निवास करते है परन्तु पारिवारिक व दाम्पत्य उत्तरदायित्वों को मिलकर निभाते है। ऐसे परिवारों में रह रहे दम्पत्ति अपने अभिभावक होने का कर्तव्य भी पूर्ण साझेदारी व जागरूकता से निभाते है। जिसमें संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

आधुनिकता के बाद से सभी समाजों ने भौतिकता को प्राथमिकता दी है तथा यही भौतिकवादी सोच भी इस प्रकार के परिवारों की उत्पत्ति का एक कारण रही है। परिवार रूपी संरचनाएं अब एक जैसी नहीं रही, समाज में विविध प्रकार की संरचनाएं विकसित हो रही है। लिविंग अपार्ट टुगेदर (LAT) को उत्तर–आधुनिक समाज में एक नई संरचना के रूप में देखा जा सकता है। (स्टेसी, जुडिथ 1990)।

यद्यपि आधुनिक समाज में व्यक्तिगत पसन्द व स्वतन्त्रता को अधिक महत्व दिया जाता है (बैक, एवं एलिजाबेथ बैक, 1992)। लिविंग अपार्ट टुगेदर सम्बन्धों का उदय उनके ''व्यक्तिवादी समाज के विचारों के साथ मेल खाता है जहां लोग अपने जीवन तथा सम्बन्धों में अधिक स्वायत्ता चाहते है। यह पारिवारिक संरचना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान एवं आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए सम्बन्ध निर्मित कर सकता है।

परम्परागत विवाह या सहवास के बजाय आधुनिक समाज में सम्बन्ध अधिक तरल व लचीले हो गये है। परिवार का यह स्वरूप ''विशुद्ध सम्बन्ध'' (Pure relationship) की अवधारणा से सम्बन्धित है। जहां व्यक्ति अब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्राथमिकता देते है (गिडिन्स, 1992)।

बढ़ती जागरूकता व वैश्वीकरण ने महिलाओं को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा एक शिक्षित महिला अपने अधिकारों तथा स्वतन्त्रता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती। वह भी घर के आर्थिक कार्यों में समान रूप से सहयोग करती है तथा

अपने अस्तित्व की पहचान के लिए किसी न किसी पद पर कार्यरत होती है वह निजी, सरकारी क्षेत्र या स्वयं का व्यवसाय भी हो सकता है।

लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवार एवं अभिभावकत्व शैली

इस प्रकार के परिवार में बच्चे माता–पिता में से किसी एक के पास निवास करते है तथा यह निर्णय पूर्णतः माता–पिता पर ही निर्भर करता है कि बच्चा किस अभिभावक के साथ सहज व सुरक्षित रहेगा जहां परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित हो सके व पालन–पोषण में अपना सहयोग दे सकें। बच्चे से सम्बन्धित सभी प्रकार के निर्णय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा शारीरिक व मानसिक क्रियाकलाप आदि में बच्चे के लिए क्या सकारात्मक भूमिका निभाएगा इन सभी विषयों पर वे चर्चा व आपसी सहमति से निर्णय लेते है।

यद्यपि परिवार के सभी स्वरूपों में पालन–पोषण शैली के अपने अलग–अलग सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखे गए है। जहां परम्परागत स्वरूप अर्थात् संयुक्त परिवार में बच्चे की देखभाल के लिए माता–पिता के साथ–साथ अन्य सदस्य भी सहयोग करते थे, वहीं परिवार के इस नवीन स्वरूप में अभिभावकों की सबसे मुख्य कड़ी से ही बच्चे वंचित रहते है। माता–पिता में से किसी एक के साथ ही वे अपना समय व्यतीत कर पाते है तथा किसी एक के प्रेम से वंचित रह जाते है।

अभिभावकत्व शैली एवं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है तथा यह समाजीकरण बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावक शैली, समाजीकरण के अन्तर्गत आने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें माता–पिता का अपने बच्चों के प्रति व दृष्टिकोण व व्यवहार है जो उन्हें एक सकारात्मक व्यक्तित्व बनाने में सहायता करता है।

एक बच्चे का व्यक्तित्व विकास कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे परिवार का वातावरण, अभिभावकों का बच्चों के प्रति व्यवहार क्रीडा–समूह इत्यादि। बच्चों में नैतिक समझ, सही–गलत आदि का दिशा–निर्देशन उनके माता–पिता के माध्यम से ही प्राप्त होता हैं। बच्चों का नैतिक विकास, शैक्षणिक प्रगति, व्यक्तित्व विकास ये सभी अंग परिवार की सामाजिक–आर्थिक व सांस्कृतिक स्वरूप से प्रभावित होते है। जिस समाज की आर्थिक–सामाजिक स्थिति जैसी होगी वह उसी अनुरूप अपने बच्चों का पालन–पोषण करने में सक्षम होंगे। इसमें शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत अध्ययन में बॉमरिड द्वारा बताई गई अभिभावक शैलियों का अध्ययन भारतीय परिवारों के सन्दर्भ में किया गया है। भारत में जिस प्रकार सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है उसी प्रकार अभिभावकत्व शैली में भी विविधताएं देखी गयी है। कुछ परिवार अधिकारिक शैली (Authoritative style) अपनाते हैं जिसमें माता–पिता, बच्चों के समग्र व्यवहार के लिए दिशा–निर्देश देते है तथा वे बच्चों की इच्छाओं व आवश्यकताओं के प्रति उत्तम ढंग से अनुक्रियाशील होते है। बच्चों के प्रति समर्थन का व्यवहार रखते हैं परन्तु साथ–साथ स्पष्ट नियम व अपेक्षाएं भी रखते है। यह शैली बच्चों में एक सन्तुलन बना कर रखती है, इसके विपरीत कुछ परिवार, अधिकारवादी शैली (Authoritarian style) को अपनाते हैं जहां वे बच्चों के लिए सख्त नियम व अपेक्षाएं रखते है परन्तु बच्चों के प्रति उदारता व समर्थन का भाव कम रखते है। इस शैली में माता–पिता बच्चों से यह अपेक्षा रखते है कि वे बिना किसी प्रश्न

के नियमों का पालन करें। कुछ परिवारों में अनुमोदक शैली (Permissive Style) भी देखी जाती है जहां माता–पिता बच्चों से प्रेमपूर्ण व्यवहार अधिक रखते है परन्तु उनके नियन्त्रण में असफल हो जाते है, ऐसे बच्चे सामान्यतः असामाजिक हो जाते है तथा उनमें आत्मविश्वास की कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ परिवारों में उपेक्षापूर्ण शैली (uninvolved sytle) अपनाई जाती है जिसमें माता–पिता भावनात्मक व भौतिक रूप से बच्चों से दूर होते है वे बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देते है बच्चों को न्यूनतम मार्ग–दर्शन, सहायता तथा पर्यवेक्षण प्रदान करते है। माता–पिता के बिना पालन–पोषण के परिवेश में पले–बढ़े बच्चे भावनात्मक रूप से उपेक्षा व समर्थन की कमी का अनुभव करते है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन में कुछ ऐसे अभिभावक थे जिनका सहयोग करने के लिए परिवार का कोई अन्य सदस्य भी साथ निवास कर रहा था जहां वे अपने बच्चे को रखना ज्यादा उचित समझते है। कई माताएं जो दूसरे शहरों की निवासी हैं, वे अपनी नौकरी के लिए लखनऊ जनपद में अपने बच्चे से दूर रह रही है। बच्चों से दूर रहकर वे आत्मग्लानि का अनुभव भी करती है तथा कार्यस्थल पर रहने पर भी उन्हे सदैव बच्चों की सुरक्षा चिंता, स्वास्थ्य एवं खान–पान सम्बन्धी चिंताए रहती है। इतनी चिन्ताओं के होने के बाद भी वे क्यूं अपने कार्य को महत्व देती है इस प्रश्न का उत्तर वे देती है कि यह उनके अस्तित्व की पहचान व बच्चों को आर्थिक रूप से कमी का अनुभव नहीं होने देना चाहती। वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन शैली के प्रति अधिक जागरूक है समकालीन शिक्षा ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक चुनौती है, अतः अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए वे भी परिवार की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाती हैं। यद्यपि भूमिका संघर्ष की भावना प्रायः निराश करती है, परन्तु अन्य अभिभावक के सहयेाग व समझदारी से इस प्रकार की चुनौती भी स्वीकार कर रही है।

पारम्परिक रूप से चली आ रही विचारधारा जिसमें बच्चों के पालन–पोषण में केवल माता की ही मुख्य भूमिका होती है, यह परिवर्तित हो चुकी है। उत्तरदाताओं में कुछ पिता भी माताओं की भूमिका निभाते हुए पाए गए, जिसमें उनकी पत्नी कार्यरत होने के कारणवश अन्य शहर में है तथा बच्चे का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पिता के ऊपर है। यहां पितृसत्तात्मक भावना का धीरे–धीरे ह्रास पाया गया तथा भूमिका परिवर्तन देखा गया है। पिता भी एक माता की तरह बच्चों के खान–पान, स्वास्थ्य, शिक्षा, शारीरिक व मानसिक विकास का पूर्ण ध्यान रख रहे है।

प्रस्तुत शोध में जहां कुछ सकारात्मक पक्ष देखे गए वहीं कुछ नकारात्मक पक्ष भी उभर कर आए है। लिविंग अपार्ट टुगेदर परिवार में अधिकांशतः उपेक्षापूर्ण अभिभावकत्व शैली देखी गई है, जहाँ बच्चा किसी एक अभिभावक से अधिकांश समय वंचित ही रहता है। इसके परिणामस्वरूप वह अलगाव का अनुभव करता है तथा सामाजिक रूप से अन्य व्यक्तियों से घुलने–मिलने में असहज अनुभव करता है। कुछ बच्चों में चिड़चिड़ापन, आक्रमकता, अनसुना करना तथा प्रारम्भिक कामुकता (Early Sexualization) आदि व्यवहार देखे गये है।

प्रस्तुत शोध यह निष्कर्ष प्रदान करता है कि बच्चों के व्यक्तित्व पर परिवार, सांस्कृतिक मानदण्ड तथा सामाजिक–आर्थिक स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है। इसके अतिरिक्त डिजिटल

मीडिया की व्यापक उपस्थिति जैसे मुद्दों पर अभिभावकत्व शैली के सन्दर्भ में विचार करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

गिडिन्स, एन्थनी. (1992). द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ इंटिमेसीः सेक्सुअलिटी, लव एंड इरॉटिज्म इन मॉडर्न सोसाइटीज. पॉलिटी प्रेस.

बेक, उलरिच एवं बेक, एलिजाबेथ. (2002). इण्डिविजुअलाइजेशनः इन्सिटिट्यूशनलाइज्ड इण्डिविजुअलिज्म एण्ड इट्स सोशल एण्ड पालिटिकल कान्सिक्वेन्सज. सेज पब्लिकेशन.

मेनशाह, एम. के. एवं कुरांची, ए. (2013) इन्फ्लुएन्स ऑफ पैरेन्टिंग स्टाइल ऑन द सोशल डेवलपमेन्ट ऑफ चिल्ड्रेन, अकैडमिक जर्नल ऑफ इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, 2 (3), 123–129.

मजूमदार, के. पारेख, एस एवं सेन, आई (2023). मदरिंग. लोड अण्डरलांइग रियरिटीज ऑफ पर्सनली इंगेज्ड इण्डियन मदर्स ड्यूरिंग अ ग्लोबल क्राइसिस. जेण्डर वर्क एण्ड आर्गनाइजेशन. 30 (3). 1080–1103.

रमैय्या, बी.ए. स्टडी ऑफ मॉरल डेवलपमेन्ट ऑफ चिल्ड्रेन एण्ड गुड हैबिट फॉर्मेशन ऑन इण्डियन चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेज़ कॉन्टेक्स्ट.

स्टेसी, जुडिथ. (1998). ब्रेव, न्यू फेमिलीजः स्टोरीज़ ऑफ डोमेस्टिक अपहीवेल इन लेट ट्वेन्टियथ– सेन्चुरी अमेरिका. यूनीवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस.

शर्मा, आर. (2016). इफेक्ट ऑफ पैरेन्टल मॉडर्निटी ऑन बिहेविअरल कन्सर्न्स ऑफ अडॉलसेन्ट्स.

ग्लोकल विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय सेवा योजना

विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति प्रोफेसर पी० के० भारती एवं माननीय कुलसचिव प्रोफेसर शिवानी तिवारी के संरक्षण में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो यूनिट कार्यरत है। इन दोनों यूनिट की आंतरिक नोडल अधिकारी तथा यूनिट 1 की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी हैं। यूनिट 2 के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजीव नांदल हैं।

पंजीकृत छात्रः यूनिट 1— 100 यूनिट 2— 100

राष्ट्रीय सेवा योजना के इस सत्र में किए गए कार्यक्रम

1. 26/11/2024 संविधान दिवस पर लेक्चर और छात्रों को संविधान दिवस पर शपथ ग्रहण माननीय कुलपति प्रो० पी० के० भारती जी द्वारा
2. लखनऊ निदेशालय के निर्देश के आधार पर 24 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी बाजपेई द्वारा लिखित रचनाओं की काव्य पाठ प्रतियोगिता कराई गई और डॉक्टर आतेका के द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई के जीवन वश्त्त पर व्याख्यान दिया गया।
3. सरकार द्वारा 3 महीने के लिए क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिए जन प्रतिनिधियों और धार्मिक प्रतिनिधि की सहभागिता का निर्देश था, जिसके अंतर्गत आसपास में जनप्रतिनिधियों और धार्मिक प्रतिनिधि को बुलाकर सीए ए० पी० सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। रूपपुर के प्रधान महावीर सिंह नौटियाल, प्रतिनिधि जाकिर हुसैन, इकराम अहमद, शहबान अली, कासमपुर के प्रधान सतीश प्रधान, निशि कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य अफजाल अहमद, ग्राम चाटकी के प्रतिनिधि अब्दुल मन्नान तथा ग्लोकल विश्वविद्यालय मस्जिद के इमाम हाफिज जीशान और ग्लोकल विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में आई० टी० हेड श्री शाहनवाज अली और डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर सुरजीत जी ने सहभागिता की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि ग्राम में नियुक्त आशा और ए० एन० एम० को घर—घर भेज कर तपेदिक के मरीजों की पहचान की जाएगी और उन्हें सरकारी अस्पतालों तक भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। ग्लोकल विश्वविद्यालय द्वारा ग्राम—ग्राम में निशुल्क जाँच शिविर लगवाएँ जाएँगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी घर—घर जाकर क्षय उन्मुक्तिकरण हेतु जागरूकता अभियान चलाएँगे। ग्राम—ग्राम में सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु जागरण अभियान के अंतर्गत बैनर भी लगवए जाएँगे तथा मस्जिद में नमाज के उपरांत बयान और मशविरे में समाज को जागृत करने का कार्य किया जाएगा। बैनर लगवाने की योजना में ग्लोकल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार, बादशाही बाग के चौक और गाँव में बैनर लगवा दिया गया है। इस मीटिंग में इस अभियान में सभी प्रतिनिधियों ने अपने पूर्ण सहयोग देने की बात की।

4. दिनाँक 12 जनवरी 2025 को एक दिवसीय शिविर निशि कॉन्वेंट स्कूल में लगाया गया। जिसमें 100 बच्चों में सहभागिता की। यह दिवस क्षय उन्मूलन, स्वामी स्वामी विवेकानंद की जयंती के आधार पर युवा दिवस, और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित रहा। विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई और रूपपुर गाँव में क्षय उन्मूलन जागरूकता के साथ द्वितीय सत्र में सीए ए० पी० सिंह, निदेशक प्रशासन गुरदयाल सिंह कटियार, चीफ प्रॉक्टर जमीर उल इस्लाम, निशि पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ० अफ़ज़ाल अहमद, श्री बज्जेंद्र सिंह चौकी प्रभारी बादशाही बाग ने छात्र–छात्राओं को संबोधित किया।
5. 26 जनवरी 2025 को प्रति कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार शर्मा जी ने अटल बिहारी वाजपेई के सुशासन पर तथा डॉ० रेहान ने क्षय रोग उन्मूलन पर अपना वक्तव्य दिया।
6. 3 फरवरी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत काव्य कुंभ का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिकुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार शर्मा, अध्यक्ष सीए ए० पी० सिंह तथा संयोजक डॉ० शोभा त्रिपाठी रहीं। विशिष्ट अतिथियों में कुल सचिव प्रो० शिवानी तिवारी, प्रतिकुलपति आयूष प्रो० जॉन फिन्बे, सलाहकार वित्त एवं कानून श्री निजामुद्दीन तथा निदेशक प्रशासन गुरुदयाल सिंह कटियांर रहे। समस्त कार्यक्रम में विशेष सानिध्य देवबंद के समाज सेवी गौरव विवेक का रहा। कवि कुंभ में विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी कवि के रूप में सहभागिता की। जिसमें प्रमुख रूप से नूर आजम, अलका सिंह, सलमा, जेसिका गुप्ता, शाबाज, फुजैल इकबाल, शांभवी मिश्रा, अब्दुल अज़ीज़, शादमल अलमास, अरशद खान और मुदस्सिर पटेल ने रचनाएँ प्रस्तुत की। आमंत्रित कवियों में जाने–माने शायर डॉ० साबिर बेहटवी, तथा दिल्ली से पधारी डॉ० संतोष कुमारी समप्रीति, डॉ० शोभा त्रिपाठी और कार्यक्रम अध्यक्ष सीए ए० पी० सिंह सिंह ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करके समा बाँध दिया।
7. दिनाँक 15 फरवरी 2025 प्रथम सत्र में श्रमदान हुआ। अपराहन सत्र अकादमिक सत्र रहा। इस सत्र के मुख्य अतिथि ग्लोकल विश्वविद्यालय के आई० क्यू० ए० सी० के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार तथा विशिष्ट अतिथि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉ० धनंजय रहे। डॉ० धनंजय ने अपना वक्तव्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर दिया। मुख्य अतिथि डॉ० संजय कुमार ने सेवा भाव से व्यक्तित्व निर्माण विषय पर वक्तव्य दिया। चीफ प्रॉक्टर जमीर – उल – इस्लाम ने छात्रों को अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने बाल कैंसर दिवस के अवसर पर छात्रों को इस बीमारी से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया।
8. दिनाँक 17 फरवरी 2025, सर्वप्रथम छात्र–छात्राओं ने अपना श्रमदान करते हुए वहाँ के एक मैदान की साफ सफाई की। इसके उपरांत बच्चों ने टोलियों में जाकर घर–घर क्षय उन्मूलन, जल संचयन व सीखे गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया। अपराहन सत्र अकादमिक सत्र रहा। इसके मुख्य अतिथि सीए ए० पी० सिंह रहे। इन्होंने छात्रों को प्रोत्साहिन वक्तव्य दिया और जल संचयन के विषय पर काव्य पाठ किया। इसमें कई ग्राम के प्रधानों को बुलाकर जल संचयन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और क्षय उन्मूलन हेतु बताया गया। प्रधानों को बुलाने

का उद्देश्य यह था कि उनके माध्यम से यह बात कई गाँव तक पहुँचे। छात्रा अलका सिंह ने क्षय उन्मूलन के विषय में, छात्रा सलमा ने जल संचयन के विषय में और छात्रा सलोनी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया। छात्र आशु, छात्रा गज़ाला ने गीत गाया और सलमा ने नश्त्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर चाटकी के प्रधान जाकिर प्रधान, दौलतपुर के प्रधान राव शाकिर, झंझेड़ी के प्रधान इसरार, रोगला हथौली के प्रधान पवन कुमार, चक जिदरपुर के प्रधान मुनेश कुमार, संदीप सहगल अध्यक्ष प्रधान संगठन, चौधरी अख्तर हसन टोडरपुर, चौधरी जुनैद दबकेरा, मेघपाल कंबोज हरिपुर, उस्मान वारिद अध्यक्ष नूर ग्रुप, टोडरपुर पुलिस चौकी से पुष्येंद्र कुमार और जितेंद्र सिंह शामिल हुए।

9. दिनाँक 22 से 28 फरवरी सात दिवसीय शिविर रायपुर गाँव में लगाया जा रहा है जिसके कार्यक्रम निम्नवत हैं–

   1. शिविर के प्रथम दिवस 22 फरवरी को स्वच्छता अभियान पर समर्पित रखा गया। सर्वप्रथम छात्र–छात्राओं ने अपना श्रमदान करते हुए वहाँ के एक प्रायमरी पाठशाला की साफ सफाई की। इसके उपरांत बच्चों ने 10–10 की टोली में जाकर ग्राम प्रधान द्वारा निर्देशित व्यक्तियों के साथ ग्राम वासियों को साफ–सफाई के बारे में बताया। अंत में सभी बच्चों ने एक साथ स्वच्छता रैली भी निकाली। द्वितीय सत्र में पैरामेडिकल विभाग से डॉ० गौतम पवार ने 'स्वच्छता और स्वास्थ्य' विषय पर अपना व्याख्यान दिया। टेक्निकल कॉलेज से श्री फराज ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेवा' विषय में अपना व्याख्यान दिया। इसके उपरांत ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कादिर ने अपने व्याख्यान में कहा कि इस प्रकार के आयोजन से ग्राम वासियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए उनका गाँव चयनित करने के लिए ग्लोकल विश्वविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापन किया।

   2. शिविर के द्वितीय दिवस 23 फरवरी को व्यायाम और स्वास्थ्य अभियान पर समर्पित रखा गया। सर्वप्रथम छात्र–छात्राओं ने अपना श्रमदान करते हुए वहाँ के एक प्रायमरी पाठशाला की साफ सफाई की। इसके उपरांत छात्र और छात्राओं ने अलग अलग टोली बनाकर दो मैदानों ?? साफ–सफाई की। ग्राम प्रधान श्री अब्दुल कादिर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं मैदान पर आए। उन्होंने स्वयं वॉलीबॉल खेल कर बच्चों को प्रेरणा दी, जिससे बच्चे बहुत उत्साहित हुए और फिर उन्होंने वालीबाल, क्रिकेट और बैडमिंटन खेला।

      अंत में सभी बच्चों ने एक साथ 'स्वास्थ्य ही धन है' विषय पर रैली भी निकाली। द्वितीय सत्र में चीफ प्रॉक्टर जमीर उल इस्लाम जी ने 'स्वास्थ्य ही धन है' विषय पर वक्तव्य दिया।

   3. शिविर के तश्तीय दिवस 24 फरवरी को शिक्षा, जल संचयन, हस्तशिल्प, सोशल मीडिया, कानून और न्याय पर केंद्रित रखा गया। सर्वप्रथम छात्र–छात्राओ को प्रायमरी पाठशाला के बच्चों से मुलाकात थी और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया, तथा छात्रों में दोपहर का भोजन बनवाने में उनकी मदद की। इसके उपरांत बच्चों ने कुम्हारों के पास जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने के गुण सीखें। द्वितीय सत्र के प्रमुख

वक्ताओं में डीन फार्मेसी प्रो० उमेश कुमार तथा डीन वोकेशनल प्रो० रेशमा ताहिर रही। प्रो० उमेश कुमार ने छात्रों को जल संचयन के बारे में तथा प्रो० रेशमा जी ने मूल नागरिक कर्तव्य के बारे में बताया। ग्राम प्रधान अब्दुल कादिर जी ने बच्चों को सोशल मीडिया के लाभ और हानियों से परिचित कराया।

4. शिविर के चतुर्थ दिवस 25 फरवरी को पर्यावरण संरक्षण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित रहा। मुख्य अतिथि मिर्जापुर के थाना अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र गौतम रहे जिन्होंने बच्चों से संवाद किया। प्रमुख वक्ताओं में पैरामेडिकल विभाग के श्री वासे राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास पर तथा लॉ विभाग की डॉक्टर आतेका ने स्त्री शिक्षा, सुरक्षा और कानून के विषय में अपना वक्तव्य दिया। ग्राम प्रधान अब्दुल कादिर जी ने छात्रों के व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में वक्तव्य दिया और कहा कि ग्लोकल विश्वविद्यालय की इस अच्छी पहल से ग्रामवासियों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और बेस्ट विथ वेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

5. शिविर के पाँचवें दिन छात्रों को एक रैली के माध्यम से हथिनीकुंड बहराइच ले जाया गया जहाँ उन्हें जल संरक्षण और जल वितरण के संदर्भ में बताया गया। इसके बाद वहाँ के उद्यान में पौधा रोपण और पौधे में जल सिंचन की प्रक्रिया को समझाया गया। इसके पश्चात बस से छात्रों को खड़ा पावर हाउस ले जाया गया जहाँ पर विद्युत उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया दिखाई और समझाइ गई।

6. छठा दिन वन संरक्षण को संकल्पित किया गया जिसके अंतर्गत छात्रों को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ले जाया गया जहाँ पर उन्हें बीज संरक्षण, विश्व में पौधों की प्रजातियाँ, भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में वन संरक्षण की प्रक्रिया, वन संरक्षण के लाभ और वन काटने से होने वाली हानियाँ तथा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया।

7. सातवें दिवस प्रातः पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई। इसके साथ ही छात्रों ने बेस्ट विद वेस्ट प्रतियोगिता में भाग लिया। दिवस के द्वितीय सत्र में समापन समारोह किया गया जिसकी मुख्य अतिथि प्रति कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार शर्मा जी रहे विशिष्ट अतिथि प्रतिकुलपति आयूष प्रोफेसर जॉन फिन्बे, व सीए ए० पी० सिंह रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस अवसर पर छात्रों को पुरस्कृत किया गया इसके साथ ही दो ग्राम प्रधान जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना में विशेष सहयोग दिया था, राव अब्दुल कादिर ग्राम प्रधान रायपुर सढ़ोली, व चौधरी मुबारक ग्राम प्रधान टोडरपुर को सम्मान पत्र प्रदान किया गया।

10. *7* मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व बेला पर कार्यक्रम। जिसमें शॉर्ट मूवी प्रदर्शन के साथ निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलका सिंह को प्रथम, तूबा को द्वितीय तथा गज़ाला को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

11. 10 मार्च को चौथा एक दिवसीय शिविर रायपुर कला गाँव के प्रधान इंजीनियर मोहम्मद सलमान जी के सहयोग से एक दिवसीय शिविर रायपुर कला गाँव में लगाया गया। आज के शिविर का विषय था "विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति का योगदान" इस विषय को

देखते हुए गाँव का चयन किया गया जहाँ के प्रधान ग्लोबल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं सबसे कम उम्र के प्रधान होने के साथ उन्होंने अपने गाँव के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान ?? है। प्राइमरी पाठशाला में सीटों की व्यवस्था, जल संचयन, सामुदायिक केंद्र, बारात घर, साफ सफाई, रेसिंग सर्किल आदि की व्यवस्था उन्होंने कराई है यहाँ कैंप लगाने का उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय के छात्रों को एक प्रेरणा मिले कि यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वह विकसित भारत के निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। सर्वप्रथम प्रार्थना के उपरांत सभी छात्रों को गाँव के पास एक मैदान में ले जाया गया जहाँ उन्होंने साफ सफाई करके क्रिकेट ग्राउंड बनाया। शिविर के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति ने निरीक्षण किया और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा की हमें जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए और किसी भी कार्य को करने में शर्म महसूस नही करनी चाहिए। उन्होंने छात्रों से कैंप के अनुभव के विषय में पूछते हुए सीधा संवाद किया। प्रथम वक्ता के रूप में कुमारी फातिमा परवीन आकिल, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस विभाग ने छात्रों को शिक्षा पर जोर देने की बात की और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकसित होने की बात की। मुख्य वक्ता रूप डीन फार्मेसी श्री उमेश कुमार जी ने छात्रों को सामाजिक विकास, स्वरोजगार और कौशल विकसित करने की बात की। चीफ प्रॉक्टर जमीर उल इस्लाम ने सभी को शुभकामनाएँ दीं। ग्राम प्रधान ने कहा कि सरकार हमें बहुत तरह की योजनाएँ और धनराशि प्रदान करती है यदि हम उनका ठीक ढंग से उपयोग ?? तो हमारा देश विकसित होने की अपनी समय सीमा से पहले ही विकसित देशों की श्रेणी में आने लगेगा। इस अवसर पर छात्र सौरभ कुमार, नवीन कुमार, नूर आजम, अलका सिंह, जेसिका गुप्ता और सलोनी धीमान ने अपने विचार रखें। डॉ० संजीव नांदल ने सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा शोभा त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

द्वारा
डॉक्टर शोभा त्रिपाठी
आंतरिक नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना

ग्लोकल विश्वविद्यालय त्रैमासिक रिपोर्ट

12 जनवरी 2025 – राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रथम शिविर

26 जनवरी – गणतंत्र दिवस समारोह

30 जनवरी 2025 – ग्लोकल विश्वविद्यालय मे स्वयम पाठ्यक्रमों पर सेमिनार का आयोजन

6 फरवरी 2025 – ग्लोकल यूनिवर्सिटी में आई० आई० टी० मद्रास और जी० ई० सी० पालनपुर के सहयोग से स्वयम – एन० पी० टी० ई० एल० जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

12 फरवरी 2025 – ग्लोकल यूनिवर्सिटी ने किया "जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी" (JESS) शोध पत्रिका का शुभारंभ

13 फरवरी 2025 – ग्लोकल यूनानी मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में विश्व यूनानी दिवस मनाया

13 फरवरी 2025 – आयुर्वेद एवं यूनानी के नवप्रवेशित विधार्थियों के लिए ग्लोकल यूनिवर्सिटी में व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया

15 फरवरी 2025 – राष्ट्रीय सेवा योजना का द्वितीय शिविर

17 फरवरी 2025 – राष्ट्रीय सेवा योजना का तश्तीय शिविर

22 से 28 फरवरी 2025 – राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय शिविर

27 फरवरी 2025 – ग्लोकल विश्वविद्यालय के ग्लोकल लॉ स्कूल के द्वारा मूट कोर्ट ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन

2 मार्च 2025 – पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता कर युवाओं को विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार का महत्व बताया।

7 मार्च 2025 – ग्लोकल लॉ स्कूल एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व बेला पर व्याख्यान एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

8 मार्च 2025 – ग्लोकल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर ने आईक्यूएसी और ग्लोकल इंस्टिट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

10 मार्च 2025 – राष्ट्रीय सेवा योजना का चतुर्थ शिविर

25 मार्च 2025 – ग्लोकल विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन

द्वारा
डॉ० वाजिद खान
जन संपर्क अधिकारी
ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर

WELCOME
WELCOME